भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/3/2022-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक 29 सितंबर, 2023

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एडी (ओआई) - 03/2022

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मेट्रोनिडाजोल" के आयातों से संबंध में पाटनरोधी जांच ।

विषय सूची

क मामले की पृष्ठभूमि..

ख प्रक्रिया..

ग विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु ....

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध.........................

ग.2 घरेलू उद्योग की ओर से किये गये अनुरोध................................

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच..

ग.3.1 विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु..................................

ग.3.2 पीयूसी का दायरा...

घ घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति...

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध...........................

घ.2 घरेलू उद्योग की ओर से किये गये अनुरोध..................................

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच..

घ.3.1 क्या पीओआई के दौरान आवेदक द्वारा संबद्ध वस्तु का आयात किया गया है और संबद्ध वस्तु के चीन के एक उत्पादक ने आवेदक का निवेश उसे नियम 2(ख) के अनुसार "घरेलू उद्योग" माने जाने से अयोग्य ठहराता है?...

घ.3.2 क्या आवेदन के लिए एडी नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत स्थितियां अपेक्षित हैं?...

ड. गोपनीयता...

च. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) और सामान्य मूल्य..................................

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध..................................

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध..

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच...

छ निर्यात कीमत...

छ.1 हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल के लिए निर्यात कीमत..........................

छ.2 चीन जन. गण. से अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत......

ज पाटन और पाटन मार्जिन का निर्धारण..

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध..

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध..................................

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच...

झ पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव..

झ.1 मांग का आकलन...

झ.1.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध...................................

झ.1.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध........................

झ.1.3 प्राधिकारी द्वारा जांच..

झ.2 आयात मात्रा और बाजार हिस्सा...

झ.2.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध..

झ.2.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध..................................

झ.2.3 प्राधिकारी द्वारा जांच...

ञ कीमत प्रभाव...

ञ.1 पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध...

ञ.1.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध...

ञ.1.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध...............................

ञ.1.3 प्राधिकारी द्वारा जांच...

ञ.2 कीमत कटौती प्रभाव...

ञ.3 कीमत ह्रास और न्यूनीकरण...

ट घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड..

ट.1 उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री..

ट.1.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध...

ट.1.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध...................................

ट.1.3 प्राधिकारी द्वारा जांच..

ट.2 बाजार हिस्सा...

ट.2.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध...

ट.2.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध...................................

ट.2.3 प्राधिकारी द्वारा जांच..

ट.3 लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ...

ट.3.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध...

ट.3.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध...................................

ट.3.3 प्राधिकारी द्वारा जांच..

ट.4 मालसूची...

ट.4.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध...

ट.4.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध...................................

ट.4.3 प्राधिकारी द्वारा जांच..

ट.5 रोज़गार, मज़दूरी और उत्पादकता...

ट.5.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध...

ट.5.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध....................................

ट.5.3 प्राधिकारी द्वारा जांच..

ट.6 वृद्धि..

ट.6.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध...

ट.6.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध.....................................

ट.6.3 प्राधिकारी द्वारा जांच..

ट.7 पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता...

ट.8 क्षति संबंधी निष्कर्ष..

ठ पीओआई पश्चात विश्लेषण..

ठ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध..

ठ.2 प्राधिकारी द्वारा जांच..

ड क्षति मार्जिन...

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध...

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध..

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच...

ढ कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण..

ढ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध..

ढ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध...................................

ढ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच..

ढ.3.1 मांग में संकुचन...

ढ.3.2 उपभोग की प्रवृत्ति में परिवर्तन..

ढ.3.3 व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं...

ढ.3.4 प्रौद्योगिकी में विकास...

ढ.3.5 घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन...

ढ.3.6 घरेलू उद्योग के अन्य उत्पादों का निष्पादन...

ढ.3.7 मंदी की वैश्विक बाज़ार स्थितियाँ...

ढ.3.8 कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि...

ण भारतीय उद्योग के मुद्दे...

ण.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध...

ण.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध......................................

ण.3 प्राधिकारी द्वारा जांच..

त पीओआई पश्चात विश्लेषण ....

त.1 *घरेलू उद्योग और स्थिति..*

त.2 *पाटन और क्षति मार्जिन का आकलन..*

त.3 *भारित औसत सामान्य मूल्य/एनआईपी की लेन-देन वार निर्यात मूल्य/लैंडेड मूल्य से तुलना करके पाटन क्षति मार्जिन का निर्धारण...*

त.4 *आवश्यक तथ्यों के प्रकटीकरण की पर्याप्तता..*

त.5 *क्षति का विश्लेषण...*

त.6 *पीओआई विश्लेषण...*

त.7 *आर्थिक हित और विविध मुद्दे...*

थ **निष्कर्ष...**

द **सिफ़ारिशें..**

ध **आगे की प्रक्रिया...**

फा. सं. 6/3/2022-डीजीटीआर: - यह समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे एडी नियमावली या पाटनरोधी नियमावली या नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

2. आरती ड्रग्स लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' या 'घरेलू उद्योग' भी कहा गया है) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें 'प्राधिकारी' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन भी प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से **"मेट्रोनिडाजोल"** जिसे आगे विचाराधीन उत्पाद या पीयूसी या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

3. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर एडी नियमावली, 1995 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/3/2022-डीजीटीआर, दिनांक 30 सितंबर, 2022 के द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की ताकि संबद्ध वस्तु एक कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाये तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति का समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

*****

ख. प्रक्रिया

4. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क. प्राधिकारी ने एडी नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरूआत की कार्रवाई करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2022 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने दिनांक 30 सितंबर, 2022 की जांच शुरूआत अधिसूचना की एक-एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, संबद्ध आयातों के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार भेजी थी। हितबद्ध पक्षकारों से जांच शुरूआत अधिसूचना में विहित समय-सीमा के भीतर जांच शुरूआत अधिसूचना में विहित ढंग और तरीके से संगत सूचना देने और लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।

घ. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) के अनुसार दिनांक 15 नवंबर, 2022 को अपने ई-मेल के माध्यम से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं और संबद्ध देश के दूतावास को भेजी थी।

ड. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों को जांच शुरूआत अधिसूचना में विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। संबद्ध देश के दूतावास को संबद्ध देश

से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ-साथ उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गये पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी भेजी थी।

च. प्राधिकारी ने एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं।

छ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

संबद्ध देश	**उत्पादक/निर्यातक**
चीन जन. गण.	मेसर्स हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

ज. संबद्ध देश से ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है या जांच में सहयोग नहीं किया है, को इस जांच में असहयोगी माना गया है।

झ. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात उत्पादकों/प्रयोक्ताओं को भी एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावलियां भेजी थीं।

ञ. किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली का आयातक/प्रयोक्ता ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

ट. 18 सितंबर 2023 को, निदेशालय को एक आयातक और उपयोगकर्ता उद्योग, [***] से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें प्राधिकरण के समक्ष अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने और जांच में भाग लेने का अवसर मांगा गया था। [***] ने आगे आरोप लगाया कि घरेलू उद्योग का नियमित ग्राहक होने के बावजूद, घरेलू उद्योग ने जानबूझकर अपना नाम एंटी-डंपिंग एप्लिकेशन से बाहर रखा है। इसने जांच पूरी करने के लिए समयसीमा बढ़ाने की भी मांग की। यह नोट किया गया है

कि [***] ने जांच के अंतिम चरण में भाग लेने की मांग की थी। व्यापार उपचारात्मक जांच में कई चरण शामिल होते हैं, प्रत्येक चरण की अपनी समय-सीमा होती है। इच्छुक पार्टियों के पंजीकरण की समयसीमा काफी पहले ही समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा, निदेशालय ने जांच की शुरुआत को प्रचारित करने के लिए सभी कदम उठाए थे, जिसमें भारत के राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन और साथ ही अपनी वेबसाइट पर जांच की शुरुआत को प्रचारित करना शामिल था। जांच टीम ने आवेदन में आवेदक द्वारा प्रदान किए गए सभी ज्ञात आयातों और उपयोगकर्ताओं को जांच शुरू करने के संबंध में एक ईमेल भी भेजा। इस अंतिम समय पर अवसर देने से अन्य इच्छुक पार्टियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जांच दल ने ईमेल के माध्यम से भेजे गए अपने विस्तृत पत्र दिनांक 21 सितंबर 2023 के माध्यम से भी इस संबंध में [***] सूचित किया है।

ठ. प्रणाली और आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशक (डीजी सिस्टम्स) से पिछली क्षति जांच अवधि और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों की सौदावार ब्यौरें प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से भी क्षति जांच अवधि और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदावार ब्यौरें देने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने उन्हें प्राप्त किया है और अंतिम जांच परिणाम में उन पर विचार किया है।

. ड. एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 8 फरवरी, 2023 को वीडिया कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से संबद्ध जांच के बारे में मौखिक रूप से विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। ऐसे हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किये, से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित अनुरोध तथा बाद में खंडन अनुरोध यदि कोई हों, के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। हितबद्ध पक्षकारों से उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोधों के अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ शेयर करने का निदेश भी दिया गया था।

. ढ. क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी भी कहा गया है) को सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुबंध III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना को ध्यान में रखते हुए भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और तर्कसंगत लाभ के आधार पर निर्धारित किया गया है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

. ण. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना की आवश्यक समझी गई सीमा तक मौके पर सत्यापन के दौरान जांच और सत्यापन किया गया है और वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में उस पर भरोसा किया गया है।

त. संबद्ध देश से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की भी आवश्यक समझी गई सीमा तक जांच और सत्यापन किया गया और वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ उस पर भरोसा किया गया है।

थ. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 (12 माह) की है। वर्तमान जांच के लिए क्षति अवधि 1 अप्रैल, 2018 - 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019 - 31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल, 2020 - 31 मार्च, 2021 और पीओआई की है।

. द. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को व्यापार सूचना 01/2020 दिनांक 10 अप्रैल, 2020 के जरिये विहित ढंग से परस्पर आधार पर उपलब्ध कराया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने ऐसी सूचना/अनुरोध को गोपनीय माना है। यदि गोपनीयता के दावे को स्वीकार नहीं किया गया तो हितबद्ध पक्षकार को उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करने का निदेश दिया गया था।

ध.. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत समस्त तर्कों और सूचना पर इस समय उस सीमा तक विचार किया, जहां तक ये साक्ष्य से समर्थित और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई हैं।

न. प्राधिकरण ने 19 सितंबर 2023 को सभी इच्छुक पक्षों को केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों वाले प्रकटीकरण विवरण को प्रसारित किया। इच्छुक पक्षों को 25 सितंबर 2023 तक प्रकटीकरण विवरण पर अपनी टिप्पणियां दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

प. प्राधिकरण ने इन अंतिम निष्कर्षों में इच्छुक पक्षों द्वारा की गई सभी पोस्ट-प्रकटीकरण टिप्पणियों की प्रासंगिक सीमा तक जांच की है। कोई भी प्रस्तुतीकरण जो केवल पिछले प्रस्तुतीकरण का पुनरुत्पादन था और जिसकी प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

फ. इस दस्तावेज में '***' हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

.ब. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए पीओआई (अप्रैल, 2021 - मार्च, 2022) में अपनाई गई विनमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 75.37 रूपये है।

*****

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

5. जांच की शुरूआत के समय यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे ''पीयूसी'' भी कहा गया है) निम्नानुसार था:

''3. विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित ''मेट्रोनिडाजोल'' है।

[....]

5. उपयोग: इस उत्पाद का प्रयोग बैक्टीरिया संक्रमण और परजीवी संक्रमण के उपचार में होता है जिसे एमीबाइसिस (एमीबिक डिसेंट्री), ट्रिकोमानाइसिस [एसटीडी] गायर डाइसिस [बीवर फीवर], जिन्जीवाइटिस [मसूड़ों में दर्द], एक्यूट अलसरेटिव, एनीरोबिक वेजीनोसिस [वाजाइनल इन्प्लामेशन] जो ट्रैक में पाये जाने वाले प्राकृतिक बैक्टीरिया में वृद्धि से होता है।

6. टैरिफ वर्गीकरण: विचाराधीन उत्पादक सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत टैरिफ वर्गीकरण के उपशीर्ष 293329 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद को एचएस कोड 29332920 के अंतर्गत आयातित किया गया है। यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे में बाध्यकारी नहीं है।"

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद का 15 वर्षों से अधिक के लिए लागू पाटनरोधी शुल्क का इतिहास है[1]।

ग.2 घरेलू उद्योग की ओर से किये गये अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद एक डायरियारोधी और माइक्रो बॉयलरोधी औषधि है[2]। इसका प्रयोग बैक्टीरिया संक्रमण और परजीवी संक्रमण के उपचार में होता है। इसका

[1] हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोध, पृष्ठ 2 (जिसे आगे हुबेई के लिखित अनुरोध कहा गया है)।

प्रयोग एमीबाइसिस, ट्रिकोमोनाइसिस, शल्य चिकित्सा के बाद ऑपरेशन पश्चात संक्रमण, ग्यारडाइसिस, एक्यूट अल्सरेटिव और जिन्जीवाइटिस, एनोरोबिक, माइक्रो निर्माण द्वारा होने वाले संक्रमण वेजीनोसिस उपचार के मामले में होता है[3]।

ख. इस उत्पाद की कोई उप श्रेणी या उप ग्रेड नहीं है[4] ।

ग. पीयूसी को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत उपशीर्ष 293329 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है[5]।

घ. पीयूसी को एचएस कोड 2933 29 20 के अंतर्गत आयातित किया जा रहा है[6]। इस कोड को मेट्रोनिडाजोल और मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट के लिए विहित किया गया है। तथापि, मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट के मामूली आयात हुए हैं[7]।

ड. संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू मूल सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत है[8]।

च. आवेदक द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित किये जा रहे उत्पाद की "समान वस्तु" है[9]।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

8. हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध में किये गये अनुरोधों की निम्नानुसार जांच और समाधान किया गया है:

---

[2] आवेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोध, पैरा 9 (जिसे आगे "आवेदक के लिखित अनुरोध" कहा गया है)।

[3] तदेव पैरा 12

[4] तदेव पैरा 9

[5] तदेव पैरा 13

[6] जांच शुरूआत अधिसूचना फा. सं. 6/3/2022-डीजीटीआर, " चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मेट्रोनिडाजोल" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत", 30 सितंबर, 2022 (जिसे आगे *"जांच शुरूआत अधिसूचना"* कहा गया है) https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Initiation%20Notification_%20Metronidazole%20-%20ENGLISH%20%281%29.pdf

[7] आरती ड्रग्स लिमिटेड (जिसे आगे *''आवेदक"* कहा गया है) द्वारा प्रस्तुत *चीन* जन. गण. से "मेट्रोनिडाजोल" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु आवेदन, पैरा 21

[8] राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून, 2017

[9] आवेदक, पैरा 34

9 वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मेट्रोनिडाजोल है। यह एक डायरियारोधी और माइक्रो बॉयलरोधी औषधि है। इसका प्रयोग बैक्टीरिया संक्रमण और परजीवी संक्रमण के उपचार में होता है। इसका प्रयोग एमीबाइसिस, ट्रिकोमोनाइसिस, सल्य चिकित्सा के बाद ऑपरेशन पश्चात संक्रमण, ग्यारडाइसिस, एक्यूट अल्सरेटिव और जिन्जीवाइटिस, एनोरोबिक, माइक्रो निर्माण द्वारा होने वाले संक्रमण वेजीनोसिस उपचार के मामले में होता है।

10. आवेदक ने बताया है कि इस उत्पाद को एक मध्यवर्ती यौगिक अर्थात 2-मिथाइल 5-नाइट्रो इमिडाज़ोल के साथ इथाईलीन ऑक्साइड को फॉर्मिक एसिड [85%] और सल्फ्यूरिक एसिड [98%] की उपस्थिति में संपीड़ित करके बनाया जाता है। उसके बाद मेथेनाल के साथ इस्टरीफिकेशन प्रतिक्रिया होती है जो मिथाइल फारमेट उत्पन्न करता है [मिथाइल मिथेनोएट]। यह इस्टरीफिकेशन प्रतिक्रिया अनरियेक्टेड 2-एमएनआई को अलग करने के लिए लिकर अमोनिया (24 प्रतिशत) की दर से के साथ मास प्रेसीप्रिटेटेड होती है। यह आइसोलेटेड 2-एमएनआई सुखाया जाता है और प्रक्रिया में पुन: प्रयुक्त होता है। वाशिंग मदर लिकर को अमोनिया सल्फेट और मिक्स ग्लाइकोल निकालने के लिए बहु प्रभाव इवेपारेटर में डाला जाता है। इस फिल्टर्ड केक को पृथककरण के लिए अंतरित किया जाता है। जहां कास्टिक सोडा फ्लेक्स और आइसमिक्स को क्रूड मेट्रोनिडाजोल को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह वैट क्रूड मेट्रोनिडाजोल चारकोल की मदद से डी कलर की जाती है और उसके बाद मेट्रोनिडाजोल को अलग करने के लिए क्रिस्टलीकृत की जाती है। अलग किये गये मेट्रोनिडाजोल को छाना जाता है। गीली सामग्री को ड्रायर में सुखाया जाता है, ड्राई शुद्ध मेट्रोनिडाजोल के रूप में उतारा और लेबल किया जाता है।

11. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और एचएच कोड 2933 29 20 के अंतर्गत आयातित किया जाता रहा है। तथापि, उक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

ग.3.1 <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

12. आवेदक ने दावा किया गया है उनके द्वारा विनिर्मित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी,

कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है और कर रहे हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु के संबद्ध वस्तु के ''समान वस्तु'' होने से संबंधित आवेदक के दावे पर कोई विवाद नहीं किया है। अत: प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है।

ग.3.2 <u>पीयूसी का दायरा</u>

13. किसी भी पक्षकार ने आवेदक द्वारा यथा प्रस्तावित और प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरूआत के समय यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा पर कोई विवाद नहीं किया है[10]। यह भी नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद 'मेट्रोनिडाजोल' से संबंधित पूर्ववर्ती जांच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के समान हैं[11]। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी जांच शुरूआत के समय यथा परिभाषित पीयूसी के दायरे की पुष्टि करते हैं।

घ <u>घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति</u>

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध

[10] जांच शुरूआत अधिसूचना, पैरा 3

[11] अंतिम जांच परिणाम सं. 17/1/99 दिनांक 14 जुलाई, 2000, ''चीन जन. गण. से मेट्रोनिडाजोल से पाटनरोधी जांच'', पैरा 3 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Final-Finding_24.pdf ; अंतिम जांच परिणाम (निर्णायक समीक्षा) सं. 15/9/2003-डीजीएडी दिनांक 5 अप्रैल, 2006, '' चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेट्रोनिडाजोल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी (निर्णायक समीक्षा) जांच, पैरा 5 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_metronidazole_SSR_china.pdf; अंतिम जांच परिणाम सं. 15/18/2010-डीजीएडी दिनांक 29 जून, 2012, ''चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेट्रोनिडाजोल के आयातों से संबंधित लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा - अंतिम जांच परिणाम, पैरा 13 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_SSR2_metronidazole_chinaPR.pdf

14. घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. आवेदक को नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उसने पीओआई के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है[12]।

ख. चीन जन. गण. से मेट्रोनिडाजोल के आयातों से संबंधित दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी ने समान परिस्थितियों में आवेदक को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर कर दिया था जब आवेदक ने शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत चीन जन. गण. से मेट्रोनिडाजोल का आयात किया था[13]।

ग. आवेदक द्वारा मेट्रोनिडाजोल संबंधी पूर्ववर्ती जांच की तीसरी निर्णायक समीक्षा के लिए आवेदन को प्राधिकारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया था कि उसने अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत चीन जन. गण से मेट्रोनिडाजोल का आयात किया था[14]।

घ. अन्य हितबद्ध पक्षकार ने दावा किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका 7464/2017 में मेट्रोनिडजोल से संबंधित पूर्ववर्ती जांच (तीसरी एसएसआर) की समाप्ति का आदेश दिया था, क्योंकि आवेदक पात्र घरेलू उद्योग नहीं था[15]।

ड. मेट्रोनिडाजोल से संबंधित पूर्ववर्ती जांच के तथ्य वर्तमान जांच के समान हैं। चूंकि आरती ड्रग्स लिमिटेड को पूर्ववर्ती 2 निर्णायक समीक्षा जांचों के दौरान पात्र याचिकाकर्ता नहीं माना गया था। इसलिए उसे वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ पात्र ''घरेलू उद्योग'' नहीं माना जाना चाहिए[16]।

[12] हुबेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ 5
[13] तदेव पृष्ठ 5 और 6
[14] तदेव पृष्ठ 6
[15] हुबेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ 7
[16] तदेव पृष्ठ 7

च. आवेदक चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के एक उत्पादक से भी संबंधित हैं। आवेदक ने चीन की कंपनी में निवेश करना जारी रखा है और वह चीन की कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम में पहले शामिल था[17]।

घ.2 घरेलू उद्योग की ओर से किये गये अनुरोध

15. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. आवेदक के अलावा भारत में विचाराधीन उत्पाद का एक अन्य घरेलू उत्पादक है[18]।

ख. आवेदक भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन का [*** प्रतिशत] हिस्सा रखता है[19]।

ग. आवेदक ने पीओआई के दौरान पीयूसी का इतनी मात्रा में आयात किया है जो भारत में समान वस्तु के उत्पादन की तुलना में कुछ खास नहीं है।

घ. आवेदक ने निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट के उत्पादन के लिए अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत आयातित किए हैं।[20] आवेदक द्वारा किया गया संपूर्ण आयात आबद्ध रूप से खपत किया गया और घरेलू बाजार में नहीं बेचा गया है[21]।

ड. नियम 2(ख) के अंतर्गत " घरेलू उद्योग" की पात्रता से संबंधित निर्धारण मामला विशिष्ट, कंपनी विशिष्ट, अवधि विशिष्ट और स्थिति विशिष्ट होते हैं[22]। अत: पूर्ववर्ती जांचों में प्राधिकारी द्वारा निकाले गये निष्कर्षों को जोड़ने का कोई कारण नहीं है।

---

[17] तदेव पृष्ठ 7

[18] आवेदन पैरा 25

[19] आवेदन, अनुबंध "स्थिति"

[20] आवेदन पैरा 36

[21] तदेव

[22] आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 11

च. पूर्ववर्ती जांच में आवेदक द्वारा किया गया आयात काफी अधिक था और उसके कुल उत्पादन का लगभग *** प्रतिशत था। तथापि, वर्तमान जांच में आवेदक ने संबद्ध वस्तु की मामूली मात्रा का आयात किया है जो उसके कुल उत्पादन का लगभग *** प्रतिशत है[23]।

छ. पूर्ववर्ती जांच में आवेदक ने चीन जन. गण. से [*** एमटी] मेट्रोनिडाजोल का आयात किया था जबकि वर्तमान जांच में आवेदक ने केवल [*** एमटी] का आयात किया है[24]।

ज. नियम 2(ख) एक अपवर्जन आधारित परिभाषा है और समावेशन आधारित परिभाषा नहीं है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के दायरे से आवेदक को केवल इसलिए बाहर कर सकते हैं कि यदि उसे बाहर रखने को उचित ठहराने वाला कोई मजबूत कारण हो[25]।

झ. एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत कोई घरेलू उत्पादक स्वत: घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल होता है और उसको बाहर रखने को विशिष्ट रूप से न्यायोचित ठहराना चाहिए[26]।

ञ. आवेदक ने तर्क दिया है कि अनेक जांचों[27] में प्राधिकारी ने ऐसे घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर रखा है, जहां कुल उत्पादन के संबंध में ऐसे घरेलू उत्पादक की आयात मात्रा काफी कम है[28]।

---

[23] आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 12

[24] आवेदक का खंडन, पैरा 18

[25] आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 16

[26] आवेदक के लिखित अनुरोध

[27] आस्ट्रेलिया, चीन जन. गण., ईरान, मलेशिया, रूस और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच; चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ग्लेस्ड/अनग्लेस्ड/ओसलीन/विट्रफाइड टाइल्स पॉलिस्ड या अनपॉलिस्ड फिनिश में 3 प्रतिशत से कम जल अवशोषण के साथ" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच; चीन जन. गण. के मूल के/निर्यातित फ्लैट बेस स्टील व्हील के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच (कुछ मापदंड); यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डी (-) पैरा हाइड्राक्सी फिनाइल, ग्लाइसीन बेस (पीएचपीजी बेस) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच; यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के मूल की अथवा वहां से

ट. अन्य हितबद्ध पक्षकार ने दावा किया है कि आवेदक को पूर्ववर्ती जांच की तीसरी एसएसआर में घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखना वास्तव में सही है, क्योंकि आवेदक को उसमें प्राधिकारी द्वारा "घरेलू उद्योग" माना गया था।

ठ. अन्य हितबद्ध पक्षकार का यह दावा कि दिल्ली उच्च न्यायालय में पूर्ववर्ती जांच के संबंध में यह माना था कि आवेदक "घरेलू उद्योग" माने जाने के लिए अपात्र है, गलत और गुमराह करने वाला है[29]।

ड. यह कहना गलत है कि आवेदक की एक संबंधित कंपनी संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का उत्पादन कर रही है, क्योंकि चीन की कंपनी और आवेदक के बीच पूर्ववर्ती संयुक्त उद्यम समाप्त हो गया है। इसके अलावा, दोनों कंपनियों में से किसी के द्वारा भी बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति की दृष्टि से अन्य कंपनी पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखा जाता है। इन दोनों कंपनियों की अलग लेखा पुस्तकें हैं और आवेदक ने चीन की कंपनी में अपना निवेश कम कर दिया है आदि[30]।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किये गये अनुरोधों की निम्नानुसार जांच और समाधान किया गया है। निम्नलिखित मुद्दे आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा आवेदक की स्थिति के संबंध में उठाये गये हैं:

i. क्या पीओआई के दौरान आवेदक द्वारा किये गये संबद्ध वस्तु के आयात और संबद्ध वस्तु के चीन के उत्पादक में आवेदक का निवेश उसे नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग होने से अयोग्य बनाता है ?

ii. क्या आवेदन के लिए एडी नियमावली के नियम 5(3) की स्थिति अपेक्षित है ?

निर्यातित 1500 सिरीज और 1700 सिरीज के स्टायरिन बुटाडीन रबड़ एसबीआर से संबंधित पाटनरोधी जांच; चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीवीसी फ्लैक्स फिल्म के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

[28] आवेदन का खंडन, पैरा 15 और 16

[29] आवेदक का खंडन, पैरा 19

[30] आवेदक का खंडन, पैरा 20

घ.3.1 क्या पीओआई के दौरान आवेदक द्वारा किये गये संबद्ध वस्तु के आयात और संबद्ध वस्तु के एक चीनी उत्पादक में आवेदक का निवेश नियम 2(ख) के अनुसार उसे 'घरेलू उद्योग' होन से अयोग्य बनाता है?

17. वर्तमान जांच में आवेदक ने स्वीकृत रूप से चीन जन. गण. से [***] एमटी संबद्ध वस्तु का आयात किया है[31]। आवेदक ने यह भी माना है कि वह पहले संबद्ध वस्तु के एक चीनी उत्पादक अर्थात हुआंगगांग यिन्हे आरती फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम में था और उक्त कंपनी में उसका निवेश अब भी जारी है[32]। यह भी नोट करना संगत है कि चीन जन. गण. से मेट्रोनिडाजोल के आयातों से संबंधित पूर्ववर्ती पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार आवेदक (आरती ड्रग्स लिमिटेड) को "घरेलू उद्योग" के दायरे से बाहर रखा था, क्योंकि आवेदक ने पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात किया था[33]।

18. अन्य हितबद्ध पक्षकार अर्थात हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने तर्क दिया है कि आवेदक द्वारा किये गये आयातों के कारण और मेट्रोनिडाजोल से संबंधी पूर्ववर्ती जांचों में प्राधिकारी के निष्कर्षों के आलोक में आवेदक एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग बनने के लिए अपात्र है[34]। हुबेई ने यह भी दलील दी है कि आवेदक संबद्ध वस्तु के एक चीन के उत्पादक से संबंधित है क्योंकि उसने उक्त कंपनी में निवेश किया है और यह बात आवेदक को घरेलू उद्योग के दायरे में होने से अयोग्य बनाती है[35]।

19. आवेदक ने तर्क दिया है कि घरेलू उत्पादक द्वारा किये गये केवल आयात उसे स्वत: घरेलू उद्योग के दायरे से घरेलू उत्पादक होने से अयोग्य नहीं बनाते हैं[36]। आवेदक के अनुसार नियम 2(ख) में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या किसी

---

[31] आवेदक का खंडन, पैरा 18

[32] आवेदन पैरा 37

[33] अंतिम जांच परिणाम सं. 15/18/2010-डीजीएडी दिनांक 29 जून, 2012, "चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित मेट्रोनिडजोल के आयातों से संबंधित लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा - अंतिम जांच परिणाम", पैरा 5 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_SSR2_metronidazole_chinaPR.pdf

[34] हुबेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ 5 और 6

[35] तदेव पृष्ठ 7

[36] आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 16

उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखने का कोई उचित कारण हैं और यदि नहीं, तो क्या ऐसे उत्पादक को शामिल करना चाहिए। आवेदक ने तर्क दिया है कि नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उत्पाद स्वत: ही ''घरेलू उद्योग'' की परिभाषा में आता है और उसे केवल तभी बाहर रखा जा सकता है यदि उसे बाहर रखने को उचित ठहराने के कारण मौजूद हों[37]। आवेदक अनुरोध करता है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदक को बाहर रखने को उचित ठहराने के वैध कारण नहीं बताये हैं।

20. आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि पूर्ववर्ती जांच से अलग जिसमें आवेदक ने अपने कुल उत्पादन का [*** प्रतिशत] आयात किया था जो वर्तमान जांच के लिए जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का [***] एमटी बनता है, आवेदक ने अपने उत्पादन का केवल [*** प्रतिशत] आयात किया है जो [***] एमटी बनता है[38]। आवेदक ने निरंतर यह भी बताया है कि उसने अपने निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्राधिकार लाइसेंस के अंतर्गत संबद्ध वस्तु का आयात किया है। यह दावा किया गया है कि आवेदक द्वारा किये गये संबद्ध वस्तु के सभी आयातों को निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में आबद्ध रूप से खपत किया गया है और उसी घरेलू बाजार में नहीं बेचा गया है[39]।

21. संबद्ध वस्तु के चीनी उत्पादक (हुआंगगांग) में आवेदक के निवेश के संबंध में आवेदक ने बताया है कि दोनों कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम समाप्त हो गया है और वर्तमान में ऐसा कोई संयुक्त उद्यम मौजूद नहीं है। इसके अलावा, यह बताया गया है कि आवेदक के पास चीन के उत्पादक पर कोई कानूनी या प्रचालनात्मक नियंत्रण नहीं है। आवेदक ने बताया है कि उसने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में चीन के उत्पादक के संबंधित कंपनी होने के रूप में सूचना नहीं दी है, क्योंकि वह चीन के उत्पादक ने अपना निवेश लगातार कम करता जा रहा है और दानों कंपनियों के पास समेकित लेखा पुस्तकें नहीं हैं। चीन के उत्पादक ने केवल आवेदक की लेखा पुस्तकों में दीर्घावधिक निवेश दर्शाया है। चीन के उत्पादक ने भारतीय बाजार में किसी सामग्री का सीधे निर्यात नहीं किया है और आवेदक के पास निदेशक बोर्ड में कोई पद नहीं है तथा उसने चीन की कंपनी के किसी बोर्ड सदस्य की नियुक्ति नहीं की है[40]।

[37] आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 16

[38] आवेदक का खंडन, पैरा 18

[39] आवेदन पैरा 36, आवेदक के लिखित अनुरोध भी देखें, पैरा 10

[40] आवेदक का खंडन, पैरा 20

22. प्राधिकारी स्मरण करते हैं कि एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत किसी घरेलू उत्पादक को ''घरेलू उद्योग'' के दायरे से तब बाहर रखा जा सकता है, यदि वह संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयातक हो या कथित पाटित वस्तु के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित हो[41]। एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) में ''माना जा सकता है'', शब्द का प्रयोग यह संकेत करता है कि प्राधिकारी के पास उस घरेलू उत्पादक को शामिल करने का भी विवेकाधिकार है जो भारत में संबद्ध वस्तु का आयातक भी हो, उसे घरेलू उद्योग के दायरे के भीतर शामिल किया जाए, या वह संबद्ध वस्तु के निर्यातक या आयातक से संबंधित हो।

23. गुजरात फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड[42] के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संमुक्ति की है कि यह प्रश्न कि क्या एक घरेलू उत्पादक जिसने संबद्ध वस्तु का आयात किया है, को एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत ''घरेलू उद्योग'' के दायरे से अयोग्य से माना जाए, की जांच घरेलू उत्पादक द्वारा किये गये आयातों के संबंध में उसके कार्यकलापों की प्रकृति के आधार पर करनी चाहिए। उक्त मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना था कि इसमें उत्पादक इसने संबद्ध वस्तु के अपने कुल उत्पादन के 15 प्रतिशत का आयात किया था। घरेलू उद्योग के रूप में पात्र है क्योंकि वह आयात केवल उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए किये गये थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि घरेलू उत्पादक केवल व्यापार प्रयोजनों के लिए आयात नहीं कर रहा था और इसलिए उसे एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा *सेंचुरी प्लाइबोर्ड मामले*[43] में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने *ईसी - फास्टनर्स (चीन)*[44] में डब्ल्यूटीओ पैनल के निर्णय को मानते हुए यह माना था

[41] एडी नियमावली 1995 के नियम 2(ख) का पाठन निम्नानुसार है:
''घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले ''घरेलू उद्योग'' शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

[42] स्टेट ऑफ गुजरात फर्टिलाइजर एंड केमिकल लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और अन्य, 2012 एससीसीओ एनलाइन केल 8071

[43] सेंचुरी प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, 2022 एससीसीओ एनलाइन जीएयू 643

[44] डब्ल्यू पैनल रिपोर्ट, यूरोपीय आयोग - चीन से कतिपय आयरन या स्टील फास्टनर्स संबंधी निश्चयात्मक पाटनरोधी उपाय, 28 जुलाई, 2011 को स्वीकृत डब्ल्यूटीडीएस397/आर

कि एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत प्राधिकारी के पास कुछ विवेकाधिकार है''......कि वे पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित उत्पादकों या स्वयं आयातकों को ''घरेलू उद्योग'' की अवधारणा में शामिल करें[45]।

24. आवेदक ने वर्तमान जांच के दौरान पूर्ववर्ती जांचों की तुलना में संबद्ध वस्तु की कम मात्रा (समग्र और सापेक्ष रूप से) का आयात किया है। इसके अलावा, जैसा आवेदक ने बताया संबद्ध वस्तु के सभी आयात निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्राधिकार लाइसेंस के अंतर्गत किये गये हैं। आवेदक भारत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में लगातार शामिल है। आवेदक की प्रकृति संबद्ध वस्तु के उत्पादक जैसी लगती है और आवेदक केवल व्यापार प्रयोजनों के लिए आयात करने वाला व्यापारी प्रतीत नहीं होता है। *गुजरात फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड*[46] के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के आलोक में प्राधिकारी मानते हैं कि जांच अवधि के दौरान आवेदक द्वारा किये गये आयात एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार उसे घरेलू उद्योग मानने से अयोग्य नहीं ठहराते हैं।

25. संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के एक उत्पादक (हुआंगगांग यिन्हे आरती फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड) के साथ आवेदक के संबंध के बारे में आवेदक ने बताया है कि उसने हुआंगगांग को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एक संबंधित कंपनी नहीं बताया है। वह हुआंगगांग में अपने निवेश को निरंतर कम रहा है, दोनों कंपनियों की समेकित लेखा पुस्तकें नहीं हैं। हुआंगगांग को आवेदक की लेखा पुस्तकों में केवल एक दीर्घावधिक निवेश के रूप में दर्शाया गया है, हुआंगगांग ने भारतीय बाजार में किसी सामग्री का सीधे निर्यात नहीं किया है और आवेदक के पास निदेशक बोर्ड में कोई पद नहीं है और न ही उसने हुआंगगांग के किसी बोर्ड सदस्य की नियुक्ति की है[47]। आवेदक ने एक पत्र भी दिया है। इसमें यह बताया गया है कि उसके पास यिन्हे आरती फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड हुआंगगांग में केवल *** प्रतिशत का हिस्सा है और उक्त कंपनी के प्रबंधन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है[48]। इस पत्र में यह भी बताया गया है कि दोनों कंपनियों के बीच कोई साझे निवेशक, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक या प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति नहीं हैं। इसके अलावा, पत्र में

[45] सेंचुरी प्लाईबोर्ड, 2022 एससीसीओ एनलाइन जीएयू 643, पैरा 54

[46] स्टेट ऑफ गुजरात फर्टिलाइजर एंड केमिकल लि. 2012 एससीसीओ एनलाइन सीएएल 8071

[47] आवेदक का खंडन, पैरा 20

[48] आरती ड्रग्स लिमिटेड से पत्र दिनांक 27 जुलाई, 2023

कहा गया है कि आवेदक की शेयरधारिता उसे हुआंगगांग में बोर्ड के किसी सदस्य की नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देती है।

26. *सेंचुरी प्लाई बोर्ड* में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय[49] के आलोक में प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक से आवेदक का संबंध आवेदक को एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग होने से अयोग्य नहीं बनाता है।

27. अत: प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनसुार घरेलू उद्योग है।

घ.3.2 क्या आवेदन में एडी नियमावली के नियम 5(3) की शर्तें अपेक्षित हैं?

28. एडी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार पाटनरोधी जांच के लिए आवेदन *''घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से*'' किया जाना चाहिए। एडी नियमावली के नियम 5(3) में स्थिति की सुरक्षा में निम्नलिखित 2 स्थितियां होती हैं:

i. आवेदन का समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादक के पास भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सा होना चाहिए[50] और

ii. आवेदन ऐसे उत्पादकों द्वारा समर्थित होना चाहिए जिनका सामूहिक उत्पादन घरेलू उद्योग के उस हिस्से द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक बनता हो, जो आवेदन का स्पष्ट रूप से या तो समर्थन या विराध करते हों[51]।

---

[49] सेंचुरी प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य 2022 एससीसीओ एनलाइन जीएयू 643

[50] एडी नियमावली के नियम 5(3)(क) ये परंतुक का पाठ निम्नानुसार है:

बशर्ते कि कोई जांच शुरू नहीं की जाएगी यदि आवेदन का समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत से कम हिस्सा रखते हों, और

[51] एडी नियमावली के नियम 5(3) के स्पष्टीकरण का पाठ निम्नानुसार है:

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनार्थ आवेदन को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया माना जाएगा यदि वह ऐसे घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित हों जिनका सामूहिक उत्पादन घरेलू उद्योग के उस हिस्से द्वारा उत्पादित समान वस्तु के

29. आवेदक ने बताया है कि इसके अलावा, मेसर्स यूनिकेम लेबोरेटरीज ने भी भारत में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करता है[52]। आवेदक ने बताया है कि मेसर्स यूनिकेम लेबोरेटरीज भारत में पीयूसी की बिक्री नहीं करता है और उसका पीयूसी का समस्त उत्पादन निर्यात प्रचालनों के लिए होता है[53]। निम्नलिखित तालिका जांच शुरूआत के समय विचार किये गये समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों के उत्पादन के आंकड़े दर्शाती है:

क्र. सं.	घरेलू उत्पादक का नाम	उत्पादक की स्थिति	उत्पादन मात्रा*	उत्पादन हिस्सा*	उत्पादन हिस्सा रेंज
1	आरती ड्रग्स लिमिटेड	आवेदक	*** एमटी	***%	80-85%
2	यूनिकेम लेबोरेटरीज	तटस्थ	*** एमटी	***%	15-20%
3	**कुल**		*** **एमटी**	***%	**100%**

* *जांच अवधि अर्थात (अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022) के दौरान आंकड़े।*

30. यह देखा गया है कि आवेदक का कुल घरेलू उत्पादन में हिस्सा पीओआई के दौरान पात्र घरेलू उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक था। इस प्रकार नियम 5(3)(क) में निर्धारित अपेक्षा की पहली शर्त पूरी हो गई है। दूसरी शर्त के संबंध में यह नोट किया जाता है कि केवल ऐसे घरेलू उत्पादकों की मात्रा पर विचार किया जाए जो आवेदन का या तो स्पष्ट समर्थन या विरोधी करते हैं। चूंकि अन्य पात्र उत्पादक ने जांच शुरूआत के समय आवेदन का स्पष्ट विरोधी नहीं किया है। इसलिए यह निष्कर्ष माना जा सकता है कि आवेदन ऐसे घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित है जिनका सामूहिक उत्पादन उन उत्पादकों के बीच उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक बनता है जिन्होंने आवेदन का ''समर्थन या विरोध'' किया था। इस प्रकार एडी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) की दूसरी शर्त की अपेक्षा भी पूरी हो गई थी।

कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक बनता हो जिन्होंने स्पष्ट रूप से आवेदन का समर्थन या विरोध, जैसा भी मामला हो, किया हो।

[52] आवेदन पैरा 30

[53] तदेव

31. तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक एडी नियमावली 1995 के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और यह मानते हैं कि आवेदन एडी नियमावली 1995 के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

*****

ड. <u>गोपनीयता</u>

32. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है-:

गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

33. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने गोपनीयता के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है। हितबद्ध पक्षकार और घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना और आंकड़ों की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने

होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गापेनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है, जहां कहीं अपेक्षित हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। पक्षकारों को उनके अनुरोधों के अगोपनीय अंश को ई-मेल के जरिये शेयर करने का निर्देश दिया गया था।

*****

बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमई), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमई) और सामान्य मूल्य

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

34. चीन जन. गण. के बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं[54]:

क. डब्ल्यूटीओ में चीन का एक्सेसन प्रोटोकाल 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया और इसलिए चीन जन. गण. को एक बाजार अर्थव्यव्यस्था माना जाना चाहिए।

ख. ईसी - फास्टनर्स (चीन) मामले में अपीलीय निकाय ने माना है कि चीन जन. गण. को डब्ल्यूटीओ के चीन के एक्सेसन प्रोटोकाल के अनुच्छेद 15 की समाप्ति पर स्वत: ही बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा मिल गया है।

ग. डब्ल्यूटीओ करार और डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकाल की सही भावना से व्याख्या की जानी चाहिए और "करार को बनाये रखने" के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। भारत का दायित्व है कि वह चीन के एक्सेसन प्रोटोकाल के अनुच्छेद 15 की समाप्ति के बाद चीन जन. गण. को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करे।

घ. विभिन्न अन्य क्षेत्राधिकारों जैसे ईयू और यूएसए ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकाल के अनुच्छेद 15 की समाप्ति के बाद चीन को एक बाजार अर्थव्यव्स्था देश माना है।

ड. करार बनाने वालों का आशय चीन जन. गण. को केवल 15 वर्षों के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे तक सीमित रखना था।

[54] हुबेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ 17 से 22

च. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन की बातचीत के समय ईयू और यूएसए की समझ यह थी कि चीन का गैर-बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार केवल 15 वर्षों के लिए मौजूद रहेगा।

छ. इस बात पर विचार किये बिना कि चीन जन. गण. को भारत में घरेलू कानून में कैसे वर्गीकृत किया जाता है, चीन जन. गण. को बाजार अर्थव्यवस्था देश मानने का एक अंतराष्ट्रीय दायित्व है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

35. घरेलू उद्योग ने चीन जन. गण. के बाजार अर्थव्यस्था के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये हैं[55]:

क. यद्यपि डब्ल्यूटीओ में चीन का एक्सेसन प्रोटोकोल का अनुच्छेद 15(क)(ii) डब्ल्यूटी में चीन के एक्सेसन के तारीख से 15 वर्ष में समाप्त हो गया है, परंतु चीन के एक्सेसन प्रोटोकाल का अनुच्छेद 15(क)(i) अब भी लागू है और चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानने की अनुमति देता है।

ख. चीन के उत्पादकों को साक्ष्य सहित यह सिद्ध करना चाहिए कि उनके बाजार अर्थव्यवस्था के दावे को स्वीकार करने के लिए उनके देश में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं।

ग. चीन के उत्पादकों/निर्यातकों की घरेलू बिक्री कीमत को तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक यह सिद्ध न हो सके के लागत और घरेलू कीमतें उचित हैं और विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत को तर्कसंगत ढंग से दर्शाती है।

घ. ऐसी स्थिति में घरेलू लागत और कीमत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जहां लागत और कीमत के निर्धारण में राष्ट्रका हस्तक्षेप हो।

[55] आवेदन पैरा 41 से 48

ङ. घरेलू लागत और कीमत को तब तक नहीं अपनाया जा सकता जब तक प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध न करें कि उनकी प्रमुख निविष्टियों की कीमतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्य दर्शाती हैं। ऐसी स्थिति में जहां चीन के उत्पादक दावा करते हैं कि कच्ची सामग्री की कीमत भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की कीमतों से काफी कम हैं, वहां यह निष्कर्ष होना चाहिए कि प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा सूचित निविष्टि की कीमतों में गड़बड़ी है।

च. घरेलू लागत और कीमत को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध न करें कि चीन के जीएएपी और अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुसार उनकी बही पुस्तकें लेखा परीक्षित हैं।

छ. प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा दावा की गई लागत की उपयुक्तता की जांच की जानी चाहिए।

ज. इस बारे में कोई तर्कसंगत सूचना उपलब्ध नहीं है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में संबद्ध वस्तु की कीमत या भारत सहित अन्य देशों को ऐसे तीसरे देश से कीमत के संबंध में कोई तर्कसंगत सूचना उपलब्ध नहीं है। अत: सामान्य मूल्य को उत्पादन लागत तथा बिक्री और सामान्य प्रशासन तथा लाभ के लिए उपयुक्त योग सहित परिकलित किया जाए।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

36. यह नोट किया गया है कि हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल ने चीन जन. गण. को बाजार अर्थव्यवस्था देश मानने का तर्क दिया है। यह तर्क इस बात पर आधारित है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क)(ii) के 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त होने पर डब्ल्यूटीओ सदस्य (भारत सहित) चीन को बाजार अर्थव्यवस्था देश मानने के दायित्व के अधीन है। हुबेई ने ईसी - फास्टनर्स[56] मामले में अपने दावे को सही सिद्ध करने के लिए

[56] *अपीलीय निकाय रिपोर्ट यूरोपीय समुदाय - चीन से कतिपय आयरल या स्टील फास्टनर्स पर निश्चयात्मक पाटनरोधी उपाय, डब्ल्यूटी/डीएस 393/एबी/आर 28 जुलाई, 2011 को स्वीकृत था।*

डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय रिपोर्ट पर हुबेई ने भरोसा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईसी - फास्टनर्स में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट पर हुबेई का भरोसा गलत धारणा है। अपीलीय निकाय के समक्ष उस विवाद में मौजूद प्रश्न सामान्य मूल्य की गणना से संबंधित नहीं था बल्कि निर्यात कीमत की गणना से संबंधित था[57]।

37. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था हैः

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन

---

[57] तदेव, पैरा 288: ''हम नहीं मानते हैं कि उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए पैराग्राफ 15 (क) (i) और (ii) का संदर्भ दिया जाएग कि '' किसी उत्पाद के ''विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में ...... बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति विद्यमान हों'', की पैराग्राफ 15 (क) निर्यात कीमत के निर्धारण के संबंध में किसी विपथन की अनुमति देता है। हमारा निष्कर्ष यह है कि क्योंकि जब उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति (उत्पाद की बिक्री के बारे में सहित), विद्यमान है तो पैराग्राफ 15(क) इस बात को स्पष्ट करता है कि कोई आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उसके परिणामस्वरूप केवल यह कर सकता है कि ''ऐसी पद्धति का उपयोग करे जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों की कडी तुलना में पर आधारित नहीं हो'' (इस पर जोर दिया जाता है)।

उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे । इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।''

38. चीन जन. गण. को गैर- बाजार अर्थव्यवस्था मानना केवल अनुच्छेद 15(क)(ii) के कारण नहीं है - जिसके हुबेई ने 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त होने का दावा किया है - परंतु

अनुच्छेद 15 के शेष पार्ट से भी आता है अर्थात गैट 1994[58] के अनुच्छेद vi में निर्धारित उक्त पैराग्राफ का (क) तथा व्यापक नियम और डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 2.2.1.1 I, गैट अनुच्छेद vi और पाटनरोधी करार अनुच्छेद 2.2.1.1 के साथ पठित चीन के एक्सेसनप्रोटोकोल का अनुच्छेद 15 से उत्पन्न वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कार्यढांचे के अनुसार चीन जन. गण. को एमएनई मानने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) समाप्त हो गया है। तथापि चीन के डब्ल्यूटीओ में एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 (क) (i) के साथ पठित पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 2.2.1.1 दर्शाता है कि चीन जन. गण. से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि चीन जन. गण. में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। एडी नियमावली के अनुबंध । का पैरा 8 निर्धारित करता है कि कोई देश जिसे गैर- बाजार अर्थव्यवस्था देश निर्धारित या माना गया है, को गैर- बाजार अर्थव्यवस्था माना जाता है। ऐसे देश से निर्यातक प्राधिकारी द्वारा जारी पूरक प्रश्नावली के उत्तर के प्रपत्र में एडी नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 8(3) में निर्धारित सूचना/साक्ष्य देकर इस मान्यता का खंडन कर सकते हैं। अत: यह सिद्ध करने का दायित्व अन्य हितबद्ध पक्षकार पर है कि संबद्ध देश में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति मौजूद है।

39. प्राधिकारी की चीन जन. गण. को गैर- बाजार अर्थव्यवस्था मानने की संगत प्रक्रिया रही है। यह नोट किया जाता है कि क्योंकि चीन जन. गण. से प्रतिवाद उत्पादक/निर्यातक ने इस धारणा पर प्रश्न उठाने के लिए एमईटी/पूरक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति चीन जन. गण. में मौजूद है, इसलिए सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है, जिसका पाठन निम्नानुसार है:

''7. "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य,

---

[58] अनुबंध । एक से गैट अनुच्छेद vi के लिये दूसरा एड नोट देखें जिसका पाठन निम्नानुसार है:

2. यह माना जाता है कि ऐसे देश से आयात के मामले में जिसमें अपने व्यापार की पूर्ण या काफी अधिक पूर्ण एकाधिकार मौजूद हैं और जहां सभी घरेलू कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, वहां पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ कीमत तुलनीयता निर्धारित करने में विशेष कठिनाइयां मौजूद हो सकती हैं और ऐसे मामलों में आयातक संविदाकारी पक्षकार इस संभावना पर विचार करना आवश्यक मान सकता है कि ऐसे किसी देश ने घरेलू कीमतों के पास कड़ी तुलना हमेशा उचित नहीं हो सकती है।

मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देकते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

40. यह नोट किया जाता है कि एडी नियमावली के अनुबंध - I के पैराग्राफ 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य मूल्य की तीन पद्धतियां निर्धारित हैं: (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर: (ख) ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत; और (ग) कोई अन्य तर्कसंगत आधार । प्राधिकारी नोट करते हैं कि एडी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य मूल्य को पहले किसी प्रतिनिधि देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर या ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। तथापि, जब ऐसा आधार उपलब्ध न हो तो केवल तब प्राधिकारी भारत में प्रदत्त या देय कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं[59]।

41. यह नोट किया जाए कि पहली और दूसरी पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए पक्षकारों द्वारा कोई सूचना/साक्ष्य नहीं दिया गया है। बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पादित संबंधित वस्तु की कीमत या परिकलित मूल्य के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हें जिसके अलावा वह एचएस कोड जिसके अंतर्गत पीयूसी का आयात हो रहा है, उसमें भी अन्य उत्पाद वस्तु के निर्यात कीमत ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि संगत एचएस कोड जिसके अंतर्गत पीयूसी का आयात हो रहा है, के

[59] शेन्यांग मात्सोसिता एस बैट्री लिमिटेड बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य, (2005) चीन एससीसी 39, पैराग्राफ 7 देखें।

लिए निर्यातक आंकड़ों में भी अन्य उत्पाद शामिल हैं, जो पीयूसी के दायरे में नहीं आते हैं। प्राधिकारी के पास कोई सार्वजनिक आंकड़े भी उक्त दो पद्धतियों से सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु उपलब्ध नहीं हैं। उक्त सूचना/साक्ष्य के अभाव में प्राधिकारी के लिए पहली या दूसरी पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है। अत: प्राधिकारी ने तीसरी पद्धति वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित करने का निर्णय लिया है। प्राधिकारी ने भारत में प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है।

छ **<u>निर्यात कीमत</u>**

छ.1 हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल के लिए निर्यात कीमत

42. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि हुबेई चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक और निर्यातक हैं। हुबेई ने पीओआई के दौरान भारत में अपने असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे 199 एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। हुबेई ने अपेक्षित ढंग और तरीके से संगत सूचना दी है और समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन, अन्य संबंधी व्यय, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए समयोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने दावों की जांच के लिए हुबेई द्वारा प्रस्तुत सूचना का डेस्क सत्यापन किया है और तदनुसार दावों की अनुमति दी है। हुबेई के लिए कारखानाद्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत को आवश्यक समयोजनों की अनुमति के साथ निर्धारित किया गया है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

छ.2 चीन जन. गण. से सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

43. चीन जन. गण. से सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में इसका उल्लेख किया गया है।

ज. पाटन और पाटन मार्जिन का निर्धारण

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

44. घरेलू उद्योग ने पाटन और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

क. पाटन और क्षति विश्लेषण के लिए अप्रैल से सितंबर, 2021 को शामिल करना अनुचित है, क्योंकि अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 में अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 की तुलना में कम पाटन हुआ था[60]।

ख. पाटन मार्जिन को सौदावार निर्यात कीमत के साथ भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए[61]।

ग. एडी नियमावली का अनुबंध-1 और पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 2.4.2 प्राधिकारी को भारित औसत सामान्य मूल्य के साथ अलग निर्यात सौदे कीमत की तुलना द्वारा यह पाये जाने पर पाटन मार्जिन परिकलित करेंगे कि निर्यात कीमत की प्रवृत्ति विभिन्न खरीदों, क्षेत्रों या समयावधि में बिल्कुल अलग-अलग है और यदि कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता है कि ऐसे अंतरों पर विचार क्यों नहीं किया जा सकता है[62]।

घ. 2020-21 तक आयातों की निवल समायोजित सीआईएफ कीमत (कच्ची सामग्री की कीमतों के लिए सयोजित आधार वर्ष की सीआईएफ कीमत) वास्तविक आयात कीमत से कम थी[63]।

ड. चीन के उत्पादकों ने अपनी कीमतें कच्ची सामग्री की कीमतों में परिवर्तन से अधिक बढ़ा दी हैं और घरेलू बाजार में पाटन नहीं कर रहे थे। तथापि, 2021-22 के

[60] आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 17

[61] तदेव, पैरा 18

[62] आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 18 से 20

[63] तदेव, पैरा 23

पूर्वाध में कच्ची सामग्री की कीमत और आयात कीमत दोनों में वृद्धि हुई, परंतु बढ़ी हुई आयात कीमत कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के क्रम में नहीं थी[64]।

च. 2021-22 के पूर्वाध में पाटन मार्जिन सकारात्मक था। तथापि, चूंकि इस अवधि के दौरान आयातों की मात्रा कम थी इसलिए आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ा था[65]।

छ. 2020-21 के उत्तरार्ध में जब कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि हुई तो निर्यात कीमत घट गई और पाटन मार्जिन बढ़ गया। यह दर्शाता है कि निर्यात कीमतों की प्रवृत्ति विभिन्न अवधियों में काफी अलग- अलग रही है[66]।

ज. पूर्वाध में लगभग कोई आक्रामक कीमत नहीं होने से निर्यातकों ने 2021-22 के उत्तरार्ध में आक्रामक पाटन का सहारा लिया है[67]।

झ. पीओआई के पूर्वाध और उत्तरार्ध में अलग-अलग अवधि में निर्यात कीमत की भिन्न प्रवृत्ति को औसत अनुसार निर्धारण द्वारा संबोधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि निर्यात कीमतें कच्ची सामग्री की कीमतों से तालमेल नहीं रखती हैं[68]।

ञ. पीओआई के पूर्वाध में पीओआई की उत्तरार्ध की तुलना में पाटन मार्जिन में भारी अंतर है[69]।

ट. आवेदक ने अपीलीय निकाय के निर्णय[70] का उल्लेख किया है और यूएस - वाणिज्य विभाग[71] और ईयू[72] द्वारा की गई जांचों का संदर्भ देकर यह तर्क दिया

---

[64] तदेव, पैरा 23

[65] तदेव

[66] तदेव, पैरा 24

[67] तदेव, पैरा 24

[68] तदेव, पैरा 25

[69] तदेव, पैरा 27

[70] अपीलीय निकाय रिपोर्ट अमरीका – कतिपय पद्धतियां और चीन के मामले में पाटनरोधी कार्रवाई में उनके प्रयोग, डब्ल्यूटी/डीएस 741/एबी/आर और एड वन, 22 मई, 2017 को स्वीकृत, डीएसआर 2017: III पृष्ठ 1423; अपीलीय निकाय रिपोर्ट, अमरीका - कोरिया से बड़े रेजिडेंसियल वॉसर पर पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी उपाय डब्ल्यूटी/डीएस 464/एबी/आर तथा एड वन 26 सितंबर, 2016 को स्वीकृत, डीएसआर 2016; वी पृष्ठ 2275

है कि यदि निर्यात कीमतों में अलग-अलग अवधि में भारी अंतर का रुझान हो तो जांचकर्ता प्राधिकारी ऐसे रुझान के कारणों पर विचार किये बिना निर्यात कीमत के प्रत्येक सौदे के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना को अपना सकते हैं[73]।

ठ. आवेदक ने कोठारी सुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट के आदेश का उल्लेख किया है इसमें यह माना गया था कि यदि किसी विशिष्ट कीमत स्तर पर आयात की मात्रा इतनी अधिक है कि उससे घरेलू बिक्री कीमत पर पूरा प्रभाव पड़ सकता है तो विश्लेषण को आवश्यक महत्व देने के लिए उस पर विचार किया जाना चाहिए[74]।

ड. *यूएस - विभेदात्मक कीमत निर्धारण पद्धति*[75] मामले में पैनल ने प्राधिकारियों को सौदावार निर्यात कीमत के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना करते समय शून्य पद्धति के प्रयोग की अनुमति दी है[76]।

---

[71] कोरिया गणराज्य से बड़ रेजिडेंसियल वॉसर्स की पाटनरोधी शुल्क जांच के लिए मुद्दे और निर्णय ज्ञापन (ए-580868), संयुक्त राज्य वाणिज्य विभाग

[72] *कोरिया गणराज्य के मूल के साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने वाला* 28 फरवरी, 2006 का आयोग विनियम (ईसी) संख्या 355/2006; *ताईवान के मूल के रिकार्ड एबल कैम्पैक्ट डिस्क के आयातों पर लागू निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क और अनंतिम सामूहिक निश्चयात्मक शुल्क लागू करने वाला* 14 जून, 2002 का परिषद विनियम (ईसी) संख्या 1050/2002; *भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराजय, ताईवान और थाईलैंड के मूल के कतिपय पॉलिथीलीन टैरिफ थलेट के आयातों पर लागू निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क और अनंतिम शुल्क को निश्चित रूप से एकत्र करने वाला* 27 नवंबर, 2000 का परिषद विनियम (ईसी) संख्या 2604/2000 *चीन जन. गण. , कोरिया गणराज्य और ताईवान के मूल के कतिपय इलेक्ट्रानिक वेयिंग स्केल (आरईडब्ल्यूएस) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क वाला* 27 नवंबर, 2000 का परिषद विनियम (ईसी) संख्या 2605/2000; रूस और तुर्की से आयरन और स्टील के कतिपय ट्यूब और पाइप सेटिंग के आयातों पर लागू निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क और निश्चयात्मक अनंतिम शुल्क संग्रहित करने वाला 17 जनवरी 2013 का परिषद कार्यान्वयन विनियम (ईयू) संख्या 78/2013

[73] तदेव, पैरा 28 से 31

[74] आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 34

[75] पैनल रिपोर्ट, अमरीका, कनाडा से साफ्टवुड लुंबर के लिए विभेदात्मक कीमत निर्धारण पद्धति अपनाने के लिए पाटनरोधी उपाय, डब्ल्यूटी/बीएस 534/आर तथा एड वन 9 अप्रैल, 2009 को डब्ल्यूटीओ सदस्यों को परिचालित, 4 जून, 2019 को अपील किया गया था।

[76] तदेव, पैरा 35

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

45. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पाटन मार्जिन के परिकलन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. आवेदक ने आरंभ में 6 महीने की जांच अवधि प्रस्तावित की थी। तथापि, जांच की शुरूआत करते समय प्राधिकारी ने 12 महीने की पीओआई अपनाई थी। तथापि, आवेदक एक बार फिर सामान्य मूल्य की गणना के समय 6 महीने की जांच अवधि पर विचार करने का अनुरोध कर रहा है[77]।

ख. व्यापार उपचार जांच की प्रचालन प्रक्रिया के मैनुअल के अनुसार एक बार पीओआई निर्धारित होने पर बाद में उसे बदला नहीं जा सकता है[78]।

ग. प्राधिकारी ने अपने विवेक से 12 महीने की पीओआई तय की है और इसलिए उसे बदलने का कोई कारण नहीं है[79]।

घ. पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और शुल्क की दर के आकलन के प्रयोजनार्थ समग्र रूप से पीओआई का विश्लेषण करना प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया रही है[80]।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

46. पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध-I का पैराग्राफ 6(iv) का पाठ निम्नानुसार है:

"इस पैराग्राफ में तुलना को शासित करने वाले प्रावधानों के अधीन जांच चरण के दौरान पाटन मार्जिन की मौजूदगी को सामान्यत: सौदावार आधार पर भारित औसत सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।" **<u>भारित औसत आधार पर निर्धारित सामान्य मूल्य की तुलना तब अलग निर्यात सौदों की कीमत</u>**

[77] हुबेई के खंडन अनुरोध

[78] तदेव, पृष्ठ 2

[79] तदेव

[80] हुबेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ 7

<u>के लिए की जा सकती है, यदि यह पाया गया हो कि निर्यात कीमतों का रुझान भिन्न-भिन्न खरीददारों, क्षेत्रों या समयाधियों के लिए काफी अलग-अलग है और यदि इस बात का कोई स्पष्टीकरण न हो कि ऐसे अंतर को भारित औसत के प्रयोग या सौदावार तुलना द्वारा उचित ढंग से विचार नहीं किया जा सकता है[81]।</u>

47. पाटन के निर्धारण और पाटन मार्जिन की गणना के लिए उक्त प्रावधानों में तीन पद्धतियां दी गई हैं।

i. सौदावार आधार पर अलग-अलग निर्यात कीमतों के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य की तुलना द्वारा (जिसे आगे टी-टी पद्धति का गया है)।

ii. भारित औसत निर्यात कीमत से भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना द्वारा (जिसे आगे डब्ल्यू-डब्ल्यू पद्धति भी कहा गया है); या

iii. भारित औसत सामान्य मूल्य से अलग-अलग निर्यात सौदों की तुलना द्वारा (जिसे आगे डब्ल्यू-टी पद्धति भी कहा गया है)

48. नियमावली के पैराग्राफ 6(iv) के अनुसार डब्ल्यू-टी पद्धति का प्रयोग तब किया जा सकता है जब यह पाया जाता है कि निर्यात सौदों में ऐसी प्रवृत्ति है जो विभिन्न खरीददारों, क्षेत्रों या समयावधियों के बीच काफी अलग-अलग हो और ऐसे अंतर को डब्ल्यू-डब्ल्यू पद्धति या टी-टी पद्धति द्वारा ध्यान में नहीं लिया जा सकता है।

49. आवेदक ने बताया है कि पाटन और क्षति विश्लेषण के लिए अप्रैल से सितंबर, 2021 (जिसे आगे पीओआई का पूर्वाध दर्शाने के लिए ''एच1'' कहा गया है) को शामिल करना अनुचित है, क्योंकि अप्रैल से सितंबर, 2021 में अक्टूबर से मार्च, 2022 (जिसे आगे पीओआई से उत्तरार्ध को दर्शाने के लिए एच2 कहा गया है) की तुलना में कम रहा था[82]। अत: आवेदक ने प्राधिकारी से अलग-अलग निर्यात सौदों के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना द्वारा पाटन मार्जिन की गणना का अनुरोध किया है[83]।

---

[81] पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध 1 तथा डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 2.4.2

[82] आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 17

[83] आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 21

50. आवेदक ने बताया है कि पीओआई के उत्तरार्ध की तुलना में पूर्वाध में निर्यात कीमत में काफी अंतर का रुझान रहा है। आवेदक ने बताया है कि निवल समायोजित सीआईएफ कीमत (कच्ची सामग्री कीमत के साथ समायोजित आधार वर्ष की सीआईएफ कीमत) वास्तविक आयात कीमत से कम थी। आवेदक के अनुसार इसका अर्थ है कि चीन के उत्पादकों ने वास्तव में कच्ची सामग्री की लागत में बदलाव से अधिक अपनी कीमत में वृद्धि की है और वे व्यावहारिक रूप से घरेलू बाजार में पाटन नहीं कर रहे थे। यह तर्क दिया गया था कि एच1 में कच्ची सामग्री की लागत और आयात कीमत दोनों में वृद्धि हुई, परंतु आयात कीमत में वृद्धि कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के क्रम में नहीं थी[84]। आवेदक ने अपने दावों को दर्शाने के लिए निम्नलिखित तालिका प्रस्तुत की है।

क्र. सं.	विवरण	सीआईएफ कीमत (रू./एमटी)	कच्ची सामग्री की लागत (रू./एमटी)	समायोजित सीआईएफ कीमत (रू./एमटी)	अंतर (रू./एमटी)
1.	2018-19	***	***	***	***
2.	2019-20	***	***	***	***
3.	2020-21	***	***	***	***
4.	पीओआई– एच1	***	***	***	***
5.	पीओआई– एच2	***	***	***	***
6.	पीओआई (2021-22)	***	***	***	***

51. उक्त ऊपर उल्लिखित तालिका के आधार पर आवेदक के तर्क व्यवहार्य नहीं हैं, क्योंकि समायोजित सीआईएफ कीमत के परिकलन में यद्यपि आवेदक चालू वर्ष की कच्ची सामग्री लागत को जोड़ रहा है, परंतु समायोजित सीआईएफ कीमत ज्ञात करने के लिए वह पूर्ववर्ती वर्ष की अन्य लागत को जोड़ रहा है। उदाहरण के लिए 2019-20 के लिएसी आईएफ कीमत और कच्ची सामग्री में *** (कच्ची सामग्री से इतर लागत) का अंतर है। 2020-21 के लिए समायोजित सीआईएफ कीमत की गणना के लिए आवेदक ने 2020-21 की कच्ची सामग्री की लागत के लिए 2019-20 की इस ''कच्ची सामग्री से इतर लागत'' (5,31,801) को जोड़ा है ताकि *** आंकड़े तक पहुंचा जा सके। यह मान्यता थी

[84] आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 23

" कच्ची सामग्री से इतर लागत" अगल वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी। अनुचित ढंग से मानी गई है।

52. आवेदक ने यह भी बताया है कि 2021-22 के उत्तरार्ध में निर्यात कीमत में तब गिरावट आई जब वास्तव में कच्ची सामग्री कीमत बढ़ी थी; अत: इस अवधि के दौरान पाटन मार्जिन के बढ़ने का आरोप लगाया गया था। आवेदक दावा करता है कि इससे यह पता चलता है कि निर्यात कीमत में अलग-अलग समय पर भिन्न-भिन्न होने का रुझान है। आवेदक ने बताया है कि पीओआई के पूर्वाध में लगभग कोई आक्रामक कीमत नहीं होने से निर्यातकों ने उत्तरार्ध में आक्रामक पाटन को अपनाया है[85]। आवेदक ने अपने दावे को दर्शाने के लिए निम्नांकित तालिका प्रस्तुत की है।

क्र. सं.	विवरण	कच्ची सामग्री की लागत (रू./एमटी)	आयात कीमत सीआईएफ (रू./एमटी)
1.	पीओआई – पूर्वाध	***	***
2.	पीओआई – उत्तरार्ध	***	***
3.	परिवर्तन रू./एमटी	***	***
4.	परिवर्तन %	***	***

53. आवेदक ने यह भी बताया है कि विभिन्न समयावधि के बीच निर्यात कीमत एक प्रवृत्ति में उक्त अंतर को डब्ल्यू-डब्ल्यू पद्धति अपनाकर समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि निर्यात कीमत में कच्ची सामग्री की कीमत से तालमेल नहीं रहा है[86]। आवेदक ने दावा किया है कि पीओआई के पूर्वाध में पाटन मार्जिन केवल 5 प्रतिशत था जो पीओआई के उत्तरार्ध में बढ़कर 24 प्रतिशत हो गया[87]। आवेदक ने अपने दावे दर्शाने के लिए निम्नांकित तालिका प्रस्तुत की है।

[85] आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 24

[86] आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 25

[87] तदेव, पैरा 27

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	पीओआई-एच1	पीओआई-एच2	2021-22
1.	सामान्य मूल्य	डॉलर/एमटी	***	***	***
2.	निवल निर्यात कीमत	डॉलर/एमटी	***	***	***
3.	पाटन मार्जिन	डॉलर/एमटी	***	***	***
4.	पाटन मार्जिन	%	5%	24%	20%

54. आवेदक ने यह तर्क देने के लिए *यूएस - पाटनरोधी पद्धतियां (चीन)* में अपीलीय निकाय के निर्णय पर भरोसा किया है कि जांचकर्ता प्राधिकारी के पास यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार होता है कि कौनसी पद्धति अपनाई जाए। जब तक जांचकर्ता प्राधिकारी "निर्यात कीमत की उस प्रवृत्ति की पता लगाते हैं जो विभिन्न खरीददारों, क्षेत्रों या समय में काफी अलग-अलग होती है:

"5.22.... तदनुसार जांचकर्ता प्राधिकारी किसी प्रवृत्ति की मौजूदगी निर्धारित करने में प्रयोग करने के लिए अपनी इच्छानुसार पद्धति या साधन के संबंध में विवेकाधिकार का एक मार्जिन रखते हैं। तथापि, प्रयुक्त पद्धति पर विचार किये बिना जांचकर्ता प्राधिकारियों के लिए निर्यात कीमत की ऐसी प्रवृत्ति का पता लगाना अपेक्षित है जो अनुच्छेद 2.4.2 के दूसरे वाक्य के अर्थ के भीतर और पाटनरोधी करार के अंतर्गत उनके दायित्वों से संगत विभिन्न खरीददारों, क्षेत्रों या समयावधियों के लिए काफी अलग-अलग हो।"

55. आवेदक ने यह भी तर्क दिया है कि प्राधिकारी के लिए निर्यात कीमत में ऐसे अंतरों के कारण की पहचान करना अपेक्षित नहीं है और उनके लिये केवल यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या निर्यात कीमत में कोई प्रवृत्ति मौजूद है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि यदि यह पाया जाता है कि निर्यात कीमत में कोई प्रवृत्ति है तो प्राधिकारी के पास पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु किसी उचित पद्धति को अपनाने का विवेकाधिकार है[88]। आवेदक ने *यूएस - वाशिंग मशीन* में डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय और कोरिया गणराज्य[89] से

[88] आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 29

[89] यूएसडीओसी ने यह अवलोकन किया कि:

इस प्रकार यद्यपि विभाग एक लक्षित पाटन विश्लेषण करने में अन्य कारकों पर विचार कर सकता है। तथापि, कानून में विभाग के लिए यह विचार करना अपेक्षित नहीं है कि ऐसा अंतर क्यों मौजूद है। अपने विश्लेषण में विभाग पर केवल यह

बड़े रेजिडेंसियल वॉसर्स के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में यूएसडीओसी के मुद्दों और निर्णय ज्ञापन पर अपनी दलील के समर्थन में भरोसा किया है। अपीलीय निकाय की संमुक्तियां निम्नानुसार हैं:

"5.65.... अनुच्छेद 2.4.2 के दूसरे वाक्य के पाठ में कीमतों में अंतर की पीछे की प्रेरणा, या आशय की जांच करना अनिवार्य भी नहीं है। इस प्रकार हम अमरीका के इस तर्क में सच्चाई देखते हैं कि अनुच्छेद 2.4.2 के दूसरे वाक्य के अंतर्गत जांचकर्ता प्राधिकारी को यह पता लगाना होता है कि क्या ऐसा रुझान निर्यात कीमत में मौजूद है, न कि क्या किसी निर्यातक या उत्पादक ने पाटन के "लक्ष्य" और मुखौटे के लिए अपने निर्यात कीमत में जानबूझकर इस रुझान को अपनाया है।

56. आवेदक ने यूरोपीय आयोग के निर्णय[90] पर भी भरोसा किया है जिसमें निम्नानुसार संमुक्ति की गई है:

"(31) सभी तीन निर्यातकों उत्पादकों के लिए एक स्पष्ट निर्यात कीमत की प्रवृत्ति है जो क्षेत्रों के बीच काफी अलग-अलग है, यह सिद्ध हुआ था। वास्तव में यह पाया गया था कि कम कीमत पर भारी मात्राएं यूके और फ्रांस के बाजारों में केंद्रित थीं। ये दोनों बाजार आईपी के दौरान समुदाय में संबंधित उत्पाद के आयातों के 50 प्रतिशत से अधिक के लिए उत्तरदायी थे।

(32) इन बाजारों में पाया गया पाटन भारित औसत सामान्य मूल्य के साथ यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों के लिए भारी औसत निर्यात कीमत की तुलना के उपयोग द्वारा अनुचित ढंग से अलग किया गया है। क्योंकि यूके और फ्रांस बाजारों में सभी तीन निर्यातक उत्पादकों के लिए पाई गई पाटित स्तर की कीमतें पूर्ण या आंशिक रूप से उच्चतर या अधिकांशत: अन्य समुदाय बाजारों में अपाटित कीमतों द्वारा क्षतिपूर्ति की

दायित्व लागू है जो अधिनियम की धारा 777 ए (डी) (1) (बी) । अधिनियम की धारा 777 ए (डी) (1) (बी) में विभाग के लिए अपेक्षित है। (1) यह जांच करना कि क्या तुलनीय वस्तुओं के लिए निर्यात कीमतों में ऐसा कोई रुझान है जो खरीददारों, क्षेत्रों या समयावधियों के लिए काफी अलग-अलग है और यदि ऐसा रुझान मौजूद है (2) यह स्पष्ट करना कि ऐसे रुझान पर औसत या सौदावार तुलना पद्धतियों के प्रयोग द्वारा क्यों विचार नहीं किया जा सकता है। इस अधिनियम में विभाग के लिए यह समझना आवश्यक नहीं है कि ऐसा रुझान क्यों उत्पन्न हुआ।

[90] संबंधित नोट 72

गई हैं। अत: ऐसी पद्धति किये गये पाटन की पूरी मात्रा नहीं दर्शाएगी। तदनुसार, पाटन की गणना में विभिन्न क्षेत्रों के बीच निर्यात कीमतों की प्रवृत्ति में भारी अंतर को दर्शाना उचित माना गया था।

(33) इस मामले में सौदावार तुलना को उचित वैकल्पिक तुलना पद्धति के रूप में पाया गया था क्योंकि ऐसी तुलना करने के लिए अलग-अलग सौदों के चयन की प्रक्रिया हजारों निर्यात और घरेलू सौदों को देखते हुए काफी अव्यावहारिक और मनमानी समझी गई थी[91]।"

57. अंतत: आवेदक ने यह दलील देने के लिए *यूएस - विभेदात्मक कीमत निर्धारण पद्धति* में डब्ल्यूटीओ पैनल निर्णय पर भरोसा किया है कि वर्तमान जांच में शून्य पद्धति को अपनाया जा सकता है[92]। उक्त मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल ने निम्नानुसार संमुक्ति की थी:

" हम स्मरण करते हैं कि कोई व्याख्याकार ऐसे पाठ को अपनाने के लिए मुक्त नहीं होता है जो किसी संधि के पूरे खंड या पैरा को अनावश्यक या अनुपयोगी बनाने में परिणति होता होगा। अत: संदर्भात्मक विचार भी हमारे इस मत का समर्थन करते हैं कि अनुच्छेद 2.4.2 का दूसरा वाक्य डब्ल्यू-टी पद्धति के अंतर्गत शून्य केंद्रण को निषिद्ध करता है। उक्त के आधार पर हम पाते हैं कि किसी जांचकर्ता प्राधिकारी को प्रवृत्ति सौदों के लिए डब्ल्यू-टी पद्धति अपनाते समय शून्य केंद्रण का प्रयोग करने की अनुमति है।"

58. हितबद्ध पक्षकार ने अनुरोध किया है कि आवेदक ने आरंभ में 6 महीने की जांच अवधि प्रस्तावित की थी; प्राधिकारी ने जांच शुरूआत करते समय 12 महीने की पीओआई अपनाई थी। तथापि, आवेदक ने एक बार फिर सामान्य मूल्य की गणना के समय 6 महीने की जांच अवधि पर विचार करने का अनुरोध किया है[93]। यह तर्क दिया गया था कि व्यापार उपचार जांचों की प्रचालन प्रक्रियाओं के मैनुअल के अनुसार एक बार पीओआई

---

[91] *कोरिया गणराज्य के मूल के साइड-बाई-साइड रेफ्रिजरेटर के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने वाली* 28 फरवरी, 2006 का आयोग विनियम (ईसी) संख्या 355/2006; *ताईवान के मूल की निकार्डेबल कम्पैक्ट डिस्क के आयातों पर लागू निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क और सामूहिक रूप से निश्चयात्मक अनंतिम शुल्क लगाने वाला* 14 जून, 2022 को आयोग विनियम (ईसी) संख्या 1050/2002

[92] आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 35

[93] हुबेई के खंडन अनुरोध

निर्धारित होने पर बाद में उसे बदला नहीं जा सकता है[94]। अन्य हितबद्ध पक्षकार ने यह अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने अपने विवेकानुसार 12 महीने की पीओआई निर्धारित की है और इसलिए उसमें बदलाव करने का कोई कारण नहीं है[95]। हमने भी अनुरोध किया गया था कि प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और शुल्क की दर के आकलन के प्रयोजनार्थ समग्र रूप से पीओआई के विश्लेषण की रही है[96]।

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि डब्ल्यू-टी पद्धति को लागू करने के लिए पहले यह निर्धारित होना चाहिए कि विभिन्न खरीददारों, क्षेत्रों या समयावधियों के बीच निर्यात कीमत में भारी अंतर है और ऐसे अंतर पर डब्ल्यू-डब्ल्यू पद्धति या टी-टी पद्धति को अपनाकर उचित ढंग से विचार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान जांच में आवेदक ने दावा किया है कि निर्यात कीमत में एक प्रवृत्ति है जो विभिन्न समय अवधियों में अलग-अलग है, क्योंकि पीओआई के पूर्वाध (अर्थात अप्रैल से सितंबर, 2021) में निर्यात कीमत पीओआई के उत्तरार्ध (अर्थात अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022) में निर्यात कीमत से काफी अधिक रही है। इस दावे की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस के आयात आंकड़ों और निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर पीओआई के पूर्वाध में निर्यात कीमत के साथ पीओआई के उत्तरार्ध में निर्यात कीमत की तुलना की है। निर्यात कीमत में अंतर नीचे तालिका में दिया गया है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	पीओआई का पूर्वाध	पीओआई का उत्तरार्ध
चीन जन. गण. से निर्यात#				
1.	निर्यात कीमत	रू./केजी	729	716
2.	आयातों की मात्रा	एमटी	147	338

 # डीजीसीआई एंड एस द्वारा सूचित आंकड़ों के अनुसार

[94] हुबेई के खंडन अनुरोध, पृष्ठ 2

[95] हुबेई के खंडन अनुरोध

[96] हुबेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ 7

60. आवेदक ने दावा किया है कि 2021-22 के उत्तरार्ध में निर्यात कीमत तब कम हुई जब वास्तव में कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि हुई और इस अवधि में पाटन मार्जिन बढ़ गया है। आवेदक का दावा है कि यह निर्यात कीमत में ऐसी प्रवृत्ति दर्शाता है जो विभिन्न समयावधियों में काफी अलग-अलग है। आवेदक ने तर्क दिया है कि पीओआई के पूर्वाध में लगभग कोई आक्रामक कीमत नहीं होने से पीओआई के उत्तरार्ध में निर्यातकों द्वारा आक्रामक पाटन किया गया है[97]। आवेदक ने दावा किया गया है कि चीन के निर्यातकों की सीआईएफ निर्यात कीमत कच्ची सामग्री की लागत में परिवर्तन के अनुसार रही है। आवेदक ने प्राधिकारी से पीओआई के उत्तरार्ध में कच्ची सामग्री की लागतों में वृद्धि और पीओआई के उत्तरार्ध में सीआईएफ आयात कीमत में बदलाव के बीच असमानता को नोट करने का अनुरोध किया है।

61. निर्यात कीमत में अंतर के संबंध में कच्ची सामग्री की लागत में अंतर के बारे में हुबेई ने दावा किया है कि कच्ची सामग्री की लागत आवेदक द्वारा किये गये दावे के अनुसार नहीं बढ़ी है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि चीन के उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति में प्रचालन नहीं करते हैं। अत: उनकी लागत और कीमतें स्वीकार नहीं की जानी चाहिए[98]। आवेदक ने बताया है कि उसने विभिन्न असंबद्ध स्रोतों से कच्ची सामग्री खरीदी है जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें दर्शाती है। यह दावा किया गया है कि यदि चीन के उत्पादकों/निर्यातकों की कच्ची सामग्री की लागत अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की कीमत से कम होती है तो यह निष्कर्ष होना चाहिए कि प्रतिवादी निर्यातकों की निविष्टि की कीमतें विकृत हैं[99]।

62. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति में प्रचालन नहीं करते हैं और इसलिए लागत और कीमत स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यह नोट किया जाए कि चीन के निर्यातकों की निविष्टि लागत में कोई विकृति पाटन के आकलन में ध्यान में ली जाए, क्योंकि प्राधिकारी ने चीन के निर्यातकों का सामान्य मूल्य एडी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के आधार पर परिकलित किया है। प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य की गणना करते समय पहले ही चीन के निर्यातकों की इनपुट कीमतों की विकृतियों पर विचार करने के लिए आवश्यक समयोजन किये हैं। आवेदक के तर्क को

---

[97] आवेदक के लिखित अनुरोध

[98] आवेदक का खंडन, पैरा 24

[99] तदेव, पैरा 25

स्वीकार करने का प्रभावी अर्थ परिकलित निर्यात कीमत को अपनाना होगा जिसे केवल सीमित परिस्थिति में अनुमति दी जा सकती है। अर्थात जब आयातक और निर्यातक या किसी तीसरे पक्ष के बीच एसोसिएशन या क्षति पूर्ति व्यवस्था सिद्ध की गई हो[100]।

63. जैसा उक्त तालिका से देखा गया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न समयावधियों के बीच निर्यात कीमत में अधिक अंतर की कोई प्रवृत्ति नहीं है। पीओआई के उत्तरार्ध और पीओआई के पूर्वाध की निर्यात कीमत के बीच अंतर केवल मामूली है। अत: प्राधिकारी डब्ल्यू-टी पद्धति के आधार पर पाटन मार्जिन की गणना के लिए कोई वैध और न्यायोचित कारण नहीं पाते हैं। अत: प्राधिकारी डब्ल्यू-डब्ल्यू पद्धति के आधार पर पाटन मार्जिन आकलित किया है। शून्य केंद्रण के संबंध में आवेदक के तर्क के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि डब्ल्यूटीओ पैनल और अपीलीय निकाय ने निरंतर यह माना है कि पाटनरोधी करार के अंतर्गत "शून्य केंद्रण" की अनुमति नहीं है[101]।

64. संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए प्रस्तावित पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	सामान्य मूल्य रू./एमटी)	निवल निर्यात कीमत रू./एमटी)	पाटन मार्जिन रू./एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन रेंज
1.	हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी	***	***	***	***	10-15%

[100] सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(ख) देखें; पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 2.3 भी देखें।

[101] *अपीलीय निकाय रिपोर्ट यूरोपीय समुदाय भारत से कॉटन टाइप बेड लीनेन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क, डब्ल्यूटी/डीएस141/एबी/आर 12 मार्च, 2001 को स्वीकृति; अपीलीय निकाय रिपोर्ट, अमरीका शून्य केंद्रण पद्धति की निरंतर मौजूदगी और प्रयोग डब्ल्यूटी/डीएस350/एबी/आर 19 फरवरी, 2009 को स्वीकृति; अपीलीय निकाय रिपोर्ट अमरीका पाटन मार्जिन की गणना के लिए कानून, विनियम और पद्धति (शून्य केंद्रण) डब्ल्यूटी/डीएस294/एबी/आर 9 मई, 2006 को स्वीकृति; अपीलीय निकाय रिपोर्ट अमरीका - शून्य केंद्रण और निर्णायक समीक्षाओं से संबंधित उपाय डब्ल्यूटी/डीएस322/एबी/आर, 23 जनवरी, 2007 को स्वीकृति; पैनल रिपोर्ट अमरीका कोरिया से उत्पाद वाले पाटनरोधी उपाय में शून्य केंद्रण का उपयोग डब्ल्यूटी/डीएस402/आर 24 फरवरी, 2011 को स्वीकृति।*

क्र. सं.	विवरण	सामान्य मूल्य रू./एमटी)	निवल निर्यात कीमत रू./एमटी)	पाटन मार्जिन रू./एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन रेंज
	कंपनी लिमिटेड					
2.	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	10-15%

*****

क्षति के आकलन की पद्धति और कारणात्मक संबंध की जांच

65. अनुबंध-2 के साथ पठित एडी नियमावली 1995 के साथ पठित एडी नियमावली 1995 के नियम-11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाते हों, " ....पाटित आयातों की मात्रा ,समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए.. "... इसके अलावा, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में यह जांच करना आवश्यक समझा गया है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती ।

66. आवेदक ने प्राधिकारी से पीओआई के पूर्वाध और पीओआई के उत्तरार्ध के दौरान क्षति की प्रवृत्ति की अलग-अलग जांच करने के लिए अर्धवार्षिक आधार पर क्षति विश्लेषण करने का अनुरोध किया है। आवेदक ने बताया है कि अनेक जांच में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के निष्पादन का तिमाही वार/अर्धवार्षिक विश्लेषण किया है[102]।

---

[102] आस्ट्रेलिया, चीन जन. गण., ईरान, मलेशिया, रूस और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच; चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ग्लेस्ड/अनग्लेस्ड/ओसलीन/विट्रफाइड टाइल्स पॉलिस्ड या अनपॉलिस्ड फिनिश में 3 प्रतिशत से कम जल अवशोषण के साथ" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच; चीन जन. गण. के मूल के/निर्यातित फ्लैट बेस स्टील व्हील के आयातों से संबंधित

67. प्राधिकारी ने नीचे पैराग्राफ में घरेलू उद्योग की स्थिति पर पाटित आयात के प्रभाव की जांच की है, जहां कहीं अपेक्षित हो, प्राधिकारी ने पीओआई के पूर्वाध और पीओआई के उत्तरार्ध में प्रवृत्तियों की अलग से जांच की है।

झ. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

झ.1 मांग का आकलन

झ.1.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

68. घरेलू उद्योग पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये है:

क. आवेदक ने प्राधिकारी से अर्धवार्षिक आधार पर क्षति विश्लेषण करने का अनुरोध किया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने अनेक पूर्व जांचों में क्षति जांच का अर्धवार्षिक विश्लेषण किया था।

ख. संबद्ध देश से आयात की मात्रा में पीओआई के पूर्वाध के दौरान गिरावट आई है और पीओआई के उत्तरार्ध में काफी वृद्धि हुई[103]।

ग. उत्पादन और खपत के संबंध में आयात में भी यही प्रवृत्ति रही है[104]।

घ. आयात में वृद्धि समग्र और भारत में उत्पादन तथा खपत दोनों तरह से हुई थी[105]।

पाटनरोधी जांच (कुछ मापदंड); यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डी (-) पैरा हाइड्राक्सी फिनाइल, ग्लाइसीन बेस (पीएचपीजी बेस) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच; यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित 1500 सिरीज और 1700 सिरीज के स्टायरिन बुटाडीन रबड़ एसबीआर से संबंधित पाटनरोधी जांच; चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीवीसी फ्लैक्स फिल्म के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

[102] आवेदन का खंडन, पैरा 15 और 16

[103] आवेदन पैरा 60

[104] आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 40

[105] तदेव

ङ. आयातों में पीओआई के पूर्वाध की तुलना में पीओआई के उत्तरार्ध में 3.5 गुना वृद्धि हुई है[106]।

झ.1.2 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध</u>

69. आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

क. संबद्ध देश से आयातों में 2018 से 2022 तक की वृद्धि का कारण पाटन नहीं है, बल्कि डाउनस्ट्रीम उद्योग के विकास के बाद भारतीय बाजार में मांग में वृद्धि होना है[107]।

ख. चीन जन. गण से आयात क्षति अवधि के दौरान किसी भी समय याचिकाकर्ता की बिक्रियों पर किसी प्रकार का मात्रात्मक दबाव नहीं डाल रहे थे[108]।

ग. मांग में गिरावट के कारण संबद्ध देश से आयात में भी गिरावट आई है जबकि याचिकाकर्ताओं की बिक्रियों में थोड़ी वृद्धि हुई[109]।

घ. चीन जन. गण. से उत्पादन और भारत में मांग की दृष्टि से आयातों के हिस्से में जांच की अवधि की दौरान निरंतर गिरावट आई है[110]।

झ.1.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

70. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। डीजीसीआई एंड एस के सौदावार आयात आंकड़ों पर क्षति आकलन के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है। प्राधिकारी ने पीओआई के बाद की अवधि अर्थात

[106] तदेव

[107] हुबेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ 8

[108] तदेव, पृष्ठ 9

[109] तदेव

[110] तदेव, पृष्ठ 10

(अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022) के 6 महीनों में आयातों की प्रवृत्ति की भी जहां आवश्यक हो, इस आकलन के लिए जांच की है कि क्या पीओआई के दौरान रुझान बने रहे हैं। यह नोट किया गया है कि पीओआई के बाद की जांच की आमतौर पर किसी मूल जांच में जरूरत नहीं होती है। तथापि, वर्तमान जांच की वास्तविक परिस्थितियां इसकी मांग करती हैं। आवेदक ने मूल आवेदन में प्राधिकारी से पीओआई अक्टूबर, 2021 - मार्च, 2022 के लिए पाटन और क्षति निर्धारित करने का अनुरोध किया था। तथापि, आवेदक द्वारा प्रदत्त कारण उक्त अवधि को पीओआई के रूप में स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अत: प्राधिकारी ने जांच शुरूआत सूचना के जरिये अप्रैल, 2021 - मार्च, 2022 को पीओआई के रूप में संशोधित किया। आगे विश्लेषण पर यह पाया गया कि अप्रैल, 2021 - सितंबर, 2021 (एच1) की अवधि में क्षति नहीं हुई थी जिससे जांच दल के लिए आगे विचार करना आवश्यक हो गया कि क्या अक्टूबर, 2021 - मार्च, 2022 (एच2) की अवधि, विपथन की अवधि थी या क्षति जारी रहने की अवधि थी। इसलिए जांच दल ने इसके निर्धारण के लिए अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के लिए पीओआई के बाद 6 महीनों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है।

71. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की आयाता मात्राएं निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
1.	आवेदक की घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	103	-	-	101
2.	अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	एमटी	0	0	0	0	0	0
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	0	0	0	-	-	0
3.	संबद्ध देश से आयात	एमटी	839	662	397	147	338	485
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	47	-	-	58
4.	अन्य देशों से आयात	एमटी	26	0	0	0	0	0
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	0	0	-	-	0
5.	**कुल आयात**	**एमटी**	**865**	**662**	**397**	**147**	**338**	**485**
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	46	-	-	56

6.	**कुल मांग/खपत (डीआई की आबद्ध खपत को छोड़कर)**	**एमटी**	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	79	-	-	82
7.	**कुल मांग/खपत (डीआई की आबद्ध खपत सहित)**	**एमटी**	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	86	-	-	91

72. भारत में विचाराधीन उत्पाद की कुल मांग/खपत में आधार वर्ष से पीओआई तक गिरावट आई है। तथापि, आवेदक की घरेलू बिक्रियों में आधार वर्ष से पीओआई में मामूली सुधार हुआ है। भारत में ऐसे कोई अन्य उत्पादक नहीं हैं जो घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद को बचे रहे हैं। संबद्ध देश से आयातों में आधार वर्ष से पीओआई तक गिरावट आई है जबकि अन्य देशों से आयात वर्ष 2019-20 तक पीओआई से शून्य रहे हैं। आवेदक की यह दलील है कि पीओआई की पूर्वाध की तुलना में पीओआई के उत्तरार्ध में आयातों में वृद्धि हुई है। यह देखा गया है कि आवेदक की घरेलू बिक्री में पूर्वाध की तुलना पीओआई के उत्तरार्ध में मामूली गिरावट आई है। तथापि, पीओआई के दौरान आवेदक की समग्र बिक्रियों में आधार वर्ष की तुलना में थोड़ी वृद्धि हुई है और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में इसमें मामूली गिरावट आई है।

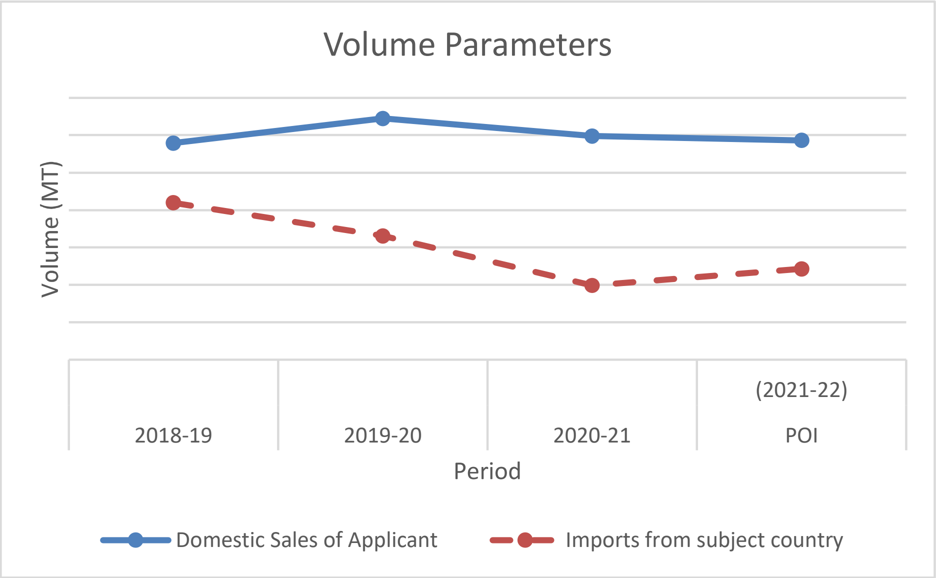

क्षति अवधि के दौरान मात्रात्मक प्रभाव

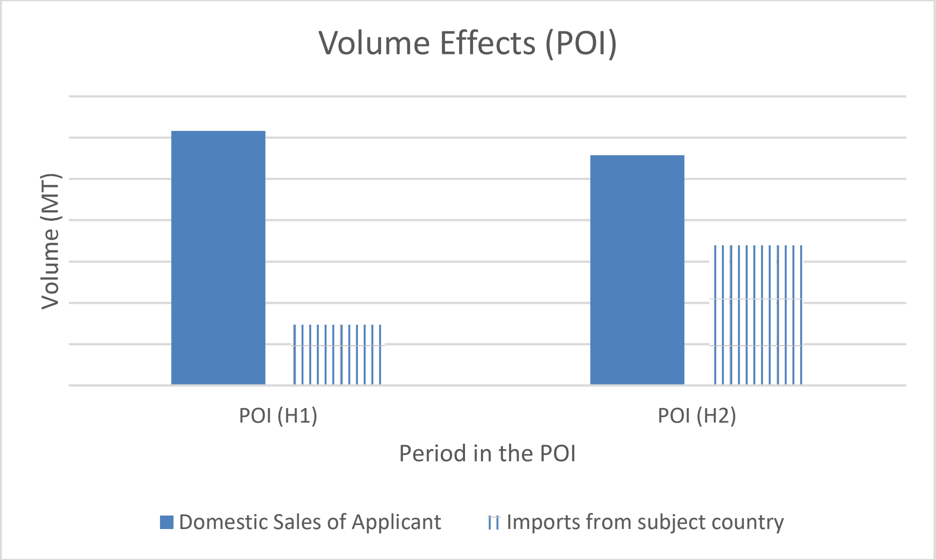

मात्रात्मक प्रभाव (पीओआई)

झ.2 आयात माएं और बाजार हिस्सा

झ.2.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध</u>

73. आयात मात्राओं और बाजार हिस्से के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

क. आवेदक के बाजार हिस्से में अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2021 तक वृद्धि हुई है। तथापि उसके बाद आयातों में वृद्धि के कारण गिरावट आई है[111]।

ख. प्रस्तावित अवधि में आयातों का बाजार हिस्सा क्षति अवधि की तुलना में अधिकतम रहा है[112]।

---

[111] आवेदन, पैरा 62

[112] तदेव

ग. चीन जन. गण. से आयातों की मात्रा में सितंबर, 2021 तक गिरावट आई है और उसके बाद काफी अधिक वृद्धि हुई थी[113]।

घ. आयातों में वृद्धि समग्र रूप से और भारत उत्पादन और खपत दोनों दृष्टि से हुई है। आयातों में अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 की तुलना में अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 की अवधि में 3.5 गुना की वृद्धि हुई है[114]।

झ.2.2 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध</u>

74. आयात मात्राओं और बाजार हिस्से के संबंध में हुबेई ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

क. चीन जन. गण. से आयातों में विचाराधीन अवधि के दौरान किसी भी समय याचिकाकर्ता की बिक्रियों पर किसी प्रकार का मात्रात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है[115]।

ख. याचिकाकर्ता की बिक्रियों में मामूली वृद्धि हुई है[116]।

ग. भारतीय उत्पादन और कुल मांग की दृष्टि से चीन जन. गण. के आयातों में देखी गई अवधि के दौरान गिरावट भी आई है[117]।

झ.2.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

75. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की आयात मात्राएं और क्षति जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा निम्नानुसार है:

---

[113] आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 40

[114] तदेव

[115] हुबेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ 9

[116] तदेव

[117] तदेव, पृष्ठ 10

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
समग्र रूप से आयात								
1.	संबद्ध देश से आयात	एमटी	839	662	397	147	338	485
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	47	n/a	n/a	58
2.	अन्य देशों से आयात	एमटी	26	0	0	0	0	0
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	0	0	0	0	0
3.	कुल आयात	एमटी	865	662	397	147	338	485
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	46	n/a	n/a	56
4.	कुल मांग/खपत (डीआई की आबद्ध खपत को छोड़कर)	एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	79	n/a	n/a	82
5.	कुल मांग/खपत (डीआई की आबद्ध खपत सहित)	एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	86	-	-	91
संबद्ध आयातों के संबंध में								
5.	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	61	39	25	59	42
6.	कुल मांग (डीआई की आबद्ध खपत को छोड़कर)	%	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	60	46	91	70

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
7.	कुल मांग (डीआई की आबद्ध खपत सहित)	%	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	55	40	86	64
8.	कुल आयात	%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	103	103	103	103

76. संबद्ध देश से आयातों में जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है चीन जन. गण. से आयात पीओआई के दौरान आधार वर्ष के दौरान लगभग आधे हो गये हैं। आधार वर्ष के दौरान अन्य देशों से आयातों की मात्रा मामूली है। तथापि, उसके बाद अन्य देशों से कोई आयात नहीं हुये हैं। पीओआई के दौरान आयातों की मात्रा में समग्र रूप से गिरावट आई है। जहां तक सापेक्ष रूप से आयातों का संबंध है उक्त तालिका से यह देखा गया है कि भारतीय उत्पादन के संबंध में आयातों में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में गिरावट आई है। भारतीय उत्पादन और भारतीय मांग के संबंध में 2020-21 की तुलना में पीओआई में संबद्ध देश से आयातों में मामूली वृद्धि हुई है; तथापि, पीओआई के दौरान भारतीय उत्पादन और भारतीय मांग की दृष्टि से आयात आधार वर्ष के स्तरों से कम रहे हैं।

77. आवेदक ने बताया है कि पीओआई के उत्तरार्ध के दौरान संबद्ध देश से आयातों में समग्र रूप से भारी वृद्धि हुई है। यद्यपि यह सच है कि आयातों में पीओआई के पूर्वाध की तुलना में पीओआई के उत्तरार्ध में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। तथापि, भारतीय उत्पादन और भारतीय मांग की दृष्टि से आयातों का हिस्सा पीओआई के उत्तरार्ध में अब भी आधार वर्ष से कम रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पीओआई के उत्तरार्ध के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियां आयात मात्राओं से काफी अधिक रही हैं। यह भी देखा गया है

कि संबद्ध आयात मात्राओं में पीओआई के पूर्वाध की तुलना में पीओआई के उत्तरार्ध के दौरान *** प्रतिशत की वृद्धि हुई है। (अर्थात *** एमटी से *** एमटी) जबकि आवेदक की घरेलू बिक्रियों में *** प्रतिशत की गिरावट आई है। (अर्थात *** एमटी से *** एमटी) इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में गिरावट पीओआई के उत्तरार्ध के दौरान आयातों की मात्रा में वृद्धि के अनुपात में नहीं रही है। पीओआई के उत्तरार्ध के दौरान आयातों की मात्रा में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग ने पर्याप्त बिक्री मात्राएं बनाये रखीं। इसके अलावा, यह नोट किया जाए कि आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान कुल मांग में गिरावट आई थी जिसने संभवत: घरेलू उद्योग की बिक्री मात्राओं में गिरावट में भी योगदान दिया होगा।

78. प्राधिकारी ने नीचे तालिका में पीओआई के बाद आयातों की प्रवृत्ति की जांच भी की है। यह देखा गया है कि पीओआई के तत्काल बाद की 6 महीने की अवधि (अर्थात अप्रैल से सितंबर, 2022) में आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पीओआई के बाद 6 महीने की अवधि के दौरान आयात मात्राएं आधार वर्ष (12 महीने) के दौरान आयात मात्राओं के लगभग बराबर हैं। तथापि, पीओआई के बाद 6 महीने की अवधि में आयातों की पहुंच कीमत पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में काफी अधिक हैं। वास्तव में अप्रैल से सितंबर, 2022 के दौरान आयातों की पहुंच कीमत उच्चतम स्तर पर है और वह पीओआई के उत्तरार्ध में पहुंच कीमत से *** प्रतिशत अधिक है और आधार वर्ष के दौरान पहुंच कीमत से *** प्रतिशत अधिक है। पीओआई के बाद इस 6 महीने की अवधि के दौरान पहुंच कीमत पीओआई से परिकलित एनआईपी से भी अधिक है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	आधार वर्ष (2018-19)	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)	पीओआई पश्चात (अप्रैल – सितंबर 2022)
1.	संबद्ध देश से आयात	एमटी	839	147	338	485	799

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	आधार वर्ष (2018-19)	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)	पीओआई पश्चात (अप्रैल – सितंबर 2022)
2.	अन्य देशों से आयात	एमटी	26	0	0	0	-
3.	कुल आयात	एमटी	865	147	338	485	799
4.	पहुंच कीमत	रू./केजी	787	841	837	838	978
5.	डीआई की बिक्री कीमत	रू./केजी	***	***	***	***	***

79. प्राधिकारी ने नीचे तालिका में आयातों तथा घरेलू उद्योग के (आबद्ध बिक्रियों को छोड़कर) बाजार हिस्से का आकलन किया है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
1.	आवेदक की घरेलू बिक्रियां	%	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	131	141	109	124
2.	अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	0	0	0	0	0	0
3.	संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	61	46	93	85
4.	अन्य देशों से आयात	%	1%	0	0	0	0	0
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	0	0	0	0	0
5.	**कुल आयात**	**%**	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	58	45	88	85

80. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान सुधार हुआ है। जबकि संबद्ध देश से आयात के बाजार हिस्से में इस अवधि के दौरान गिरावट आई है। पीओआई के उत्तरार्ध में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा *** प्रतिशत है जबकि संबद्ध देश से आयातों का बाजार हिस्सा *** प्रतिशत है। यह देखा गया है कि पीओआई के उत्तरार्ध में घरेलू उद्योग के हिस्से में पीओआई के पूर्वाध तथा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। दूसरी ओर संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में पीओआई के उत्तरार्ध में वृद्धि हुई है।

81. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के दौरान देखे गये मात्रात्मक रुझानों की तुलना नीचे दी गई तालिका में चीन जन. गण. से मेट्रोनिडाजोल के आयातों के ऐतिहासिक रुझानों के साथ की है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	जनवरी-दिसंबर 2010*	जनवरी-जून 2011*	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (2021-22)
1.	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	268	175	***	***	***	***
2.	अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	एमटी	466	466	0	0	0	0
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	0	0	0	0
3.	घरेलू उत्पादकों की कुल बिक्रियां	एमटी	734	641	***	***	***	***
4.	संबद्ध देश से आयात	एमटी	1,133	1,049	839	662	397	485
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	74	58	35	58
5.	अन्य देशों से आयात	एमटी	0	92	26	0	0	0
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	28	0	0	0
6.	कुल आयात	एमटी	1,133	1,141	865	662	397	485
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	76	58	35	58
7.	मांग/उपभोग (डीआई की आबद्ध खपत को छोड़कर)	एमटी	1,867	1,782	***	***	***	***
मांग में बाजार हिस्सा (डीआई की आबद्ध बिक्री को छोड़कर)								
8.	घरेलू उद्योग	%	14.38%	9.82%	***	***	***	***
9.	अन्य उत्पादक	%	24.94%	26.14%	0%	0%	0%	0%
10.	संबद्ध देश से आयात	%	60.68%	58.88%	***	***	***	***
11.	अन्य देशों से आयात	%	0%	5.16%	1%	0	0	0

*मेट्रोनिडाजोल संबंधी पूर्ववर्ती जांच के दूसरे एसएसआर के अंतिम जांच परिणामों के अनुसार[118]

82. मेट्रोनिडाजोल संबंधी पूर्ववर्ती जांच की दूसरी एसएसआर की जांच अवधि जनवरी से दिसंबर, 2010 थी। प्राधिकारी ने जनवरी से जुलाई, 2011 के पीओआई के बाद के आंकड़ों का भी इसमें विश्लेषण किया था। जैस उक्त तालिका से देखा जा सकता है। वर्ष 2010 और 2011 में मेट्रोनिडाजोल की मांग पीओआई के दौरान मेट्रोनिडाजोल के मांग के समान है जबकि वर्ष 2010 और 2011 में चीन से निर्यातों का काफी बड़े बाजार हिस्से पर कब्जा था। तथापि, क्षति अवधि और वर्तमान जांच की पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग का काफी बड़ा हिस्सा है।

***

ञ **<u>कीमत प्रभाव</u>**

ञ.1 पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

ञ.1.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

83. कीमत प्रभाव के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. पीओआई के दौरान संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है[119]।

ख. पूरी जांच अवधि में पीओआई को छोड़कर कीमत कटौती ऋणात्मक रही थी[120]।

ग. कीमत कटौती अप्रैल से सितंबर, 2021 के दौरान भी ऋणात्मक रही थी[121]।

---

[118] अंतिम जांच परिणाम सं. 15/9/2003-डीजीएडी दिनांक 29 जून, 2012, ''चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेट्रोनिडाजोल के आयातों से संबंधित लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा, पैरा 20 https://dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_SSR2_metronidazole_chinaPR.pdf

[119] आवेदन पैरा 75

[120] तदेव पैरा 75

[121] आवेदक के लिखित अनुरोध पैरा 42

घ. पीओआई के दौरान कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है[122]।

ड. पीओई से पहले आयातों की पहुंच कीमत आवेदक की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से अधिक थी और इसलिए आवेदक तर्कसंगत कीमतें प्राप्त करने में समर्थ था[123]।

च. पीओआई के दौरान बिक्री लागत में वैश्विक रूप से वृद्धि हुई, परंतु आयातों की पहुंच कीमत में लागत से भी कम गिरावट आई। घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुपात में अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि करने में असमर्थ रहा है[124]।

छ. अक्टूबर, 2021 – मार्च, 2022 की अवधि से पहले आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से अधिक थी। तथापि, अक्टूबर, 2021 – मार्च, 2022 में बिक्री लागत में तेजी से वृद्धि हुई परंतु आयातों की पहुंच कीमत में लागत से कम गिरावट आई है[125]।

ज. अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 की अवधि की तुलना में भी पहुंच कीमत में गिरावट आई है। यद्यपि बिक्री लागत में वृद्धि हुई है[126]।

ञ.1.2 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध</u>

84. कीमत प्रभाव के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान 23 प्रतिशत तक की भारी वृद्धि हुई है[127]।

---

[122] आवेदन पैरा 76
[123] तदेव पैरा 79
[124] तदेव पैरा 79
[125] आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 44
[126] तदेव पैरा 45
[127] हुबेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ 10

ख. चीन से आयातों की पहुंच कीमत आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान लगभग समान रहीं है, क्योंकि उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रयुक्त कच्ची सामग्री की कीमत में कोई खास उतार-चढ़ाव नहीं हुआ है[128]।

ग. संपूर्ण क्षति अवधि में कीमत कटौती ऋणात्मक है और पीओआई के दौरान थोड़ी सकारात्मक है[129]।

घ. घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में उच्चतर कीमत पर बिक्री के लिए कीमत में वृद्धि की स्थिति में है[130]।

ञ.1.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

85. घरेलू उद्योग की कीमतों पर संबद्ध देश से पाटित आयातों के प्रभाव की कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण यदि कोई हो, के संदर्भ जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

ञ.2 कीमत कटौती प्रभाव

86. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे उत्पादों का प्रभाव अन्यथा कीमत में कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती।

---

[128] तदेव पृष्ठ 10

[129] तदेव, पृष्ठ 10 और 11

[130] तदेव, पृष्ठ 11

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
1.	आयात मात्रा	एमटी	839	662	397	147	338	485
2.	पहुंच मूल्य	रू./एमटी	7,87,082	7,46,700	8,30,524	8,40,696	8,36,797	8,37,977
3.	निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर)	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	108	109	115	112
4.	कीमत कटौती	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-22	-34	-57	97	19
5.	कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***	***
	रेंज	सूचीबद्ध	(0-5)	(0-5)	(0-5)	(0-5)	0-5	0-5
6.	घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	99	115	138	126

87. पीओआई को छोड़कर संपूर्ण जांच अवधि में कीमत कटौती नकारात्मक है। पीओआई में कीमत कटौती *** प्रतिशत है। पीओआई के उत्तरार्ध के दौरान कीमत कटौती *** प्रतिशत थी। आयातों की पहुंच कीमत केवल पीओआई के उत्तरार्ध में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम रही है। पीओआई के पूर्वाध में भी आयातों की पहुंच कीमत निवल बिक्री प्राप्ति से अधिक रही थी। यह नोटिस किया गया है कि आधार वर्ष से 2020-21 से यद्यपि घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति पहुंच कीमत से कम थी। तथापि, घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंड (पैराग्राफ 110 की तालिका में यथा उल्लिखित) सकरात्मक और काफी अधिक थे। घरेलू उद्योग पीयूसी को संबद्ध आयातों से कम कीमत पर बेच कर भी इस अवधि के दौरान लाभप्रद रहा था।

88. आवेदक ने तर्क दिया है कि विशेष रूप से पीओआई के उत्तरार्ध में पीओआई के दौरान कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि हुई है जबकि संबद्ध वस्तु की आयात कीमत उसी क्रम नहीं चली है[131]। आवेदक ने अनुरोध किया कि कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि के

[131] आवेदक के लिखित अनुरोध पैरा 22-24

साथ निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए थी। तथापि ऐसा नहीं हुआ है[132]। दूसरी ओर हुबेई ने बताया कि कच्ची सामग्रियों की उसकी कीमतों में कोई खास उतार-चढ़ाव नहीं हुआ है[133]। तथापि, हुबेई ने इस दावे को सही ठहराने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि चूंकि चीन के उत्पादक गैर-बाजार की दशाओं में कार्य करते हैं इसलिए चीन में कच्ची सामग्री की कीमतें बाजार शक्तियों द्वारा तय नहीं की जाती हैं[134]। आवेदक ने बताया कि चीन की कच्ची सामग्री की कीमत भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की कीमत दोनों से काफी कम हैं[135]। आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसने अनेक स्रोतों से कच्ची सामग्री खरीदी है जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत दर्शाती हैं[136]। आवेदक ने उसकी कच्ची सामग्री की कीमत में उतार-चढ़ाव के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की है[137]।

स्रोत	**घरेलू**			**आयातित**		
अवधि	**2020-21**	**2021-22**	**वृद्धि**	**2020-21**	**2021-22**	**वृद्धि**
2 मिथाइल 5-नाइट्रो इमिडाज़ोल	***	***	***	***	***	***
फॉर्मिक एसिड 85%	***	***	***	***	***	***
इथिलीन ऑक्साइड	***	***	***	***	***	***
एनहाईड्रस अमोनिया गैस	***	***	***	***	***	***

यूनिट: रू./एमटी

89. आवेदक का यह दावा कि भारत में कच्ची सामग्री की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की कीमतों के क्रम में चलती हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत से कच्ची

132 तदेव
133 हुबेई के लिखित अनुरोध पृष्ठ 10
134 आवेदक का खंडन, पैरा 25
135 तदेव
136 आवेदक का खंडन, पैरा 25
137 तदेव

सामग्री की कीमत में उतार-चढ़ाव कच्ची सामग्री अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के समान नहीं है। इसके अलावा, भारत में कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में काफी अधिक वृद्धि हुई है। भारतीय कच्ची सामग्री की कीमतें पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान लगभग 27 प्रतिशत बढ़ी हैं। जबकि कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान केवल लगभग *** प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि केवल 2 मिथाइल 5-नाइट्रो इमिडाज़ोल के संबंध में हुई है और अन्य कच्ची सामग्री के लिए नहीं ।

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के दौरान घरेलू कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि ने आवेदक की निवल बिक्री प्राप्ति में वृद्धि में योगदान दिया है जिससे ऐसी स्थिति बनी है जिसमें पीओआई के दौरान कीमत कटौती सकारात्मक है। यह भी देखा गया है कि पीओआई के पूर्वाध के दौरान कीमत कटौती नकारात्मक है जबकि पीओआई के केवल उत्तरार्ध में कीमत कटौती सकारात्मक है।

ञ.3 कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

91. यह आकलन करने के लिए कि क्या संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास/न्यूनीकरण कर रहे थे और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में भारी कमी करना या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्य काफी अधिक बढ़ गई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री कीमत की तुलना में क्षति अवधि में आयातों की पहुंच कीमत के साथ की है और नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
1.	प्रति यूनिट बिक्री	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
	की लागत							
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	101	115	139	126
2.	प्रति यूनिट बिक्री की कीमत	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	108	109	115	112
3.	पहुंच कीमत	रू./एमटी	7,87,082	7,46,700	8,30,524	8,40,696	8,36,797	8,37,977
4.	घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	99	115	138	126

92. यह देखा गया है कि बिक्री लागत में आधार वर्ष से पीओआई में वृद्धि हुई है। पीओआई के उत्तरार्ध में बिक्री लागत में भारी वृद्धि हुई है। विचाराधीन उत्पाद की बिक्री कीमत में भी वृद्धि हुई है। यद्यपि बिक्री लागत में आधार वर्ष की पीओआई में *** प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री कीमत में *** प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत में आधार वर्ष से पीओआई में *** प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पीओआई के पूर्वाध से उत्तरार्ध में कच्ची सामग्री की कीमत में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और आवेदक की बिक्री लागत में *** प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान बिक्री लागत में वृद्धि कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के सीधे परिणामस्वरूप प्रतीत होती है।

93. पहुंच कीमत में भी आधार वर्ष से पीओआई में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के उत्तरार्ध के दौरान आयातों की पहुंच कीमत आवेदकों की बिक्री कीमत से कम रही है। पीओआई के उत्तरार्ध में आवेदक की बिक्री कीमत भी उसकी बिक्री कीमत से

कम रही थी जो यह दर्शाता है कि उसे पीओआई के उत्तरार्ध में घाटा उठाना पड़ा है। जैसी ऊपर चर्चा की गई। बिक्री लागत में वृद्धि कच्ची सामग्री में कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप हो सकती है। वास्तव में 2018-19 में पीओआई के पूर्वाध तक घरेलू उद्योग की पहुंच कीमत से कम रही थी और फिर भी आवेदक की लाभप्रदता और बाजार हिस्सा पर्याप्त रहा था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों का स्पष्ट कीमत ह्रासकारी/न्यूनकारी प्रभाव जो पीओआई के उत्तरार्ध में देखा गया। कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप हो सकता है जो इस अवधि के दौरान हुई थी।

ट घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

ट.1 उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

ट.1.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

94. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

क. आवेदक की घरेलू बिक्रियों में पीओआई में गिरावट आई है[138]।

ख. आवेदक के उत्पादन और क्षमता उपयोग में पीओआई के दौरान आवेदक के निर्यात बिक्रियों में वृद्धि के कारण वृद्धि हुई है[139]।

ग. आवेदक का प्राथमिक बाजार घरेलू बाजार है; तथापि, संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि के कारण आवेदक को निर्यात करना पड़ा था[140]।

[138] आवेदन, पैरा 64

[139] तदेव

[140] तदेव

घ. आवेदक की निर्यात बिक्रियों में वृद्धि हुई है। जबकि घरेलू बिक्रियों में 2019-20 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद गिरावट आई है[141]।

ट.1.2 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध</u>

95. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकार ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

क. याचिकाकर्ता की क्षमता स्थिर रही है। याचिकाकर्ता के उत्पादन और बिक्रियों में तेजी से वृद्धि हुई है[142]।

ट.1.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

96. निम्ननांकित तालिका आवेदक की क्षमता, उत्पादन और बिक्री मापदंड दर्शाती है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 एच1	2021-22 एच2	पीओआई (2021-22)
1.	स्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100	100	100
2.	उत्पादन - पीयूसी	एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	109	126	122	124
3.	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	109	126	122	124
बिक्री मात्रा								
4.	घरेलू	एमटी	***	***	***	***	***	***

141 आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 65

142 हुबेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ 12

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 एच1	2021-22 एच2	पीओआई (2021-22)
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	103	53	48	101
5.	आयात	एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	133	78	93	171
6.	क्षमता	एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	125	79	59	137
7.	घरेलू उद्योग की कुल बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	114	64	61	124
8.	संबद्ध आयात	एमटी	865	662	397	147	338	485

97. यह देखा गया है कि:

i. आवेदक की स्थापित क्षमता पूरी क्षति अवधि और पीओआई में स्थिर बनी रही है।

ii. उत्पादन और क्षमता उपयोग में आधार वर्ष से पीओआई में वृद्धि हुई है। उत्पादन और क्षमता उपयोग में आधार वर्ष से 2019-20 में वृद्धि हुई है और वर्ष 2019-20 में मामलूी गिरावट आई है और पीओआई के दौरान एक बार फिर वृद्धि हुई है। पीओआई के उत्तरार्ध में (जब घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की कीमत में भारी वृद्धि हुई थी) क्षमता उपयोग *** प्रतिशत है जो काफी अधिक है।

iii. घरेलू बिक्रियों में कथित कीमत कटौती के बावजूद आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान मामूली वृद्धि हुई है। आवेदक की घरेलू बिक्रियां वर्ष 2019-20 के दौरान उच्चतम स्तर पर थीं और उसके बाद उनमें गिरावट आई है। निर्यात बिक्रियों और कच्ची सामग्री की आबद्ध खपत में आधार वर्ष से पीओआई में निरंतर वृद्धि हुई है। आवेदक ने तर्क दिया है कि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा

में वृद्धि के कारण उन्होंने अपना फोकस घरेलू बाजार से निर्यात बाजारों की ओर करना शुरू कर दिया है।

iv. आवेदक की समग्र बिक्रियों अर्थात (घरेलू बिक्रियां + निर्यात बिक्रियां + आबद्ध बिक्रियां) में पूरी जांच अवधि में निरंतर वृद्धि हुई है। फिर भी आवेदक की घरेलू बिक्रियों में जांच अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि नहीं देखी गई है।

98. आवेदक का यह तर्क कि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में वृद्धि के कारण उन्हें अपना फोकस निर्यात बाजारों पर करना पड़ा, व्यवहार्य नहीं है। यदि मामला ऐसा होता तो आवेदक की निर्यात बिक्रियों में संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि के साथ वृद्धि होती ओर कमी के साथ कमी होती। तथापि, ऐसा नहीं हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान संबद्ध देश से आयात मात्राएं पीओआई के दौरान आयात मात्राओं से काफी अधिक थीं फिर भी आवेदक की निर्यात बिक्रिया वर्ष 2018-19 से 2019-20 के दौरान पीओआई के दौरान उनकी निर्यात बिक्रियों से कम रही थीं। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2020-21 के दौरान यद्यपि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अत्यंत कम रही थी (जांच के सभी वर्षों में न्यूनतम) तथापि, आवेदक ने पीयूसी का भारी मात्रा में निर्यात किया है। आगे यह भी नोट किया जाए कि निर्यात बिक्रियों में वृद्धि को इस तथ्य को देखते हुए कथित पाटन की प्रतिक्रिया नहीं माना जा सकता है कि निर्यात बाजार हमेशा से आवेदक के लिए अधिक कीमत आकर्षक रहा है। यही निष्कर्ष निम्नांकित तालिका से निकाला जा सकता है:

विवरण	**यूओएम**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22 एच1**	**2021-22 एच2**	**2021-22**
बिक्री मात्रा							
घरेलू	एमटी	***	***	***	***	***	***
निर्यात	एमटी	***	***	***	***	***	***
आबद्ध	एमटी	***	***	***	***	***	***

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 एच1	2021-22 एच2	2021-22
बिक्री मात्रा							
घरेलू	रू. लाख	***	***	***	***	***	***
निर्यात	रू. लाख	***	***	***	***	***	***

99. इसके अलावा, वर्ष 2019-20 से वर्ष 2020-21 तक संबद्ध देशों से आयाता मात्राएं *** प्रतिशत तक घटी थीं जबकि आवेदक के निर्यात बिक्रियों में इसी अवधि के दौरान *** प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यह सच है कि पीओआई के दौरान संबद्ध देश से आयात मात्राओं में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इससे ऊपर की गई जांच के अनुसार पीयूसी के निर्यात के आवेदक के रुझान से सीधे सहसंबंध प्रतीत नहीं होता है।

100. यह भी नोट किया जाता है कि 2018-19 से 2020-21 तक जब आवेदक को लाभप्रदता या उसके बाजार हिस्से की दृष्टि से क्षति नहीं हो रही थी तब आवेदक की घरेलू बिक्रियां कमोबेश स्थिर रहीं हैं और केवल *** एमटी से *** एमटी के बीच उतार-चढ़ाव हुआ है। आवेदक इस अवधि के दौरान अपनी घरेलू बिक्री मात्राओं में सुधार नहीं कर पाया है जब उसे स्पष्ट रूप से संबद्ध आयातों से कोई क्षति नहीं हुई थी। फिर भी आवेदक ने अपने निर्यात बिक्री मात्राओं में वृद्धि की है। यह अवधि (2018-19 से 2020-21) ऐसी अवधि थी जब संबद्ध वस्तु के आयातों में धीर-धीरे गिरावट देखी गई थी। यह दर्शाता है कि निर्यात बाजार में बिक्री के लिए आवेदक का रुझान संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि द्वारा प्रभावित नहीं हुआ है। आवेदक संबद्ध देश से आयात मात्राओं पर विचार किये बिना अपनी निर्यात बिक्रियों में निरंतर वृद्धि कर रहा है। आवेदक ने संबद्ध से आयातों से असंबंधित कतिपय कारणों से अपनी घरेलू बिक्रियों में सापेक्ष रूप से उच्च क्षमता उपयोग के बावजूद कतिपय स्तर से आगे वृद्धि नहीं की है। वास्तव में पीओआई के

दौरान आवेदक की समग्र बिक्रियां (घरेलू, निर्यात, आबद्ध) उसकी उत्पादन क्षमता से भी अधिक रही थीं।

ट.2 बाजार हिस्सा

ट.2.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

101. बाजार हिस्से के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नालिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. आवेदक के बाजार हिस्से में अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2021 तक वृद्धि हुई है, क्योंकि संबद्ध देश से आयात में गिरावट आई है। आयातों में वृद्धि के साथ आवेदक के बाजार हिस्से में गिरावट आई है[143]।

ट.2.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध

102. बाजार हिस्से के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान याचिकाकर्ता की बिक्रियों में वृद्धि हुई है। निर्यात बिक्रियों और आबद्ध खपत बिक्रियों में भी तेजी से वृद्धि हुई है[144]।

ट.2.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

103. प्राधिकारी ने आयातों तथा घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से का नीचे तालिका में आकलन किया है:

[143] आवेदन पैरा 62

[144] हुबेई के लिखित अनुरोध, पैरा 12

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
1.	आवेदक की घरेलू बिक्रियां	%	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	131	141	109	124
2.	अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	0	0	0	0	0	0
3.	संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	60	46	91	70
4.	अन्य देशों से आयात	%	1%	0	0	0	0	0
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	0	0	0	0	0
5.	**कुल आयात**	**%**	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	58	45	88	68

104. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में सुधार हुआ है जबकि संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में इस अवधि के दौरान गिरावट आई है। पीओआई के उत्तरार्ध में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा *** प्रतिशत है जबकि संबद्ध देश से आयातों का हिस्सा *** प्रतिशत है। यह देखा गया है कि पीओआई के उत्तरार्ध के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पीओआई के पूर्वाध तथा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। दूसरी ओर संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में पीओाआई के उत्तरार्ध के दौरान वृद्धि हुई है।

105. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के दौरान देखे गये मात्रा के रुझानों की तुलना चीन जन. गण. से मेट्रोनिडाजोल संबंधी पूर्ववर्ती जांच की दूसरी निर्णायक समीक्षा के दौरान देखे गये रुझानों के साथ नीचे दी गई तालिका में की है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	जनवरी-दिसंबर 2010*	जनवरी-जून 2011*	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (2021-22)
1.	घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां	एमटी	268	175	***	***	***	***
2.	अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	एमटी	466	466	0	0	0	
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	0	0	0	0
3.	घरेलू उत्पादकों की कुल बिक्रियां	एमटी	734	641	***	***	***	***
4.	संबद्ध देश से आयात	एमटी	1,133	1,049	839	662	397	485
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	74	58	35	
5.	अन्य देशों से आयात	एमटी	0	92	26	0	0	0
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	28	0	0	0
6.	कुल आयात	एमटी	1,133	1,141	865	662	397	485
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	76	58	35	
7.	मांग/उपभोग (डीआई की आबद्ध बिक्री को छोड़कर)	एमटी	1,867	1,782	***	***	***	***
मांग में बाजार हिस्सा (डीआई की आबद्ध बिक्री को छोड़कर)								
8.	घरेलू उद्योग	%	14.38%	9.82%	***	***	***	***
9.	अन्य उत्पादक	%	24.94%	26.14%	***	***	***	***
10.	संबद्ध देश से आयात	%	60.68%	58.88%	***	***	***	***
11.	अन्य देशों से आयात	%	0%	5.16%	***	***	***	***

*मेट्रोनिडाजोल संबंधी पूर्ववर्ती जांच की दूसरी एसएसआर के अंतिम जांच परिणाम के अनुसार[145]

106. मेट्रोनिडाजोल संबंधी पूर्ववर्ती जांच की दूसरी एसएसआर की जांच अवधि जनवरी से दिसंबर, 2010 थी। प्राधिकारी ने जनवरी से जुलाई, 2011 के पीओआई के बाद के आंकड़ों का भी इसमें विश्लेषण किया था। जैस उक्त तालिका से देखा जा सकता है। वर्ष 2010 और 2011 में मेट्रोनिडाजोल की मांग पीओआई के दौरान मेट्रोनिडाजोल के मांग के समान है जबकि वर्ष 2010 और 2011 में चीन से निर्यातों का काफी बड़े बाजार हिस्से पर कब्जा था। तथापि, क्षति अवधि और वर्तमान जांच की पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग का काफी बड़ा हिस्सा है।

ट.3 लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ

ट.3.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

107. घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

क. आवेदक की लाभप्रदता में पीओआई में भारी गिरावट आई है। आवेदक पीओआई के दौरान न्यूनतम लाभ अर्जित कर रहा है[146]।

ख. नकद लाभ और आरओसीई में लाभप्रदता जैसे रुझान देखे गय हैं[147]।

ग. नकद लाभ और कर पूर्व लाभ पीओआई के दौरान ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम स्तर पर हैं[148]।

---

[145] अंतिम जांच परिणाम सं. 15/9/2003-डीजीएडी दिनांक 29 जून, 2012, ''चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेट्रोनिडाजोल के आयातों से संबंधित लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा, पैरा 20 https://dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_SSR2_metronidazole_chinaPR.pdf

[146] आवेदन पैरा 68

[147] आवेदन पैरा 68

[148] आवेदक के लिखित अनुरोध पैरा 71

घ. आवेदक ने यह तर्क देने के लिए *फोरम ऑफ ऐक्रेलिक फाइबर मैन्युफैक्चरर्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी* मामले में एलडी सेस्टेट के निर्णय पर भरोसा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण आपूर्ति और मांग के बाजार शक्तियों का परिणाम होता है। अत: घरेलू उद्योग की लाभप्रदता को मामूली नहीं माना चाहिए[149]।

ट.3.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध

108. अन्य हितबद्ध पक्षकार ने लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

क. आवेदक की बिक्री लागत में तीव्र और अचानक वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है जबकि आवेदक की बिक्री कीमत उसी क्रम में नहीं बढ़ी है[150]।

ख. आवेदक की कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण बिक्री लागत में वृद्धि हुई है। कच्ची सामग्री की लागत उतनी अधिक नहीं है जितनी आवेदक ने दावा किया है[151]।

ट.3.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

109. निम्नांकित तालिका में घरेलू उद्योग के वित्तीय मापदंडों से संबंधित आंकड़े दिये गये हैं:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
1.	बिक्री लागत प्रति यूनिट	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	101	115	139	126

149 आवेदक का खंडन, पैरा 30 और 31

150 हुबेई के लिखित अनुरोध

151 तदेव

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
2.	बिक्री कीमत प्रति यूनिट	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	108	109	115	112
3.	लाभ/हानि	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	47	147	77	(12)	35
4.	लाभ/हानि (पीबीटी)	रू. लाख	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	63	152	-	-	35
5.	पीबीआईटी	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	59	140	74	(8)	35
6.	पीबीआईटी	रू. लाख	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	66	145	79	(8)	36
7.	नकद लाभ	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	61	144	79	(5)	39
8.	नकद लाभ	रू. लाख	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	68	149	84	(5)	39
9.	आरओसीई	%	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	64	144	75	(8)	35

110. आवेदक ने *फोरम ऑफ ऐक्रेलिक फाइबर मैन्युफैक्चरर्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी* में एनडी सेस्टेट के निर्णय पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया है कि लाभ व्यवसाय उद्यम के लिए संगत और महत्वपूर्ण होते हैं और घरेलू उद्योग लाभ में गिरावट को मामूली या परिणाम रहित नहीं माना जाना चाहिए[152]।

111. यह देखा गया है कि:

i. बिक्री लागत और बिक्री कीमत में आधार वर्ष से पीओआई में वृद्धि हुई है। बिक्री लागत में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान काफी वृद्धि हुई है। बिक्री लागत में यह वृद्धि पीओआई के उत्तरार्ध में सर्वाधिक रही है।

ii. आवेदक के लाभ वर्ष 2019-20 में घटे और वर्ष 2020-21 में बढ़े हैं और पीओआई में न्यूनतम स्तर तक घट गये हैं। पीबीआईटी, नकद लाभ और आरओसीई में भी यही रुझान रहा है। पीओआई के उत्तरार्ध में आवेदक को घाटा

[152] आवेदक का खंडन, पैरा 30 और 31

हुआ है। तथापि, पीओआई के पूर्वाध में आवेदक ने पर्याप्त लाभ कमाया है। तथापि, आवेदक की लाभप्रदता पूर्ववर्ती वर्ष के मुकाबले पीओआई में घट गई है, वह समग्र रूप से लाभप्रद रहा है।

iii. यह देखा गया है कि वर्ष 2020-21 के दौरान यद्यपि आयातों की मात्रा जांच अवधि के न्यूनतम स्तर पर रही है, तथापि आवेदक ने पर्याप्त लाभ कमाया है। यह पीबीआईटी, नकद लाभ और आरओसीई में प्रदर्शित होता है।

112. आवेदक के निष्पादन की जांच पीओआई के दौरान कच्ची सामग्री की लागत (विशेष रूप से पीओआई के उत्तरार्ध में) में पर्याप्त वृद्धि के आलोक में जांच की जानी चाहिए। यह देखा गया है कि यद्यपि पीओआई के पूर्वाध में आवेदक पर्याप्त लाभ कमा रहा है, आरओसीई, पीओआई के उत्तरार्ध में स्थिर और संतोषजनक है तब कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि हुई और आवेदक की लाभप्रदता में गिरावट भी आई।

113. पीओआई के उत्तरार्ध में आवेदक की बिक्री कीमत भी उसकी बिक्री लागत से कम रही थी जिससे पता चलता है कि उसे पीओाआई के उत्तरार्ध में घाटा हुआ है। बिक्री लागत में वृद्धि के लिए कच्ची सामग्री की कीमत वृद्धि जिम्मेदार हो सकती है। यद्यपि बिक्री लागत कच्ची सामग्री की कीमत के अनुसार चली है। परंतु घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, पहुंच मूल्य के अनुसार चली है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
1.	बिक्रियों की लागत प्रति यूनिट	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	101	115	139	126
2.	बिक्री कीमत प्रति यूनिट (घरेलू)	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	108	109	115	112
3.	पहुंच कीमत	रू./एमटी	7,87,082	7,46,700	8,30,524	8,40,696	8,36,797	8,37,977
4.	घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	99	115	138	126

कीमत प्रभाव

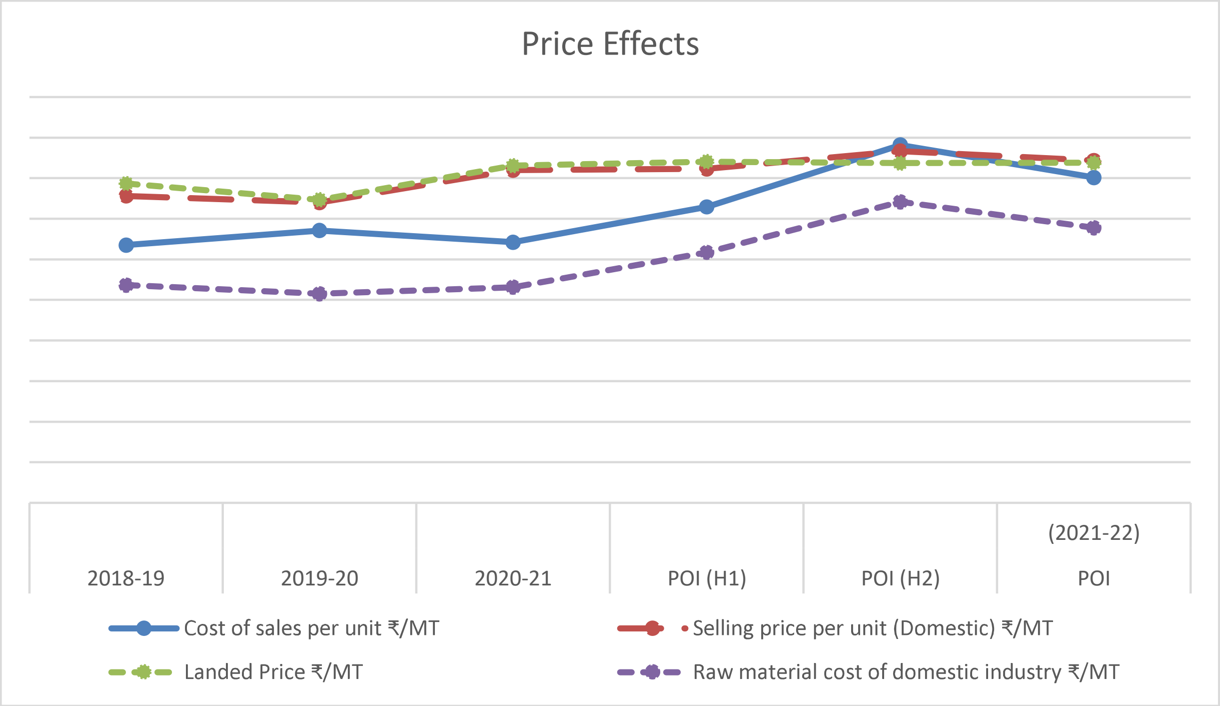

114. पीओआई के उत्तरार्ध में कच्ची सामग्री की लागत में भारी वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में भी वृद्धि हुई है। तथापि, पीओआई के उत्तरार्ध में पहुंच कीमत स्थिर रही है और इसलिए घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में असमर्थ रहा था। कच्ची

सामग्री में की कीमत में वृद्धि की वजह से और न कि पहुंच कीमत में गिरावट की वजह से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता प्रभावित हुई है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि संबद्ध देश से आयात की पहुंच कीमत कच्ची सामग्री की में वृद्धि के अनुरूप नहीं है और इसलिए घरेलू उद्योग कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि से अपनी बिक्री कीमत समायोजित करने में असमर्थ रहा है। घरेलू उद्योग ने बताया है कि निर्यातकों का कीमत व्यवहार - जिसके द्वारा आयात कीमतें कच्ची सामग्री की कीमत की वृद्धि से अप्रभावित रहीं हैं। - घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है।

115. आवेदक का यह दावा कि चीन के निर्यातकों की सीआईएफ आयात कीमत कच्ची सामग्री की लागत में परिवर्तन के अनुरूप नहीं रही है। आवेदक ने प्राधिकारी से कच्ची सामग्री के लागतों में परिवर्तन और सीआईएफ कीमत में परिवर्तन के बीच असमानता को नोट करने का अनुरोध किया है। निर्यात कीमत में अंतर के सापेक्ष कच्ची सामग्री की लागत में अंतरों के संबंध में हुबेई का दावा है कि कच्ची सामग्री की लागत उस संबंध में नहीं बढ़ी जैसा आवेदक ने दावा किया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि चीन के उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति में प्रचालन नहीं करते हैं इसलिए उनकी लागत और कीमतों को स्वीकार नहीं करना चाहिए[153]। आवेदक ने बताया है कि उसने विभिन्न असंबद्ध स्रोतों से कच्ची सामग्री खरीदी है जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत दर्शाते हैं। यह दावा किया गया है यदि चीन के उत्पादकों/निर्यातकों की कच्ची सामग्री की लागत अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की कीमत से कम है तो यह निष्कर्ष होना चाहिए कि प्रतिवादी निर्यातकों की निविष्टियों कीमत बिक्रित है[154]।

116. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों आपूर्तिकर्ताओं से कच्ची सामग्री ली है। आवेदक ने मेट्रोनिडाजोल की प्रमुख कच्ची सामग्री 2 मिथाइल 5-नाइट्रो इमिडाज़ोल (“एमएनआई”) की माह वार कीमत के आंकड़े दिये हैं जिसे उसने घरेलू

[153] आवेदक का खंडन, पैरा 24
[154] तदेव, पैरा 25

तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों से लिया है। पीओआई के दौरान आवेदक द्वारा खरीदी गई 2-एमएनआई की माह वार कीमत नीचे दी गई है।

माह	**2-एमएनआई की इकाई कीमत (रू./केजी)**	
	घरेलू	आयातित
अप्रैल-21	***	***
मई-21	***	***
जून-21	***	***
जुलाई-21	***	***
अगस्त-21	***	***
सितंबर-21	***	***
अक्टूबर-21	***	***
नवंबर-21	***	***
दिसंबर-21	***	***
जनवरी-22	***	***
फरवरी-22	***	***
मार्च-22	***	***

2-एमएनआई की प्रति इकाई कीमत

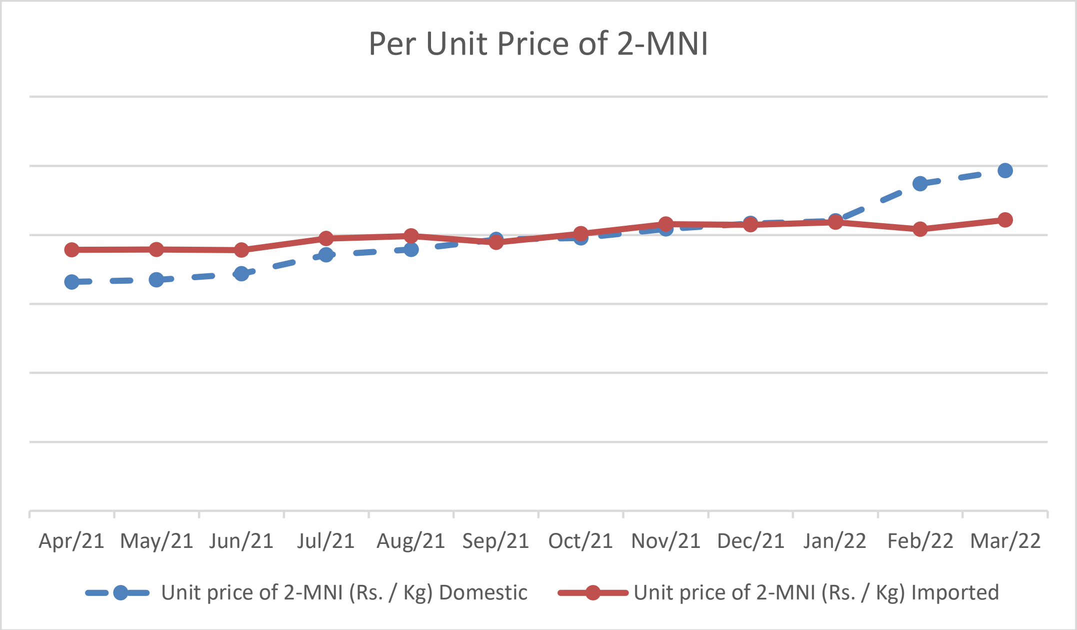

117. ऊपर दी गई तालिका और ग्राफ से देखा गया है, घरेलू रूप से सोर्स किए गए 2-एमएनआई की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। पीओआई की दूसरी छमाही के दौरान, घरेलू रूप से सोर्स किए गए 2-एमएनआई की कीमत 2-एमएनआई के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से अधिक है। गौरतलब है कि 29 जुलाई 2023 के ईमेल के माध्यम से, घरेलू उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में भारतीय बाजार में कच्चे माल की कीमत (विशेष रूप से 2-एमएनआई की कीमत) में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। प्राधिकरण ने आगे नोट किया है कि विषय वस्तुओं के लैंडेड मूल्य में तदनुरूपी वृद्धि के बिना कच्चे माल की लागत में वृद्धि केवल पीओआई के एच2 तक ही सीमित है। ऊपर दी गई तालिका और ग्राफ से देखा गया है, घरेलू रूप से सोर्स किए गए 2-एमएनआई की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। पीओआई की दूसरी छमाही के दौरान, घरेलू रूप से सोर्स किए गए 2-एमएनआई की कीमत 2-एमएनआई के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से अधिक है। गौरतलब है कि 29 जुलाई 2023 के ईमेल के माध्यम से, घरेलू उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में भारतीय बाजार में कच्चे माल की कीमत (विशेष रूप से 2-एमएनआई की कीमत) में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। प्राधिकरण ने

आगे नोट किया है कि विषय वस्तुओं के लैंडेड मूल्य में तदनुरूपी वृद्धि के बिना कच्चे माल की लागत में वृद्धि केवल पीओआई के एच2 तक ही सीमित है।

ट.4 मालसूची

ट.4.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध</u>

118. मालसूची के संबंध में आवेदक ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

क. आवेदक की मालसूची में क्षति अवधि और पीओआई के दौरान गिरावट आई है[155]।

ख. 2019-20 में तब जब कोविड लाकडाउन लगाया गया तो परिणामस्वरूप में अंतिम मालसूची में वृद्धि हुई और इस अवधि के दौरान औसत मालसूची में वृद्धि हुई[156]।

ग. अंतिम मालसूची में वर्ष 2020-21 में गिरावट आई क्योंकि आवेदक का उत्पादन घट गया[157]।

घ. आवेदक की मालसूची में गिरावट आई है, क्योंकि उसने निर्यात बिक्रियां की हैं[158]।

ट.4.2 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध</u>

119. मालसूची के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किया है।

ट.4.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

120. निम्नलिखित तालिका घरेलू उद्योग की मालसूची के आंकड़े दर्शाती है:

---

155 आवेदन पैरा 70

156 आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 69

157 तदेव

158 तदेव

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	35	387	168	112	168
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	1,101	479	319	201	201
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	312	411	208	135	177

121. यह देखा गया है कि 2018-19 से 2020-21 तक मालसूची में वृद्धि हुई है। उसके बाद मालसूची के स्तर में गिरावट आई है। पीओआई के दौरान औसत मालसूची कम हुई है। तथापि, पीओआई के दौरान मालसूची का स्तर अब भी आधार वर्ष से अधिक है। वर्ष 2020-21 में स्टॉक इकट्ठा हो गया था। तथापि यह देखा गया है कि पीओआई के दौरान स्टॉक की पर्याप्त मात्रा निकाली गई थी। ऐसा आवेदक के उच्च उत्पादन और क्षमता उपयोग के बावजूद हुआ है। इसके अलावा, जैसा ऊपर नोट किया गया है पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की कुल बिक्रियां (घरेलू, निर्यात या आबद्ध बिक्रियां) *** एमटी हैं। घरेलू उद्योग को बिक्री करने और विभिन्न बिक्री चैनलों के जरिये (घरेलू, निर्यात या आबद्ध) अपनी मौजूदा स्टॉक को निकालने में कोई कठिनाई होती प्रतीत नहीं हो रही है।

ट.5 रोज़गार, मज़दूरी और उत्पादकता

ट.5.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

122. रोज़गार, मज़दूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

क. उत्पादकता और वेतन तथा मजदूरी में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है[159]।

ख. रोजगार और मजदूरी विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन पर निर्भर नहीं है और आवेदक इन मापदंडों में क्षति का दावा नहीं कर रहा है[160]।

ट.5.2 *<u>अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध</u>*

123. रोज़गार, मज़दूरी और उत्पादकता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकार निम्नलिखित अनुरोध किये गये है:

क. पीओआई के दौरान कर्मचारियों की संख्या में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है[161]।

ख. मजदूरी में पीओआई के दौरान मामूली गिरावट आई है[162]।

ग. रोजगार और मजदूरी विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन पर निर्भर नहीं करती है और आवेदक इन मापदंडों में क्षति का दावा नहीं कर रहा है। इस प्रकार घरेलू उद्योग को चीन जन. गण. से आयातों से कोई क्षति नहीं हुई है[163]।

घ. प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में पीओआई में आधार वर्ष से तेजी से वृद्धि हुई है[164]।

ट.5.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

124. निम्नांकित तालिका रोज़गार, मज़दूरी और उत्पादकता से संबंधित आंकड़े दर्शाती है:

[159] आवेदन, पैरा 66
[160] तदेव
[161] हुबेई के लिखित अनुरोध, पैरा 13
[162] हुबेई के लिखित अनुरोध, पैरा 13
[163] तदेव
[164] तदेव, पृष्ठ 14

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
वेतन और मजदूरी	रू. लाख	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	127	142	140	141
कर्मचारियों की सं.	सं.	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	95	95	95	95
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन.	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	109	126	122	124
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं.	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	115	133	128	131

125. वेतन और मजदूरी में आधार वर्ष से पीओआई तक काफी वृद्धि है। यद्यपि कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है। प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पाकता में भी सुधार हुआ है। आवेदक ऊपर उल्लिखित मापदंडों के संबंध में क्षति का दावा नहीं कर रहा है[165]।

ट.6 वृद्धि

ट.6.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

126. वृद्धि के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

[165] आवेदन पैरा 66

क. आवेदक ने अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2021 तक की अवधि में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, परंतु पीओआई में अधिकांश मापदंडों में ऋणात्मक वृद्धि हुई है[166]।

ट.6.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध

127. अन्य हितबद्ध पक्षकार ने वृद्धि के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ट.6.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

128. उत्पादन, क्षमता उपेयाग, घरेलू बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के अनुसार वृद्धि नीचे तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	पीओआई
1	उत्पादन	वाई/वाई	***	***	***
2	बिक्री	वाई/वाई	***	***	***
3	प्रति यूनिट लाभ/(हानि)	वाई/वाई	***	***	***
4	मालसूची	वाई/वाई	***	***	***
5	बाजार हिस्सा	वाई/वाई	***	***	***
7	नकद लाभ	वाई/वाई	***	***	***
8	पीबीआईटी	वाई/वाई	***	***	***
9	आरओआई	वाई/वाई	***	***	***

129. यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की वृद्धि में 2020-21 की तुलना में गिरवट आई है। तथापि यह नोट किया जाए कि वर्ष 2020-21 के दौरान संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा काफी कम थी। 2020-21 के दौरान आयातों की कम मात्रा का संभावित कारण कोविड-19 महामारी और मांग में परिणामी गिरावट है। इसके अलावा, 2020-21 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता काफी अधिक थी। परिणामस्वरूप पीओाआई के दौरान घरेलू उद्योग की वृद्धि में 2020-21 की तुलना में गिरावट आई है।

[166] आवेदन पैरा 72

मांग में गिरावट का प्रभाव, घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों में भी दिखता है जिनमें 2020-21 में ऋणात्मक वृद्धि हुई है।

ट.7 पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

130. आवेदक ने अनुरोध किया कि उसे नियोजित पूंजी पर कम आय का सामना करना पड़ा है और यह कि पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता काफी कमजोर हो गई है[167]। तथापि, आवेदक ने इस दावे को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है। अत: प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है कि घरेलू उद्योग को इस मापदंड के संबंध में क्षति उठानी पड़ी है।

ट.8 क्षति संबंधी निष्कर्ष

131. उक्त सभी मापदंडों की जांच करने के बाद प्राधिकारी ने यह संमुक्ति की है कि:

i. आयातों की मात्रा में पीओआई की तुलना में आधार वर्ष में गिरावट आई है। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई में आयातों में वृद्धि हुई है। तथापि, भारतीय उत्पादन और कुल मांग के संबंध में आयात आधार वर्ष की तुलना में कम हुये हैं।

ii. यद्यपि पीओआई की बाद की अवधि में आयातों में वृद्धि हुई है, तथापि पीओआई के बाद की अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत किसी अन्य जांच अवधि के दौरान की पहुंच कीमत से काफी अधिक है। वास्तव में इस अवधि में पहुंच कीमत पीओआई के लिए परिकलित क्षतिरहित कीमत से अधिक है।

iii. पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्से में काफी सुधार हुआ है। इसके अलावा, आवेदक एक मात्र घरेलू उत्पादक है जो भारतीय बाजार में पीयूसी बेच रहा है। आवेदक के अलावा भारत में एक अन्य घरेलू उत्पादक है, तथापि, दूसरा घरेलू

[167] आवेदन, पैरा 73

उत्पादक भारतीय बाजार में पीयूसी की बिक्री नहीं कर रहा है। संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई।

iv. संबद्ध देश से आयात और आयातों का बाजार हिस्सा जनवरी, 2020 से जून, 2011 की अवधि की तुलना में पीओआई के दौरान काफी कम रहा है। बाजार में भारतीय उत्पादकों की एक सकारात्मक वृद्धि रही है। घरेलू उत्पादक स्थिर हो गये हैं और शुल्क के संरक्षण के बिना भी आयातों से मुकाबला कर सकते हैं।

v. संपूर्ण जांच अवधि में पीओआई के उत्तरार्ध को छोड़कर कीमत कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण ऋणात्मक है। तथापि, पीओआई के उत्तरार्ध में कच्ची सामग्री की कीमत में काफी वृद्धि हुई है जिससे आवेदक की उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई है और परिणामस्वरूप इस अवधि में सकारात्मक कीमत कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण हुआ है।

vi घरेलू उद्योग का उत्पादन, स्थापित क्षमता, बिक्री मात्रा की दृष्टि से निष्पादन आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान बेहतर हुआ है। ऐसा पीओआई के दौरान कच्ची सामग्री में वृद्धि के बावजूद हुआ है।

vii. घरेलू उद्योग पीओआई के उत्तरार्ध को छोड़कर संपूर्ण जांच अवधि में लाभप्रदत रहा है। केवल पीओआई के उत्तरार्ध में लाभप्रदता (लाभ, नकद लाभ, आरओसीईई और पीबीआईटी) ऋणात्मक हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के उत्तरार्ध में ऋणात्मक लाभप्रदता के लिए इस अवधि के दौरान कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

viii. आवेदक की औसत मालसूची में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में वृद्धि हुई है। तथापि पीओआई के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में मालसूची में गिरावट आई है।

ix. वेतन और मजदूरी, उत्पादकता प्रति दिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान सुधार हुआ है। आवेदक ने इस संबंध में क्षति का दावा नहीं किया है।

x. आवेदक ने अपने उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों की दृष्टि से सकारात्मक वृद्धि दर्शायी है परंतु लाभप्रदता की दृष्टि से नकारात्मक वृद्धि दर्शाई है। ऊपर की गई जांच के अनुसार आवेदक की लाभप्रदता की दृष्टि से नकारात्मक वृद्धि कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई है।

*****

ठ **पीओआई पश्चात विश्लेषण**

ठ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

132. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि पीओआई के उत्तरार्ध में निष्पादन में गिरावट एक अस्थायी समस्या नहीं थी, बल्कि आयात का रुझान था और घरेलू उद्योग को क्षति पीओआई के बाद भी जारी रही है। दिनांक 29 जुलाई, 2023 के ई-मेल द्वारा घरेलू उद्योग ने अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 की अवधि के लिए इस तर्क हेतु सूचना प्रस्तुत की है कि घरेलू उद्योग को पीओआई के बाद भी क्षति होना जारी है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 एक अस्थायी समस्या नहीं थी, बल्कि चीन के निर्यातकों का कथित पाटन उसके बाद भी जारी रहा है[168]। आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक के आयातों में अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 की अवधि में समग्र रूप से वृद्धि हुई[169]। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उनके बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि चीन के निर्यातकों का बाजार हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है। आवेदक ने बताया कि उसके पास कुल घरेलू मांग का 85 प्रतिशत

---

[168] दिनांक 29 जुलाई, 2023 को आवेदक से प्राप्त ई-मेल, पैरा 1

[169] तदेव, पैरा 2

पूरा करने की क्षमता थी तथापि, वह पर्याप्त बाजार हिस्सा हासिल करने में असमर्थ है[170]।

133. आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि यद्यपि अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 की अवधि में आयात कीमत में वृद्धि हुई है तथापि आयात अब भी पाटित कीमत पर किये जा रहे हैं[171]। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि बिक्री कीमत और कच्ची सामग्री की लागत के बीच अंतर अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 की अवधि में भी कम बना हुआ है[172]।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	बिक्री कीमत	कच्ची सामग्री की लागत	अंतर	अंतर (%)
1	2018-19	रु./केजी	***	***	***	***
2	2019-20	रु./केजी	***	***	***	***
3	2020-21	रु./केजी	***	***	***	***
4	2021-22 (एच1)	रु./केजी	***	***	***	***
5	2021-22 (एच 2)	रु./केजी	***	***	***	***
6	2022-23 (एच 1)	रु./केजी	***	***	***	***

134. आवेदक ने यह भी बताया है कि यद्यपि यह सच है कि कच्ची सामग्री की कीमत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में घरेलू बाजार में तेजी से वृद्धि हुई है। तथापि, वृद्धि के बाजवूद घरेलू बाजार में कच्ची सामग्री की कीमत कम बनी रही है[173]। आवेदक ने तर्क दिया है कि कच्ची सामग्री को घरेलू बाजार से लेने के कारण लाभप्रदता में गिरावट हुई

[170] तदेव पैरा 3
[171] दिनांक 29 जुलाई, 2023 को आवेदक का ई-मेल, पैरा 5
[172] तदेव पैरा 6
[173] दिनांक 29 जुलाई, 2023 को आवेदक का ई-मेल, पैरा 9

है। यदि आवेदक कच्ची सामग्री को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेता तो उसके घाटे और अधिक हो जाते[174]।

क्र.सं.	विवरण	वास्तविक (रू./एमटी)		संपूर्ण आयातित कच्ची समग्री पर विचार करते हुए (रु./एमटी)	
		अप्रैल-सितंबर'20	अक्टूबर-मार्च'21	अप्रैल-सितंबर'20	अक्टूबर-मार्च'21
1	कच्ची सामग्री की कीमत	***	***	***	***
2	अन्य लागत	***	***	***	***
3	कुल लागत	***	***	***	***
4	बिक्री लागत	***	***	***	***
5	लाभ/यूनिट	***	***	***	***

ठ.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के दौरान आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। तथापि, यह नोट किया जाए कि इस अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके अलावा यह देखा गया है कि अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 की अवधि के दौरान पीयूसी की मांग में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। जबकि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 एच1*	2021-22 एच 2*	2021-22	2022-23 एच 1*
आयात मात्रा	एमटी	865	662	397	293	676	485	1,599
घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	103	106	96	101	111
आबद्ध खपत सहित घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***	***	***

[174] तदेव, पैरा 9

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 एच1*	2021-22 एच 2*	2021-22	2022-23 एच 1*
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	109	119	102	110	113
मांग (डीआई की आबद्ध बिक्री सहित)	एमटी	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	86	88	93	91	139
मांग (डीआई की आबद्ध बिक्री को छोड़कर)	एमटी	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	79	75	88	82	143
आयात का बाज़ार हिस्सा (डीआई की आबद्ध बिक्री को छोड़कर)	%	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	61	46	93	71	134
आवेदक की बाज़ार हिस्सेदारी (डीआई की आबद्ध बिक्री को छोड़कर)	%	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	132	142	109	125	79
आवेदक का बाजार हिस्सा (डीआई की आबद्ध बिक्री सहित)	%	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	127	134	109	122	81

**का अर्थ यह है कि आंकड़े वार्षिकीकृत किये गये हैं।*

मात्रा प्रभाव

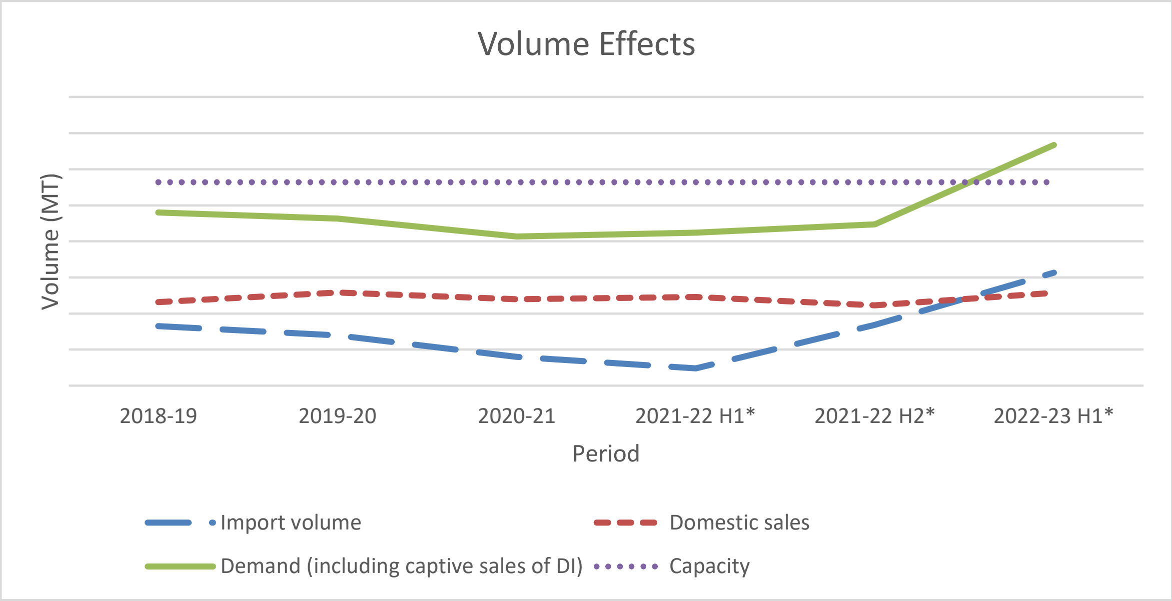

136. यह नोट किया गया है कि आवेदक की स्थापित क्षमता पूरी जांच अवधि में समान बनी रही है। पूरी जांच अवधि (पीओआई की बाद की अवधि सहित) में आवेदक की घरेलू बिक्रियां वर्ष दर वर्ष मामूली अंतर के साथ लगभग समान स्तरों पर बनी रही हैं(*** एमटी से *** एमटी के बीच उतार-चढ़ाव)। यह भी नोटिस किया गया है कि पीओआई के बाद की अवधि एक मात्रा ऐसी अवधि में जब संबद्ध देश से आयात आवेदक की घरेलू बिक्री से अधिक हैं। उक्त चित्र और तालिका से ऐसा लगता है कि घरेलू उद्योग की बिक्रियां संबद्ध देश के आयातों से प्रभावित नहीं हुई है। जांच की पूरी अवधि में आवेदक की घरेलू बिक्रिया एक सतत और स्थिर स्तर पर रही हैं जिनमें वर्ष दर वर्ष मामूली अंतर हुए हैं। वर्ष 2018-19 से पीओआई के पूर्वाध की अवधि में भी जब संबद्ध देश से आयातों की मात्रा बहुत कम थी और घट रही थी तब भी आवेदक की घरेलू बिक्रियां सूक्ष्म अंतरों के साथ स्थिर स्तर पर बनी रहीं। पीओआई के बाद की अवधि में आयातों की मात्रा में वृद्धि से घरेलू उद्योग की स्थिर घरेलू बिक्रियां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

137. पीओआई की बाद की अवधि में संबद्ध देश से आयात ने आवेदक की बिक्री में रुकावट नहीं डाली है, बल्कि भारत में संबद्ध वस्तु की कुल मांग में वृद्धि हुई है और संबद्ध देश से आयातों ने घरेलू उद्योग की बिक्री को खास प्रभावित किये बिना मांग में इस

वृद्धि को पूरा किया है। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि पीओआई की बाद की अवधि में कुल घरेलू मांग घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता से काफी अधिक है और मांग बढ़ती हुई प्रतीत होती है। आवेदक ने तर्क दिया है कि उसके पास भारत में कुल घरेलू मांग के 85 प्रतिशत से अधिक को पूरा करने की क्षमता है। तथापि, घरेलू बिक्रियों की प्रवृत्ति के आधार पर ऐसा लगता है कि घरेलू उद्योग काफी कम आयात मात्राओं के बाद भी अपनी घरेलू बिक्रियों में कतिपय स्तर से अधिक वृद्धि करने में असमर्थ है।

138. बाजार हिस्से के विश्लेषण पर एक प्रारंभिक अर्थ निकाला गया है कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा घटता हुआ प्रतीत होता है। तथापि, बिक्री की समग्र मात्रा के विश्लेषण पर यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में पीओआई की तुलना में पीओआई के बाद की अवधि में वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि इस अवधि में आयातों की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, पीओआई के बाद की अवधि में मांग में भी वृद्धि हुई है। मांग में इस वृद्धि को घरेलू उद्योग तथा आयातों ने हासिल कर लिया है। यद्यपि मांग में इस वृद्धि के अधिकांश हिस्से पर आयातों ने कब्जा किया है। इससे एक स्पष्ट निष्कर्ष निकल सकता है कि आवेदक को मात्रात्मक मापदंडों में लाभ उठाना पड़ा है। तथापि, जब इन आंकड़ों को आयातों और घरेलू बिक्रियों से कीमत व्यवहार के साथ देखा जाता है तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई देती है। जैसा नीचे तालिका में उल्लिखित है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत आयातों की पहुंच मूल्य से काफी कम है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत बताते हैं कि यदि अन्य बातें समान हों (जैसे किसी उत्पाद की गुणवत्ता), तो उपभोक्ता उच्चतर कीमत की वस्तु की तुलना में कम कीमत की वस्तु को खरीदता है। आयातों से कम कीमतों पर अपनी वस्तु को बेचने के बावजूद घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के बड़े हिस्सा को नहीं ले पाया है। घरेलू उद्योग इस बात का कोई सही स्पष्टीकरण भी नहीं दे सका है। अत: आयातों द्वारा मांग में वृद्धि पर कब्जा करना पीओआई के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता प्रतीत नहीं होता है।

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (एच1)	2021-22 (एच 2)	2022-23 (एच 1)
पहुंच कीमत	रू./केजी	787	747	831	841	837	978
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	106	107	106	124
बिक्री कीमत	रू./केजी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	108	109	115	125
कच्ची सामग्री की लागत	रू./केजी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	99	115	138	144

139. जैसा उक्त तालिका में देखा गया है घरेलू उद्योग के पास भी आयातों के पहुंच मूल्य में भारी अंतर को देखते हुए अपनी कीमत बढ़ाने का अवसर था और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु की बिक्री कीमत बढ़ाने और इस प्रकार लाभ में वृद्धि करने का अवसर था। तथापि, ऐसा नहीं हुआ है। इसके अलावा, कम कीमत पर बिक्री के बावजूद मांग में वृद्धि को हासिल करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता यह दर्शाती है कि अन्य अज्ञात कारक प्रभाव डाल रहे हैं जो घरेलू उद्योग को मांग को प्राप्त करने से रोकते हैं।

140. इसके अलावा, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जांच अवधि दौरान लगभग 70-88 प्रतिशत के बीच रहा है। फिर भी घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री मात्रा पूरी जांच अवधि में बढ़कर कतिपय स्तर से अधिक नहीं हुई है। यह तर्क कि घरेलू उद्योग के पास कुल घरेलू मांग के 85 प्रतिशत से अधिक को पूरा करने की क्षमता है, तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि पूरी जांच अवधि से आवेदक ने अपने उत्पादन में पीयूसी के अधिकांश हिस्से को निर्यात बाजारों और आबद्ध खपत के लिए समर्थित किया है। अत: पूरी क्षमता उपयोग बावजूद यह संभावना नहीं है कि घरेलू उद्योग कुल घरेलू मांग के 85 प्रतिशत को पूरा करेगा। इसे नीचे तालिका से देखा गया है।

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 एच1	2021-22 एच 2	पीओआई (2021-22)
घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	103	106	96	101
निर्यात बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	133	157	186	171
आबद्ध बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	125	157	118	137
घरेलू उद्योग की कुल बिक्रियां	**एमटी**	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	114	64	61	124
कुल मांग (डीआई की आबद्ध खपत सहित)	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	88	88	102	140
कुल मांग (डीआई की आबद्ध खपत को छोड़कर)	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	79	-	-	82
आयात मात्रा	एमटी	839	662	397	147	338	485

141. इसके अलावा, यह तर्क कि घरेलू उद्योग संबद्ध देश से आयातों के कारण मांग में वृद्धि का लाभ उठाने में असमर्थ रहा है। स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि घरेलू उद्योग पूरी जांच अवधि - उस अवधि सहित जब संबद्ध देश से आयात की मात्रा कम थी (अर्थात 2018-19 से पीओआई के पूर्वाध तक) में अपनी घरेलू बिक्री मात्रा को कतिपय

स्तर से अधिक नहीं बढ़ा पाया है। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाना चाहिए कि 2018-19 से पीओआई के पूर्वाध तक घरेलू उद्योग की लाभप्रदता सकारात्मक और काफी अधिक थी जबकि संबद्ध देश से आयात की मात्रा कम थी। आवेदक का यह तर्क कि बाजार हिस्सा कम हुआ है, स्वीकार नहीं किया जा सकता जैसा ऊपर बताया गया है। बाजार हिस्से के रुझानों को घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट के रूप में नहीं बताया जा सकता है बल्कि घरेलू मांग में वृद्धि के रूप में बताया जा सकता है जिसे घरेलू उद्योग पूरा करने में असमर्थ रहा है। आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, घरेलू मांग में वृद्धि को पूरा करने में सक्षम रही है। जबकि आयात की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक रही थी।

142. यह भी नोट किया जाता है कि आयातों की मात्रा में वृद्धि को आयातों की कीमत, कच्ची सामग्री की कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के संदर्भ विश्लेषित किया जाना चाहिए।

विवरण	**यूओएम**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22 (एच 1)**	**2021-22 (एच 2)**	**2022-23 (एच 1)**
पहुंच कीमत	रू./केजी	787	747	831	841	837	978
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	106	107	106	124
बिक्री कीमत	रू./केजी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	108	109	115	125
कच्ची सामग्री की लागत	रू./केजी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	99	115	138	144

143. यह देखा गया है कि यद्यपि पीओआई के बाद की 6 महीने की अवधि के दौरान आयातों की मात्रा आवेदक की घरेलू बिक्री मात्रा से अधिक है। तथापि आयातों की पहुंच कीमत भी उच्चतर है। उच्चतर पहुंच कीमत के बावजूद संबद्ध आयातों की बिक्री मात्रा आवेदक की घरेलू बिक्रियों से अधिक है। इसके अलावा, पीओआई के बाद की 6 महीने की अवधि में कच्ची सामग्री की कीमत में पूर्ववर्ती 6 महीने की तुलना *** रू/एमटी की वृद्धि (*** प्रतिशत वृद्धि) हुई है। जबकि पहुंच मूल्य में *** रू/एमटी तक वृद्धि (*** प्रतिशत वृद्धि) और बिक्री कीमत में *** रू/एमटी की वृद्धि (*** प्रतिशत वृद्धि) हुई है।

विवरण	अक्टूबर' 21 से मार्च 22 (रू./केजी)	अप्रैल' 22 से सितंबर' 22 (रू./केजी)	वृद्धि (रू./केजी)	वृद्धि (%)
बिक्री कीमत	***	***	***	***
कच्ची सामग्री की कीमत	***	***	***	***
पहुंच कीमत	***	***	***	***

144. उक्त तालिका दर्शाती है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि कच्ची सामग्री की कीमत की वृद्धि से अधिक है। इसके अलावा, आवेदक अपने बिक्री कीमत को कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि से अधिक स्तर पर बढ़ाने में सक्षम रहा है। यह भी नोटिस किया गया है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध आयातों से किसी कीमत दबाव का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक थी।

ड   <u>क्षति मार्जिन</u>

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

145. क्षति मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. चूंकि अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 के दौरान नकारात्मक क्षति मार्जिन था। इसलिए क्षति विश्लेषण के लिए 2021-22 को समग्र रूप से शामिल करना उचित नहीं होगा[175]।

ख. अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 की अवधि में घरेलू उद्योग का निष्पादन तर्कसंगत रूप से अच्छा था जबकि अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 में तेजी से खराब हुआ है। अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 को शामिल करने का अर्थ ऐसी अवधि शामिल करना होगा जब घरेलू उद्योग के निष्पादन में वास्तविक खराबी नहीं आई थी[176]।

ग. प्राधिकारी को क्षति मार्जिन के आकलन के लिए डब्ल्यू-डब्ल्यू पद्धति के बजाय डब्ल्यू-टी पद्धति लागू करनी चाहिए[177]।

घ. क्षति मार्जिन अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 की अवधि में नकारात्मक था, परंतु अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 में *** प्रतिशत तक बढ़ गया। अत: औसत आधार पर की गई गणना का अर्थ दोनों अवधियों का विलय करना होगा जब घरेलू उद्योग चीन के पाटन से क्षति नहीं हो रही थी[178]।

ड. यद्यपि डब्ल्यूटीओ ने माना है कि पाटन का "शून्य केंद्रण" पाटनरोधी करार के अधिदेश के विरुद्ध है, इस करार में प्राधिकारी को क्षति मार्जिन के लिए शून्य केंद्रण करने को नोट करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है[179]।

---

[175] आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 17(क)
[176] तदेव पैरा 17
[177] तदेव पृष्ठ 6
[178] आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 26
[179] तदेव पैरा 36

च. प्राधिकारी केवल उन सौदों पर विचार कर सकते हैं जो क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु क्षतिरहित कीमत से कम पर हुये हैं और शुल्क की राशि पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि घरेलू उद्योग की चिंताएं केवल कम कीमत के आयातों के विरुद्ध हैं। अत: उच्च कीमत के आयातो पर निर्धारण के लिए भी विचार करने का कोई कारण नहीं है[180]।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध

146. क्षति मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

क. पीओआई के लिए प्राधिकारी द्वारा क्षतिमार्जिन की गणना हेतु समेकित आंकड़ों पर विचार करना चाहिए[181]।

ख. याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी से क्षति के आकलन के लिए 6 महीने की पीओआई पर विचार करने का अनुरोध किया है। तथापि, प्राधिकारी ने 12 महीने की पीओआई पर विचार करने का निर्णय लिया है[182]।

ग. व्यापार उपचार जांच के लिए प्रचालन प्रक्रियाओं के मैनुअल पैरा 5.10 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा एक बार निर्धारित पीओआई को संशोधित नहीं किया जा सकता है[183]।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

147. क्षति के मार्जिन का निर्धारण न तो मात्रात्मक शब्दों में चोट को दर्शाता है और न ही यह चोट के अस्तित्व की पुष्टि करता है। तथापि, चूंकि डंप किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए प्राधिकरण को क्षति मार्जिन निर्धारित करना आवश्यक नहीं लगता है।

[180] तदेव पैरा 35

[181] हुबेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ 7

[182] तदेव

[183] तदेव

*****

ढ कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

ढ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

148. घरेलू उद्योग ने कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

क. संबद्ध देश से इतर देशों से नगण्य आयात हुए हैं और उनकी कीमत अधिक है[184]।

ख. भारत में पीयूसी की मांग में पीओआई के दौरान वृद्धि हुई है। यद्यपि आवेदक की घरेलू बिक्रियों में गिरावट आई है[185]।

ग. भारत में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं। प्रौद्योगिकी में कोई खास विकास नहीं हुआ है, आवेदक ने अपने निर्यात निष्पादन को अलग किया है, आवेदक की उत्पाकता उत्पादन में परिवर्तन की तर्ज पर है, आवेदक द्वारा प्रदत्त आंकड़े केवल पीयूसी के उसके निष्पादन से संबंधित हैं[186]।

घ. आवेदक ने कच्ची सामग्री की कमी, विद्युत की कमी, की किसी बाधा, किसी कर भेदभाव के प्रभाव, पर्याप्त क्षमता के अभाव या निवेश संबंधी अवरोधों का सामना नहीं किया है[187]।

ड. संबद्ध आयातों की आयात कीमत में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान गिरावट आई है जिससे आयात मात्रा में वृद्धि संभव हुई है[188]।

---

[184] आवेदन पैरा 96

[185] तदेव पैरा 98

[186] तदेव पैरा 99

[187] आवेदन पैरा 102

[188] तदेव पैरा 104 (i)

च. संबद्ध आयातों की आयात कीमत बिक्री लागत से काफी कम है[189]।

छ. कीमत दबाव आवेदक के लाभ, नकद लाभ और घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नियोजित पूंजी पर आय पर काफी कम हो गया है[190]।

ज. आयातों की मात्रा में वृद्धि ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को छीन लिया है[191]।

ढ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध

149. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकार ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

क. यूएस - हॉट रोल्ड स्टील में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय का निर्णय है कि गैर-आरोपण विश्लेषण में जांचकर्ता प्राधिकारियों को पातित आयातों के क्षतिकारी प्रभावों से अन्य ज्ञात कारणात्मक कारकों के क्षतिकारी प्रभावी को अलग और भिन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है[192]।

ख. प्राधिकारी के लिए अन्य कारकों के क्षतिकारी प्रभाव से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को अलग करना अपेक्षित है[193]।

ग. आंतरिक समस्याएं, मंदी की वैश्विक बाजार दशाएं, कोविड-19 का प्रभाव, मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव, मुद्रास्फीति, बल्क ड्रग वस्तुओं की कीमत वृद्धि ऐसे कारक हैं जिन्होंने घरेलू उद्योग की क्षति में योगदान दिया है[194]।

---

[189] तदेव पैरा 104 (ii)

[190] तदेव पैरा 104 (iii)

[191] तदेव पैरा 104 (iv)

[192] हुबेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ 15

[193] तदेव पृष्ठ 16

[194] तदेव, पृष्ठ 17

घ. भारतीय रूपया रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद कमजोर हुआ है जिससे मुद्रास्फीति हुई है। यह घरेलू उद्योग को क्षति का कारण है[195]।

ढ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

150. एडी नियमावली 1995 के अनुबंध-II के पैरा (v) में प्राधिकारी के लिए यह सिद्ध करना अपेक्षित है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है। इसी के साथ प्राधिकारी के लिए पाटित आयातों से इतर ऐसे अन्य ज्ञात कारकों की जांच करना अपेक्षित है जिनसे घरेलू उद्योग निष्पादन प्रभावित हो सकता हो ताकि ऐसे अन्य कारकों से हुई क्षति के लिए संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। इस संबंध में, संगत कारकों में पाटित कीमतों पर नहीं बेची गई संबद्ध वस्तु की मात्रा, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग ने पीओआई के उत्तरार्ध में निष्पादन में गिरावट दर्शाई है। प्राधिकारी ने ऐसे अन्य कारकों का विश्लेषण किया है जिन्होंने घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट में योगदान दिया हो। पूर्वोक्त कारकों की नीचे जांच की गई है।

ढ.3.1 <u>मांग में संकुचन</u>

151. यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान आधार वर्ष की तुलना में संबद्ध वस्तु की मांग में गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्रियों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है जबकि पीओआई की तुलना में आधार वर्ष में आयात की मात्रा में गिरावट आई है। आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है।

[195] तदेव, पृष्ठ 17

ढ.3.2 <u>खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन</u>

152. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई तर्क या कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन सिद्ध करता हो।

ढ.3.3 <u>व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं</u>

153. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं की मौजूदगी के बारे में कोई तर्क या कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

ढ.3.4 <u>प्रौद्योगिकी में विकास</u>

154. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पीयूसी के विनिर्माण में प्रौद्योगिकी में किसी विकास को दर्शाते हुए कोई तर्क या कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

ढ.3.5 <u>घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन</u>

155. आवेदक के निर्यात निष्पादन में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान सुधार हुआ है।

ढ.3.6 <u>घरेलू उद्योग के अन्य उत्पादों का निष्पादन</u>

156. क्षति विश्लेषण केवल पीयूसी के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन के आधार पर किया गया है। अत: घरेलू उद्योग के अन्य उत्पादों का निष्पादन वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ संगत नहीं है।

ढ.3.7 <u>मंदी की वैश्विक बाजार स्थितियाँ</u>

157. हुबेई ने तर्क दिया है कि आवेदक के निष्पादन में वैश्विक बाजार की मंदी की स्थितियों तथा कोविड-19 के प्रभाव के कारण गिरावट आई है। हुबेई ने यह भी तर्क दिया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण भी भारतीय रूपये का अवमूल्यन हुआ है जो घरेलू उद्योग का क्षति का कारण हैं। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल ऐसा बोलने के अलावा हुबेई ने अपने दावों को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

ढ.3.8 कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि

158. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंड पीओआई के उत्तरार्ध को छोड़कर संपूर्ण जांच अवधि में सकरात्मक रहे हैं। आवेदक ने यह भी बताया है कि पीओआई के उत्तरार्ध में कच्ची सामग्री की कीमत में काफी वृद्धि हुई है जबकि सीआईएफ आयात कीमत इसके अनुरूप नहीं चली है। आवेदक ने बताया है कि मध्य देशों से आयात की साथ-साथ कच्ची सामग्री कीमत में वृद्धि से क्षति हो रही है।

159. प्राधिकारी ईसी - सल्मॉन (नार्वे) में डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट[196] को नोट करते हैं कि आवेदक की उत्पादन लागत में कुल वृद्धि घरेलू उद्योग को क्षति की कारणात्मकता के आकलन के लिए एक संगत कारक है। इस मामले में यह तर्क दिया गया कि किसी उद्योग ने प्रति यूनिट उत्पादन लागत में भारी वृद्धि देखी है जो स्पष्ट करता है कि क्यों बिक्री मात्रा और स्थिर कीमतों (पाउंड स्टैंडिंग में मापित) में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग को घाटा हुआ है। यह तर्क दिया गया था कि यदि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि नहीं हुई थी तो वह लाभप्रद होता। पैनल की यह संमुक्ति थी कि ईसी को अपने कारणात्मक संबंध विश्लेषण में उत्पाद लागत में वृद्धि के प्रभाव की जांच करना अपेक्षित है। पैनल की संमुक्ति निम्नानुसार है:

[196] पैनल रिपोर्ट, यूरोपीय समुदाय - नार्वे से फाम्ड साल्मन पाटनरोधी संबंधी उपाय, डब्ल्यूटी/डीएस337/आर 15 जनवरी, 2008 को स्वीकृति

7.660 ईसी यह दावा करता है कि नार्वे इस तर्क के संबंध में प्रथमदृष्ट्या मामला बनाने में विफल रहा है कि बढ़ी हुई लागत ईसी उद्योग को क्षति का कारण थी और यह कि ऐसा करने के लिए नार्वे को पैनल को यह बताना होगा कि वह क्यों यह मानता है कि लागत नहीं बढ़नी चाहिए थी, जैसा उसने किया। हम सहमत नहीं हैं। नार्वे ने यह दर्शाया है कि जांचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष तथ्य यह दर्शाते हैं कि ईसी उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है और उसने जांचकर्ता प्राधिकारी को यह तर्क दिया था कि लागत में वृद्धि से क्षति हुई थी। अनंतिम और निश्चयात्मक विनियमन इस तर्क का समाधान नहीं करते हैं। ईसी ने ऐसी कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की जो जांचकर्ता प्राधिकारी या इस मुद्दे संबंधी विश्लेषण के लिए पहले मौजूद थी। इस तर्क पर विचार नहीं करने में ईसी ने यह नहीं दर्शाया है कि कोई वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष जांचकर्ता प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि बढ़ी हुई उत्पादन लागत से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई थी और इसलिए यह कि इस कारक से हुई क्षति के लिए पाटित आयात जिम्मेदार नहीं थे। इन परिस्थितियों में हमारा मत है कि नार्वे ने दर्शाया है कि ईसी, एडी करार के 3.5 का अनुपालन करने में विफल रहा है।

160. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय बाजार में पीयूसी की कच्ची सामग्री कीमत में वृद्धि हुई है इससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति में वृद्धि हुई है। ऊपर नोट किये गये अनुसार घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की कीमतों में पीओआई के उत्तरार्ध में वृद्धि हुई है। यह उसी अवधि के दौरान आवेदक के निष्पादन और लाभप्रदता मापदंडों में गिरावट के साथ हुई है। अत: प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को पीओआई के उत्तरार्ध में हुई क्षति, यदि कोई हो, इस अवधि के दौरान कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई है। अत: प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, संबद्ध देश से आयातों के कारण नहीं हुई है।

*****

ण   <u>भारतीय उद्योग के मुद्दे</u>

ण.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

161. भारतीय उद्योग के मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

क. आवेदक एक मात्र मौजूदा उत्पादक है जो भारतीय बाजार में पीयूसी की बिक्री कर रहा है। निरंतर पाटन से उत्पादन और बिक्री में पूरी तरह कमी हो सकती है[197]।

ख. एपीआई की लागत नुस्खों की लागत में अधिक नहीं है। पीयूसी पर शुल्क का अंतिम उत्पाद की लागत में कोई खास प्रभाव नहीं होगा[198]।

ग. मेट्रोनिडाजोल एपीआई की लागत अंतिम उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की अंतिम कीमत में प्रमुख भूमिका नहीं निभाती है। नुस्खें की कीमत मेट्रोनिडाजोल की तरह समान अनुपात में नहीं बढ़ती है[199]।

घ. अंतिम नुस्खें पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बिल्कल नगण्य है[200]।

ड. उन दवाइयों की कीमतों में भारी अंतर है जो एपीआई में मेट्रोनिडाजोल का प्रयोग करती हैं। यह शुल्क की लागत वहन करने में प्रयोक्ता की क्षमता दर्शाता है[201]।

च. चीन के उत्पादकों ने भारतीय उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के प्रयास के रूप में भारतीय प्रयोक्ताओं के लिए काफी कम कीमतों का प्रस्ताव किया है। एक बार भारतीय उद्योग के समाप्त होने पर चीन के उत्पादकों पर अति निर्भरता हो जाएगी[202]।

छ. घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी है और उचित कीमत के आयातों से प्रतिस्पर्धा में उपभोक्तओं को उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम है[203]।

---

[197] आवेदन पैरा 82
[198] तदेव पैरा 83
[199] तदेव पैरा 84
[200] तदेव पैरा 85
[201] तदेव पैरा 85
[202] आवेदन पैरा 87
[203] तदेव पैरा 88

ज. घरेलू उद्योग से पीयूसी लेना भारत में प्रयोक्त उद्योग के हित में है, क्योंकि संबद्ध देश से उत्पादक अपने लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। भारतीय उद्योग समान क्षेत्र में होने के कारण उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखेगा। उपभोक्ताओं को मालसूची का उच्चतर स्तर बनाये रखना होगा यदि वे आयातित सामग्री पर निर्भर रहते हैं। इसके विपरीत यदि वे घरेलू उत्पादकों से खरीद करते हैं तो मालसूची का उच्च स्तर बनाये रखने की जरूरत नहीं होगी[204]।

झ. यह नहीं माना जा सकता है कि उपभोक्ताओं के प्रचालन केवल शुल्क लागू होने से पाटन के रुकने के कारण अव्यवहार्य हो जाएंगे[205]।

ण.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध

162. अन्य हितबद्ध पक्षकार ने भारतीय उद्योग से हित के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किये हैं।

ण.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

163. प्राधिकरण ने नोट किया है कि व्यापार उपचारात्मक उपायों को लागू करने का उद्देश्य समान अवसर सुनिश्चित करना है। हालांकि, ऐसे उपायों को लागू करने से विभिन्न हितधारकों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ सकता है। प्राधिकरण ने एडी नियम, 1995 के तहत यथा अपेक्षित दीक्षा अधिसूचना का प्रचार किया था और आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूची के अनुसार उद्योग संघों के साथ-साथ ज्ञात आयातकों को आवेदन की एक प्रति भी भेजी थी ताकि पाटन रोधी शुल्कों प्रभाव के बारे में अन्य हितधारकों के विचार प्राप्त किए जा सकें।

[204] तदेव पैरा 89

[205] तदेव पैरा 92

164. किसी भी उपयोगकर्ता उद्योग या आयातक ने जांच में भाग नहीं लिया है। जांच में बहुत देर से, प्रकटीकरण विवरण जारी करने से कुछ दिन पहले, [***] नाम की एक कंपनी, जिसने विषय वस्तुओं के आयातक और उपयोगकर्ता होने का दावा किया था, ने प्राधिकरण के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मांगा। इसने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि वह आवेदक से विषय वस्तुओं की लगातार खरीद कर रहा है। हालांकि, जैसा कि प्रक्रिया में विस्तार से बताया गया है, इच्छुक पार्टी के रूप में पंजीकरण का समय लंबे समय से समाप्त हो गया था। इस स्तर पर अवसर प्रदान करना अन्य इच्छुक पक्षों के अधिकारों को पूर्वाग्रहति करेगा।

165. प्राधिकारी आवेदक के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि शुल्क लागू होने से अंतिम प्रयोक्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि मेट्रोनिडाजोल की अंतिम उत्पाद में कोई खास लागत नहीं है और इसलिए मेट्रोनिडाजोल पर शुल्क अंतिम उत्पाद के उपभोक्ताओं को प्रतिकूलत: प्रभावित नहीं करेंगे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीयूसी का अनेक दवाइयों में एपीआई के के रूप में प्रयोग होता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पीओआई के बाद की अवधि में आयातों की पहुंच कीमत में *** प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। अत: शुल्क लागू होने से संबद्ध वस्तु की लागत में और वृद्धि होगी। प्राधिकारी प्रकटन पश्चात की टिप्पणियों में यथा प्रदत्त आर्थिक हित संबंधी अन्य टिप्पणियों पर विचार करेंगे और अंतिम जांच परिणाम में उन पर विचार करेंगे।

166. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु एक सक्रिय भेषज अवयव है जिसका प्रयोग उस औषधि के निर्माण में होता है जो भेषज विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनिवार्य दवाईयों की राष्ट्रीय सूची में सूचीबद्ध है[206]। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल

[206] "अनिवार्य औषधियों की राष्ट्रीय सूची 2022" देखें, अधिसूचना संख्या एक्स-11035/346/2021-डीआरएस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/Notification%20and%20Report%20on%20National%20List%20of%20Essential%20Medicines%2C%202022.pdf पर उपलब्ध है। 21 सितंबर, 2023 को पूर्वाह्न 10.59 पर देखा गया।

दवाई भारतीय राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा अनेक कीमत नियंत्रण आदेशों के अधीन है[207]।

*****

त. प्रकटन पश्चात विश्लेषण

167. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिश करने के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों वाला प्रकटन विवरण 19 सितंबर, 2023 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया हितबद्ध पक्षकारों को 25 सितंबर, 2023 प्रकटन विवरण संबंधी अपनी टिप्पणियों प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया । प्राधिकारी ने इन जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की संगत समझी गई सीमा तक जांच की है। कोई अनुरोध जो केवल पूर्व अनुरोध का पुन: प्रस्तुतीकरण है और जिसकी प्राधिकारी ने पहले पर्याप्त जांच की है, उसे संक्षिप्तता के कारण दोहराया नहीं गया है।

त.1 आरई: घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

168. हुबेई ने यह टिप्पणी की है कि आरती ड्रग्स लिमिटेड को पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उसने जांच के अधीन अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात किया है और वह भी याचिका में दावे के अनुसार अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत नहीं बल्कि व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में किया गया है। हुबेई ने बताया है कि आवेदक ने उनके द्वारा आयात के लिए भारतीय सीमा शुल्क पत्तनों पर भुगतान किये हैं जिसमें ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

---

[207] अधिसूचना सं. सीजी-डीएल-ई-0104203-244884 भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/244884.pdf पर उपलब्ध 21 सितंबर, 2023 को पूर्वाह्न 11.04 पर देखा गया।

रो लेबल्स	**मात्रा का योग**	**सीआईएफ मूल्य का योग (यूएसडी)**
2021-22	*******	*******
क्षति अवधि	*******	*******
पीओआई पश्चात	*******	*******
पूर्व-क्षति अवधि	*******	*******
कुल योग	*******	*******

169. हुबेई ने बताया है कि यही स्थिति चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेट्रोनिडाजोल के आयातों से संबंधित दूसरे निर्णायक समीक्षा जांच में नोटिस की गई थी जिसमें आरती ड्रग्स लिमिटेड को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा गया था। हुबेई ने यह भी बताया है कि तीसरी निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी ने इन्हीं आधारों पर आरती का आवेदन अस्वीकार कर दिया था। हुबेई के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.पी. सं. 7464/2017 में यह नोट किया है कि आरती ड्रग्स लिमिटेड को पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है। हुबेई ने यह भी बताया है कि आवेदक पाटनरोधी उपायों का आदतन प्रयोक्ता है।

170. प्राधिकारी प्रकटन विवरण के पैरा 20 से 24 और इस जांच परिणाम के पैरा 20 से 24 में अपनी संमुक्तियों को दोहराते हैं कि वर्तमान पीओआई के दौरान आवेदक द्वारा किये गये आयातों की मात्रा पूर्ववर्ती जांच के दौरान आवेदक द्वारा आयातों से कम है। इसके अलावा, प्राधिकारी दोहराते हैं कि आवेदक ने निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्राधिकार लाइसेंसों के अंतर्गत संबद्ध वस्तु का आयात किया है। हुबेई ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि आयात आवदेक द्वारा अग्रिम प्राधिकार लाइसेंस के अंतर्गत किये गये थे। प्राधिकारी घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में प्रकटन विवरण की अपनी संमुक्तियों की पुष्टि करते हैं और यह मानते हैं कि आवेदक एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है।

त.2 आरई: पाटन और क्षति मार्जिन का आकलन

171. आवेदक ने बताया है कि 29 जुलाई, 2023 के अपने ई-मेल में उसने प्राधिकारी से अर्धवार्षिक पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और कीमत कटौती निर्धारित करने का अनुरोध किया है। आवेदक ने बताया है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के निष्पादन के संबंध में आयातों से मात्रा और कीमत प्रभाव की अर्धवार्षिक जांच की है। तथापि, प्राधिकारी ने अर्धवार्षिक आधार पर क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया है। आवेदक के अनुसार अर्धवार्षिक विश्लेषण का अर्थ है कि प्राधिकारी ने पाया है कि ऐसी जांच अवधि के दौरान मापदंडों में भारी अंतर है जिससे यह आवश्यक है कि समग्र रूप से जांच अवधि के लिये कोई विश्लेषण उचित नहीं होगा। अत: आवेदक ने अनुरोध किया है कि पाटन और क्षति मार्जिन को अर्धवार्षिक आधार पर परिकलित किया जाना चाहिए।

172. आवेदक ने अनुरोध किया है कि अनेक जांचों में प्राधिकारी ने अर्धवार्षिक विश्लेषण किये हैं जिनमें यह पाया गया है कि समय के साथ उत्पादन लागत और बिक्री कीमत में काफी अंतर होते हैं। आवेदक ने यह तर्क देने के लिए व्यापार उपचार जांचों के लिए प्रचालन प्रक्रिया के मैनुअल का भी उल्लेख किया है कि पाटन और क्षति मार्जिन की अर्धवार्षिक गणना की अनुमति है।

173. आरंभ में यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदक की यह मान्यता कि प्राधिकारी ने अर्धवार्षिक विश्लेषण किया है क्योंकि उन्हें इस अवधि के दौरान कीमत में भारी अंतर मिले थे, निराधार है। प्राधिकारी ने पूरी पीओआई के आधार पर क्षति संबंधी सूचना का विश्लेषण किया है। इस तथ्य को देखते हुए कि आवेदक ने पीओआई के एच2 में क्षति संबंधी अनेक अनुरोध किये थे, प्राधिकारी ने आवेदक के अनुरोधों की जांच करने के लिए पीओआई को केवल दो भागों में बांटा है। प्राधिकारी ने यह सत्यापन करने के लिए पीओआई पश्चात के 6 महीने के आंकड़ों की भी जांच की है कि क्या पीओआई के एच2 में कथित क्षति और स्थितियां पीओआई के बाद भी जारी रही हैं। तथापि, जैसा ऊपर

"क्षति" खंड में उल्लिखित है। आवेदक के अनुरोधों पर विचार करने बाद भी प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि पीओआई की एच2 अवधि एक विपथन था।

174. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यद्यपि पीओआई के पूर्वाध और उत्तरार्ध में पाटन और क्षति मार्जिनों में कथित अंतर हैं। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह निर्यात कीमतों/ पहुंच मूल्यों की प्रवृत्ति में परिवर्तन का परिणाम नहीं है। प्राधिकारी ने पहले यह निर्धारित किया है कि पीओआई के पूर्वाध और उत्तरार्ध के बीच निर्यात कीमत में अंतर का कोई पैटर्न नहीं है। इसके अलावा प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों से अपनी कच्ची सामग्री खरीदी है। प्राधिकारी ने ऊपर यह भी नोट किया है कि आवेदक की घरेलू कच्ची सामग्री की कीमतें पीओआई के उत्तरार्ध में अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की कीमतों से अधिक दर पर बढ़ी हैं। इसके अलावा, पीओआई के पूर्वाध में घरेलू रूप से ली गई 2-एमएनआई की कीमत अंतर्राष्ट्रीय रूप से ली गई 2-एमएनआई की कीमतों से कमतर थी; तथापि, पीओआई के उत्तरार्ध में घरेलू रूप से प्राप्त 2-एमएनआई की कीमत में वृद्धि हुई है और वह अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्राप्त 2एमएनआई की कीमतों से उच्चतर है।

175. यह स्पष्ट है कि पीओआई के उत्तरार्ध में पाटन या क्षति मार्जिनों में कोई कथित अंतर अस्थिरता का परिणाम है जो केवल घरेलू उद्योग के लिए विशिष्ट है (अर्थात घरेलू कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि) चूंकि पीओआई के दो भागों के दौरान पाटन और क्षति मार्जिनों के अंतर का मुख्य कारण घरेलू कच्ची सामग्री की कीमतों में अंतर है इसलिए प्राधिकारी अर्धवार्षिक आधार पर पाटन और क्षति की गणना करना उचित नहीं समझते हैं।

176. हुबेई ने अनुरोध किया है कि उसके लिए परिकलित पाटन और क्षति मार्जिन एक समान नहीं होने चाहिए। हुबेई ने बताया है कि प्राधिकारी को उसे अवशिष्ट श्रेणी की तुलना में शुल्क की कम दर प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि उसने जांच में प्राधिकारी से सहयोग किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि उनका निष्कर्ष है कि संबद्ध देशों से वस्तुओं के

कथित पाटन के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। इसलिए प्राधिकारी को हुबेई की इस दलील की जांच करने की जरूरत नहीं लगती है।

त.3 आरई: भारित औसत सामान्य मूल्य/सौदावार निर्यात कीमत/पहुंच मूल्य के लिए एनआईपी की तुलना द्वारा पाटन और क्षति मार्जिन का निर्धारण

177. आवेदक के अनुसार प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना के लिए डब्ल्यू-टी पद्धति को अपनाने हेतु आवेदक के अनुरोध की अनुचित व्याख्या और उस पर आंशिक रूप से विचार किया है। आवेदक का दावा है कि प्राधिकारी ने इस आधार पर पाटन और क्षति मार्जिन की गणना के लिए आवेदक के प्रस्ताव को अस्वीकार किया है कि डब्ल्यूटीओ पैनल और अपीलीय निकाय ने माना है कि पाटनरोधी करार के अंतर्गत शून्य केंद्रण की अनुमति नहीं है।

178. आरंभ में प्राधिकारी यह दर्शाना चाहते हैं कि आवेदक ने उस आधार को नहीं समझा है जिस पर प्राधिकारी ने डब्ल्यू-टी पद्धति को अपनाने के लिए आवेदक के प्रस्ताव को अस्वीकार किया है। प्रकटन विवरण के पैरा 58 से 61 (इन जांच परिणामों के पैरा 58 से 61) में यह स्पष्ट है कि प्राधिकारी ने डब्ल्यू-टी पद्धति को अपनाने से इंकार किया है, क्योंकि निर्यात कीमतों में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जो विभिन्न समयावधियों में अलग-अलग हो। शून्य केंद्रण के संबंध में प्राधिकारी की संमुक्तियां आवेदक द्वारा उसके लिखित अनुरोध में यथा प्रस्तावित शून्य केंद्रण पद्धति को अपनाने का अलग अनुरोध का उत्तर है। आवेदक ने प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण के पैरा 58 से 61 (इन जांच परिणामों के पैरा 58 से 61) में अपनाये गये कारण को नहीं समझा है।

179. आवेदक के अनुसार प्राधिकारी ने यह माना है कि पीओआई के उत्तरार्ध में कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि हुई है। आवेदक अनुरोध करता है कि यह तथ्य कि कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि हुई है, यह अर्थ निकालता है कि सामान्य मूल्य में वृद्धि हुई है। आवेदक ने यह भी बताया है कि यह तथ्य कि निर्यात कीमत में सामान्य मूल्य में वृद्धि

होने पर गिरावट आई है। दर्शाता है कि दोनों अवधियों के बीच कीमतों के पैटर्न में भारी अंतर है। आवेदक ने बताया है कि पीओआई के पूर्वाध और उत्तरार्ध में पाटन और क्षति मार्जिन अलग-अलग हैं जो सिद्ध करता है कि भारित औसत आधार पर तुलना करना उचित नहीं है। आवेदक ने अपने दावे को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित सूचना प्रदान की है:

विवरण	**यूओएम**	**अलग तुलना**			**पीओआई**
		पूर्वाध	**उत्तरार्ध**	**भारित औसत**	
निर्यात कीमत	रू./केजी	***	***	***	***
सामान्य मूल्य	रू./केजी	***	***	***	***
पाटन मार्जिन	रू./केजी	***	***	***	***
क्षतिरहित कीमत	रू./केजी	***	***	***	***
पहुंच कीमत	रू./केजी	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	रू./केजी	***	***	***	***
आयात मात्रा	एमटी	***	***	***	***

180. आवेदक ने यूएस - कोरिया से लार्ज रेजिडेंसियल वॉसर्स पर एडी/सीवीडी उपायों के डब्ल्यूटीओ निर्णय, एपेक्स फ्रोजन फूड्स प्रा. लिमिटेड बनाम संयुक्त राज्य में यूएस कोर्ट ऑफ अपील का निर्णय, रूस और तुर्की के मूल के लोहे और स्टील के कतिपय ट्यूब और पाइप फिटिंग के मामले में यूरोपीय आयोग के निर्णय और कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स

लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में एलडी सेस्टेट के आदेश का भी यह तर्क देने के लिए उल्लेख किया है कि डब्ल्यू-टी पद्धति को अपनाना चाहिए।

181. आवेदक के इस अनुरोध के संबंध में कि पीओआई के उत्तरार्ध में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के उत्तरार्ध में पाटन और क्षति मार्जिनों में ऐसी किसी वृद्धि का कारण स्पष्ट रूप से सामान्य मूल्य/ क्षतिरहित कीमत में वृद्धि है जो आवदेक के आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई है। यह वृद्धि पीओआई के उत्तरार्ध में कच्ची सामग्री की घरेलू कीमतों में वृद्धि के कारण प्राथमिक रूप से हुई थी। प्रकटन विवरण के पैरा 58 (इस जांच परिणाम के पैरा 58) में प्राधिकारी द्वारा जांच के अनुसार निर्यात कीमत में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। पीओआई के उत्तरार्ध में कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि - जो उच्चतर सामान्य मूल्य और क्षतिरहित कीमत में परिवर्तित हुई है - पीओआई के उत्तरार्ध में उच्चतर पाटन और क्षति मार्जिन का कारण है। यह डब्ल्यू-टी पद्धति को अपनाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

182. जैसा प्रकटन विवरण के पैरा 58 से 62 (इन जांच परिणामों में पैरा 58 से 62) में स्पष्ट किया गया, डब्ल्यू-टी पद्धति अपनाने के लिए प्राधिकारी को पहले यह निर्धारित करना होगा कि विभिन्न समयावधि में निर्यात कीमत में अंतर का पैटर्न है। आवेदक का यह अनुरोध कि निर्यात कीमत में तब गिरावट आई है जब सामान्य मूल्य में वृद्धि हुई है, यह निर्धारित करने के लिए संगत नहीं है क्या पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 6(iv) डब्ल्यू-टी पद्धति अपनाई जाए अथवा नहीं:

''इस पैरा में तुलना को शासित करने वाले प्रावधानों के अधीन, जांच चरण के दौरान पाटन मार्जिन की मौजूदगी को सामान्यत: सौदावार आधार पर भारित औसत सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना के आधार पर स्थापित किया जाएगा। भारित औसत आधार पर निर्धारित सामान्य मूल्य की तुलना अलग-अलग निर्यात सौदों की कीमतों के साथ की जा सकती हैं यदि यह पाया जाता है कि निर्यात कीमतों की प्रवृत्ति विभिन्न

खरीददारों, क्षेत्रों या समयावधियों में काफी अलग-अलग हैं और यदि एक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया जाए कि भारित औसत से भारित औसत या सौदे से सौदे की तुलना (जिस पर जोर दिया गया) का प्रयोग करने में ऐसे अंतरों पर विचार करना क्यों उचित नहीं है।

183. जैसा ऊपर देखा गया है प्राधिकारी के लिए पहले यह पता लगाना अपेक्षित है कि क्या निर्यात कीमतों के बीच अंतर का कोई पैटर्न है। आवेदक का यह तर्क कि प्राधिकारी को सामान्य मूल्य में सापेक्ष वृद्धि पर विचार करना चाहिए। यह निर्धारित करने में संगत कारक नहीं है या एडी नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 6(iv) के अंतर्गत डब्ल्यू-टी पद्धति को लागू करना उचित है। आवेदक के अनुरोधों के विरुद्ध प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि अलग-अलग समयावधियों के बीच निर्यात कीमत में अंतर है। दो अलग-अलग समयावधियों के निर्यात कीमत के बीच काफी अंतर का अभाव में प्राधिकारी डब्ल्यू-टी पद्धति को नहीं अपना सकते हैं। प्रकटन विवरण के पैरा 58 से 61 (इस जांच परिणाम के पैरा 58 से 61) में प्राधिकारी ने पहले ही पाया है कि पीओआई के उत्तरार्ध की तुलना में उसके पूर्वाध में निर्यात कीमत के बीच बहुत मामूली अंतर है। प्राधिकारी ने बात का भी विस्तृत विश्लेषण किया है कि निर्यात कीमत को घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री में परिवर्तन पर विचार करते हुए क्यों समायोजित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, जैसा पहले बताया गया है निर्यात कीमत के बीच अंतर का पैटर्न एडी नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 6(iv) के अंतर्गत डब्ल्यू-टी पद्धति को अपनाने की एक पूर्वापेक्षा है; और चूंकि प्राधिकारी को पीओआई के पूर्वाध और उत्तरार्ध के बीच निर्यात कीमत में ऐसा कोई अंतर नहीं मिला है। इसलिए प्राधिकारी ने डब्ल्यू-टी पद्धति को अपनाना उचित नहीं समझा है।

184. आवेदक ने यह भी बताया है कि प्राधिकारी क्षति मार्जिन की गणना के लिए शून्य केंद्रण पद्धति भी अपना सकते हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि प्राधिकारी ने डब्ल्यू-टी पद्धति नहीं अपनाने का निर्णय लिया है। प्राधिकारी क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए शून्य केंद्रण पद्धति अपनाना उचित नहीं समझते हैं।

त.4 आरई: अनिवार्य तथ्यों के प्रकटन की पर्याप्तता

185. आवेदक ने दावा किया है कि 19 सितंबर, 2023 को परिचालित प्रकटन विवरण अनिवार्य तथ्यों का पूरा प्रकटन नहीं करता है। आवेदक के अनुसार प्रकटन विवरण अधूरा है और उसमें विभिन्न क्षति मापदंडों और पीओआई पश्चात विश्लेषण से संबंधित तथ्यों का प्रकटन नहीं किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि निम्नलिखित उन अनिवार्य तथ्यों के कुछ उदाहरण है जो प्राधिकारी के निर्णय का आधार बन सकते हैं।

तथ्य	आवेदक का दावा
विचाराधीन उत्पाद का दायरा	यह तथ्य प्रकटन विवरण स्पष्ट रूप से बताया गया है।
घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु का दायरा	यह तथ्य प्रकटन विवरण स्पष्ट रूप से बताया गया है।
घरेलू उद्योग का दायरा	यह तथ्य प्रकटन विवरण स्पष्ट रूप से बताया गया है।
पाटन और संबद्ध आयातों में पाटन मार्जिन	यह तथ्य प्रकटन विवरण स्पष्ट रूप से बताया गया है।
क्या घरेलू उद्योग को क्षति हुई है	यह तथ्य घरेलू उद्योग को पूर्णत: सिद्ध या प्रकट नहीं किया गया है। प्राधिकारी ने विभिन्न क्षति मापदंडों की जांच के बाद यह निष्कर्ष नहीं निकाला जिससे तथ्यों का अस्पष्ट प्रकटन हुआ है।
जांच विश्लेषण के बाद की अवधि	प्राधिकारी ने पीओआई पश्चात के अपने विश्लेषण को प्राथमिक रूप से समाप्त नहीं किया है।

186. आवेदक का पर्याप्त प्रकटन के अभाव का दावा केवल इस आधार पर है कि क्षति की मौजूदगी संबंधी प्राधिकारी का निष्कर्ष है और प्राधिकारी के पीओआई पश्चात निष्कर्ष का प्रकटन नहीं हुआ है। आवेदक ने यह दावा भी किया है कि पीओआई पश्चात विश्लेषण अपूर्ण रूप से किया गया था।

187. आवेदक ने तर्क दिया है कि पाटनरोधी करार का अनुच्छेद और एडी नियमावली का नियम 16 यह प्रावधान करता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम जांच परिणाम देने से पहले सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उन अनिवार्य तथ्यों की सूचना देंगे जो उनके निर्णय का आधार हैं। आवेदक ने चीन - जीओईएस मामलें में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के रिपोर्ट पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया है कि पाटनरोधी जांच के निष्कर्ष पर निश्चयात्मक उपाय लागू करने के लिए जांचकर्ता प्राधिकारी को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध तथा इन तीन कारकों के संबंध में अनिवार्य तथ्यों का पता लगाने के बारे में प्रकटन करना चाहिए।

188. आवेदक ने यह तर्क देने के लिए ईसी - साल्मॉन पर भी भरोसा किया है कि अनिवार्य तथ्य निर्धारण के लिए अनिवार्य तथ्यों का एक समूह होता है जिसे जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लेने से पहले अवश्य निर्धारित करना चाहिए कि क्या उपायों को लागू करना है। अर्थात वह तथ्य जो जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा विश्लेषण की प्रक्रिया और निर्णय लेने के लिए आवश्यक हों और न कि केवल वे जो अंतिम रूप से लिये गये निर्णय का समर्थन करते हों।

189. आवेदक ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निम्नलिखित संमुक्तियों पर भी भरोसा किया है:

‘’31.5 इस प्रकार यद्यपि अनुच्छेद 6.9 में अनिवार्य तथ्यों के प्रकटन के लिए कोई विशिष्ट प्रपत्र विहित नहीं है, तथापि, उसमें सभी मामलों के लिए यह अपेक्षित है कि जांचकर्ता प्राधिकारी इस प्रकार से उन सभी तथ्यों का प्रकटन करें जिन्हें कोई हितबद्ध पक्षकार स्पष्ट रूप से समझ सकता हो कि जांचकर्ता प्राधिकारी ने कौन से आंकड़ों का प्रयोग किया है और पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए उन आंकड़ों का कैसे प्रयोग किया गया है। अत: प्रकटन विवरण में ऐसे अनिवार्य तथ्यों संबंधी निर्दिष्ट प्राधिकारी के मध्यवर्ती परिणाम और निष्कर्ष दिये गये होते हैं जो इस निर्णय का आधार होंगे कि निश्चयात्मक उपाय लागू किया जाए अथवा नहीं और न कि इससे संबंधित अंतिम निष्कर्ष की क्या निश्चित उपाय लागू करना

अपेक्षित है अथवा नहीं। इस न्यायालय की राय में जैसा याचिकाकर्ताओं के विद्यान वकील द्वारा सही ढंग से बताया है, प्रकटन विवरण में उन अनिवार्य तथ्यों के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निष्कर्ष होने चाहिए जो उस निर्णय का आधार होंगे कि निश्चयात्मक उपाय लगाये जाएं अथवा नहीं और न कि उन अनिवार्य तथ्यों पर आधारित उन निष्कर्षों का प्रकटन। अनिवार्य तथ्यों के आधार पर निष्कर्षों पर अंतिम जांच परिणाम में दर्ज किया जाएगा अर्थात ऐसे तथ्यों के आधार पर निश्चयात्मक उपाय लागू किये जाएं अथवा नहीं। यह दलील कि प्रकटन विवरण एक मसौदा आदेश की प्रकृति का होता है। इसलिए स्वीकृति के लायक नहीं है, क्योंकि किसी मसौदा आदेश में वे सभी निष्कर्ष भी शामिल होंगे कि निश्चयात्मक उपाय लगाना अपेक्षित है अथवा नहीं''।

190. आवेदक का यह दावा कि प्राधिकारी ने पीओआई के बाद की अवधि में क्षति और क्षति के विश्लेषण संबंधी अपने निष्कर्षों का प्रकटन नहीं किया है। तथापि, यह नोट किया जाना चाहिए आवेदक ने यह पहचान नहीं की है कि प्रकटन विवरण के किस विशिष्ट भाग का पर्याप्त रूप से प्रकटन नहीं हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एडी नियमावली के नियम 16 के साथ पठित पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 6.9 के अनुसार प्राधिकारी के लिए केवल ऐसे ''विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों'' का प्रकटन करना अपेक्षित है जो उनके निर्णय के आधार हैं।

191. यह नोट किया गया है कि पूर्वोक्त मामले में माननीय न्यायालय ने भी बताया है कि प्राधिकारी को केवल मध्यवर्ती जांच परिणामों और अनिवार्य तथ्यों के निष्कर्ष प्रदान करने चाहिए। इसके अलावा, यूएस - कंट्री ट्यूबलर गुड्स निर्णयक समीक्षा के निर्णय में डब्ल्यूटीओ अनुपालन की रिपोर्ट में निम्नानुसार बताया गया है:

''7.148 हम नोट करते हैं कि अनुच्छेद 6.9 जांचकर्ता प्राधिकारी पर विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों के संबंध में एकबारगी प्रकटन दायित्व लागत करता है जो बाद में प्राधिकारी के इस अंतिम निर्धारण का आधार होगें कि क्या निश्चयात्मक उपाय लागू किये जाएं। अनुच्छेद 6.9 का पाठ स्पष्ट करता है कि यह दायत्वि जांचकर्ता प्राधिकारियों के तर्क के विरुद्ध तथ्यों के

संबंध में लागू होता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 6.9 अनिवार्य तथ्यों पर लागू होता और न कि सभी तथ्यों पर .....'' (इस पर जोर दिया गया)।

192. इसके अलावा, कोरिया - कतिपय कागज मामले में पैनल का यह अवलोकन था कि :

''6.92 इंडोनेशिया के दावे के समर्थन में उसके तर्कों को देखते हुए हम नोट करते हैं कि इंडोनेशिया का तर्क है कि केटीसी को अनुच्छेद 6.9 के अंतर्गत इस तथ्य का प्रकटन करना चाहिए था कि वह क्षति पुन: निर्धारण के अपने आधार को केवल मूल जांच की सूचना पर आधारित करने का आशय रखता है। यहां भी हम इस विचार से सहमत हैं कि क्षति पुन: निर्धारण के आधार को केवल मूल जांच में एकत्रित आंकड़ों पर रखने का केटीसी का इरादा अनुच्छेद 6.9 के अर्थ के भीतर ''अनिवार्य तथ्य'' का निर्माण करता है। हमारे विचार से अनुच्छेद 6.9 के अंतर्गत दायित्व का दायरा प्राधिकारी के तर्क या उनके इस इरादे को बाहर रखता है कि कतिपय निर्धारण कैसे किए जाएंगे। अत: हम पाते हैं कि इंडोनेशिया करार के अनुच्छे 6.9 के अंतर्गत अपने दावे के संबंध में प्रथमदृष्ट्या मामला बनाने में विफल रहा है'' (बाद टिप्पणी दी गई) (जोर दिया गया)।

193. ग्वाटेमाला - सीमेंट II मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल ने माना था कि प्राधिकारी के लिए किसी जांच की प्रक्रिया के दौरान क्षति संबंधी अपने अंतिम निर्धारण के लिए कानूनी आधार का प्रकटन करना अपेक्षित नहीं है:

''8.238 मैक्सिको का दावा एडी करार के अनुच्छेदों 6.1, 6.2 और 6.9 पर आधारित है। हम नोट करते हैं कि अनुच्छेद 6.1 और 6.9 ''सूचना'', ''साक्ष्य'' और ''अनिवार्य तथ्यों'' के संबंध में जांचकर्ता प्राधिकारियों पर कतिपय दायित्व लागू नहीं करते हैं। तथापि, मैक्सिको का दावा जांच की प्रक्रिया के दौरान कतिपय वास्तविक सूचना तक पहुंच के हितबद्ध पक्षकारों के अधिकार से संबंधित नहीं है। मैक्सिको का दावा हितबद्ध पक्षकारों के जांच की प्रक्रिया के दौरान जांचकर्ता प्राधिकारी के कानूनी निर्धारणों से सूचित होने के कथित अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 6.2 के अनुसार हम नोट करते हैं कि उस प्रावधान का पहला वाक्य काफी

सामान्य प्रकृति का है। हम ऐसे किसी सामान्य वाक्य की व्याख्या इस प्रकार करने में असमर्थ है जिससे जांचकर्ता प्राधिकारी पर जांच की प्रक्रिया के दौरान क्षति संबंधी उसके अंतिम निर्धारण के लिए कानूनी आधार से हितबद्ध पक्षकारों को अवगत कराने का विशिष्ट दायत्वि लागू किया जाएगा, जब इसे अनुच्छेद 12.2 के शब्दों में कहा जाए तो यह केवल जांच के अंत में जांचकर्ता प्राधिकारियों पर विशिष्ट दायित्व लागू करता है"। (इस पर जोर दिया गया)

194. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन अनिवार्य तथ्य जो इस जांच परिणाम के आधार थे, का प्राधिकारी ने 19 सितंबर, 2023 के अपने प्रकटन विवरण में प्रकटन किया था। आवेदक ने केवल यह दावा किया है कि प्राधिकारी ने क्षति के संबंध में अपने निष्कर्षों और पीओआई पश्चात क्षति विश्लेषण संबंधी प्रारंभिक निष्कर्षों के संबंध में प्रकटन नहीं किया है। जैसा ऊपर उल्लिखित डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट में नोट किया गया है। प्राधिकारी के लिए केवल अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन अपेक्षित है और न कि क्षति निर्धारण के लिए उसके निष्कर्षों, कारण और कानूनी आधार का प्रकटन।

195. प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने यह संमुक्ति की है कि "प्रकटन विवरण में ऐसे अनिवार्य तथ्यों संबंधी निर्दिष्ट प्राधिकारी के निष्कर्ष होने चाहिए जो इस निर्णय का आधार हों कि क्या निश्चयात्मक उपाय लागू किये जाएं अथवा नहीं और न कि उन अनिवार्य तथ्यों के आधार पर किये गये निष्कर्षों का आधार"। जैसा ऊपर इन जांच परिणाम से खंड के.8 में सारांश दिया गया है। प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को कथित पाटित आयातों के कारण क्षति नहीं हो रही है। अत: प्रकटन विवरण में क्षति की मौजूदगी संबंधी अंतिम निर्धारण में प्रकटन से समग्र रूप से जांच परिणाम के निष्कर्ष का प्रकटन हो गया होता जो माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रकटन विवरण में किया जाना अपेक्षित नहीं है।

त.5 आरई: क्षति विश्लेषण

196. आवेदक ने दावा किया है कि लिखित अनुरोध के पैराग्राफ 22 से 24 में उल्लिखित उसके तर्कों को रिकार्ड में नहीं लिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का यह दावा त्रुटिपूर्ण है। प्रकटन विवरण के पैराग्राफ 49 से 51 में प्राधिकारी ने आवेदक के अनुरोधों को स्पष्ट रूप से रिकार्ड में लिया है। इसके अलावा प्राधिकारी नोट करते हैं कि अपने लिखित अनुरोध के पैराग्राफ 22 से 24 में आवेदक के तर्क पाटन मार्जिन गणना के संबंध में निर्यात कीमत के पैटर्न के निर्धारण से संबंधित हैं और क्षति निर्धारण में उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

197. आवेदक ने दलील दी है कि जब आधार वर्ष में आयात अधिक थे तब भी वे घरेलू उद्योग की लागत से काफी अधिक थे और इसलिए घरेलू उद्योग को प्रभावित नहीं कर रहे थे। आवेदक ने अनुरोध किया है कि जब आयात कीमतों को कच्ची सामग्री की कीमत के सापेक्ष देखा जाता हे तो क्षति होगी:

विवरण	**पहुंच कीमत रू./एमटी**	**कच्ची सामग्री की कीमत रू./एमटी**	**समायोजित कीमत रू./एमटी**	**अंतर रू./एमटी**
2018-19	***	***	***	***
2019-20	***	***	***	***
2020-21	***	***	***	***
एच1 21-22	***	***	***	***
एच 2 21-22	***	***	***	***
2021-22	***	***	***	***

198. आवदेक ने अनुरोध किया है कि पीओआई के दौरान पहुंच कीमत उस स्तर से कम है जिसे उन्हें कच्ची सामग्री के लिए आवश्यक समायोजनों के बाद मिलना चाहिए था। यह नोट किया जाता है कि क्षति का विश्लेषण आयात की कीमतों, कच्ची सामग्री की कीमतों

और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में वृद्धि के संदर्भ में किया जाना चाहिए (जैसा प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के पैरा 126 में अवलोकन किया था)।

199. हुबेई ने दोहराया है कि उसने संबद्ध वस्तु के अपने उत्पादन से संबंधित कच्ची सामग्री की लागतों से संबंधी साक्ष्य दिया है। हुबेई ने यह भी बताया है कि आवेदक ने पीओआई से पहले और पीओआई के बाद हुबेई से मेट्रोनिडाजोल खरीदी है। हुबेई ने यह भी बताया है कि आवेदक ने पीओआई के पहले, पीओआई और पीओआई की बाद की अवधि के दौरान हुबेई से 2-एमएनआई खरीदी है। हुबेई ने बताया है कि पीयूसी के उत्पादन के लिए दो प्रमुख कच्ची सामग्रियां आक्सीरेन जो कच्ची सामग्री की कुल लागत का लगभग 20 प्रतिशत है और 2-एमएनआई है जो कच्ची सामग्री की कुल लागत का 50 प्रतिशत है। हुबेई ने ''ऑयलकेम'' वेबसाइट (ऊर्जा और रासायन सूचना तथा बाजार कीमत सूचकांक का एक अग्रणी प्रदाता) से सूचना प्रदान की है कि हुबेई के लिए कच्ची सामग्री की लागत में पीओआई के उत्तरार्ध में कोई वास्तविक बदलाव नहीं हुआ है। हुबेई ने यह भी बताया है कि संबद्ध वस्तु के उसके उत्पादन के लिए 2-एमएनआई के लागत में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है।

200. प्राधिकरण अपनी टिप्पणियों को दोहराता है कि कच्चे माल की लागत में वृद्धि, जो विषय वस्तुओं के लैंडेड मूल्य में इसी वृद्धि से मेल नहीं खाती थी, मुख्य रूप से पीओआई की दूसरी छमाही (एच 2) तक ही सीमित थी। जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 143 में उल्लिखित है, पीओआई के बाद के छह महीनों में, कच्चे माल की कीमतों में पिछले छह महीनों की तुलना में ***% प्रति मीट्रिक टन (***% की वृद्धि) की वृद्धि हुई। इसके विपरीत, भूमि मूल्य में प्रति मीट्रिक टन *** रुपये की अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई (**% की वृद्धि), और बिक्री मूल्य में प्रति मीट्रिक टन *** रुपये (***% की वृद्धि) की वृद्धि हुई। लैंडेड मूल्य के सापेक्ष कच्चे माल की लागत में यह असामान्य वृद्धि पीओआई के एच 2 के लिए विशिष्ट विसंगति प्रतीत होती है। प्राधिकरण इस बात को रेखांकित करता है कि चोट के अस्तित्व के बारे में कोई भी निर्धारण केवल पीओआई के

एच 2 पर आधारित नहीं हो सकता है, इसकी असाधारण प्रकृति को देखते हुए, विशेष रूप से पीओआई के एच 1 और पीओआई के बाद की अवधि को देखते हुए।

201. हुबेई ने अपना यह अनुरोध दोहराया है कि पाटन और कथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। प्राधिकारी ने पाटन और कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के अभाव को नोट किया है।

त.6 आरई: पीओआई पश्चात विश्लेषण

202. आवेदक ने दावा किया है कि आयातों की मात्रा में पीओाआई के बाद की अवधि में काफी वृद्धि हुई है; पीओाआई के बाद की अवधि में आयात तीन गुने हो गये हैं; आयातों में वृद्धि मांगा में वृद्धि से अधिक हैं; पीओआई के बाद की अवधि में मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू बिक्रियों में मांग में वृद्धि के अनुरूप में वृद्धि नहीं थी; संबद्ध देश में आयातों का बाजार हिस्सा पीओआई के बाद की अवधि में काफी अधिक बढ़ गया है; आवेदक का बाजार हिस्सा पीओआई के बाद की अवधि में न्यूनतम रहा है।

203. प्राधिकारी ने अप्रैल, 2021 - सितंबर, 2021 (एच1) की अवधि में क्षति को गैर मौजूद पाया है। इस तथ्य पर प्रकटन पश्चात टिप्पणियों पर भी आवेदक ने प्रश्न नहीं उठाया है। अत: प्राधिकारी ने यह निर्धारित करने के लिए पीओआई के बाद के 6 महीनों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है कि क्या अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 की अवधि के दौरान क्षति की स्थिति और सक्रिय कारक केवल एक विपथन थे।

204. प्राधिकारी इस जांच परिणाम में पीओआई के बाद के विश्लेषण के संबंध में खंड ठ - 2 में अपने निष्कर्ष को दोहराते हैं। प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध देश से आयात आवेदक की बिक्रियों से प्रभावित नहीं दिखते हैं, बल्कि भारत में संबद्ध वस्तु में कुल मांग में वृद्धि हुई है और संबद्ध देशों से आयातों ने मांग में इस वृद्धि को पूरा किया है और इससे घरेलू उद्योग की बिक्री प्रभावित नहीं हुई है। इसके अलावा, जैसा पैरा 136 की तालिका में उल्लिखित है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पीओआई की बाद की अवधि में आयातों

की पहुंच मूल्य से काफी कम है। अपनी वस्तु को आयातों से कम कीमत पर बेचने के बावजूद घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के बड़े हिस्से पर कब्जा नहीं कर पाया है। घरेलू उद्योग इसके लिए कोई संभावित स्पष्टीकरण देने में सक्षम नहीं है। अत: आयातों द्वारा बढ़ी हुई मांग पर कब्जा पीओआई के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धी क्षमता को प्रतिकूलत: प्रभावित करता नहीं लगता है।

205. इसके अलावा, यह तर्क कि घरेलू उद्योग संबंधित देश से आयात के कारण मांग में वृद्धि का लाभ उठाने में सक्षम नहीं था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि पीओआई के बाद के छह महीनों में घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य वास्तव में आयातित वस्तुओं की लैंडेड कीमतों से कम थे। आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार बाकी सब समान होने के नाते (जैसे उत्पाद की गुणवत्ता), उपभोक्ता आम तौर पर उच्च कीमतों के बजाय कम कीमतों पर सामान खरीदना पसंद करते हैं। भले ही घरेलू उद्योग ने आयात की तुलना में कम कीमतों पर अपने उत्पादों की पेशकश की, लेकिन वे विस्तारित बाजार की मांग का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित करने में विफल रहे। घरेलू उद्योग इस घटना के लिए उचित स्पष्टीकरण प्रदान करने में सक्षम नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि पीओआई के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती मांग को पकड़ने की आयात की क्षमता से नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं हुई है।

206. जैसा कि ऊपर दिए गए इन निष्कर्षों के पैराग्राफ 140 से देखा गया है, यह तर्क कि आवेदक अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि आवेदक ने पीयूसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगातार निर्यात बाजारों और कैप्टिव खपत के लिए समर्पित किया है। इसलिए, घरेलू उद्योग जांच की गई अवधि के दौरान एक निश्चित स्तर से ऊपर अपनी घरेलू बिक्री की मात्रा बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है - जिसमें शामिल है जब संबंधित देश से आयात की मात्रा कम थी (यानी, 2018-19 के दौरान पीओआई की पहली छमाही तक)। आवेदक का यह तर्क भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसकी बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, बाजार हिस्सेदारी में रुझान को घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट के रूप में

नहीं देखा जा सकता है, बल्कि घरेलू मांग में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। वास्तव में, पूर्ण संख्या में घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है।

त.7 आर्थिक हित और विविध मुद्दे

207. जनहित के संबंध में आवेदक ने पहले किये गये अपने सभी अनुरोध दोहराये हैं। प्राधिकारी ने पहले ही इस जांच परिणाम के खंड-ओ में जनहित संबंधी चिंताओं का पहले ही निवारण कर दिया है।

208. आवेदक का सुझाव है कि प्राधिकारी को एक बेंचमार्क शुल्क की सिफारिश करनी चाहिए। तथापि, चूंकि प्राधिकारी ने पहले ही अवलोकन किया है कि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हो रही है, इस मुद्दे पर विचार नहीं किया जा रहा है।

209. हुबेई ने दावा किया है कि प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया 22 प्रतिशत का आरओसीई घरेलू उद्योग को अनावश्यक संरक्षण प्रदान करता है। चूंकि प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि आवेदक को पाटन के कारण कोई क्षति नहीं हो रही है। इसलिए हुबेई के इस अनुरोध पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

थ निष्कर्ष

210. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों, दी गई साक्ष्यांकित सूचना के आधार पर और पूर्वोक्त पैराग्राफों में यथा दर्ज और जांच किये गये प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के निर्धारण के आधार पर प्राधिकारी का निम्नानुसार निष्कर्ष है:

i. संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(घ) के अनुसार एक दूसरे के समान वस्तु हैं।

ii. आवेदक के पास पात्र घरेलू उत्पादन का *** प्रतिशत हिस्सा है। आवेदक एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करता

है और आवेदन एडी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के अंतर्गत स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है।

iii. आवेदन में एडी नियमावली, 1995 के नियम 5(2) के अनुसार पाटनरोधी जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ समस्त संगत सूचना और आवश्यक साक्ष्य दिये गये हैं जो एडी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के अनुसार पाटन और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का निर्धारण के लिए वर्तमान जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

iv. गोपनीयता संबंधी दावे जहां आवश्यक हो, स्वीकार किये गये थे और यदि ऐसी गोपनीयता के दावों को अत्यधिक पाया गया था तो हितबद्ध पक्षकारों से एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 के अनुसार उसका प्रकटन करने और उसका उचित अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।

v. **पाटन मार्जिन:** चीन जन. गण. से एक उत्पादक अर्थात हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने जांच में भाग लिया है। ऐसे निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना और परिकलित सामान्य मूल्य के आधार पर हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के निर्यातों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक रूप से निर्धारित किया गया था।

vi **मात्रात्मक प्रभाव:** संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा और पाटन मार्जिन एडी नियमावली, 1995 के अनुबंध - II के पैरा (iii) में यथा निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक पाया गया था।

vii. एडी नियमावली, 1995 के पैरा (ii) के अंतर्गत यथा मूल्यांकन किए जाने के लिए अपेक्षित घरेलू उद्योग की स्थिति पर आयातों के मात्रा प्रभाव के संबंध में, यह पाया गया कि पीओआई की तुलना में आधार वर्ष से आयातों की मात्रा में काफी गिरावट आई है। अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 (एच 1) के दौरान आयात की मात्रा बहुत कम स्तर पर थी। पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान आयात

में वृद्धि हुई थी, हालांकि, भारतीय उत्पादन के संबंध में आयात और आधार वर्ष की तुलना में कुल मांग में गिरावट आई है।

viii. पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में काफी सुधार हुआ है। संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

ix. संबद्ध देश से आयातों और आयातों का बाजार हिस्सा जनवरी, 2020 से जून, 2011 की अवधि की तुलना में पीओआई के दौरान काफी कम रहा है। बाजार में भारतीय उत्पादकों की सकरात्मक वृद्धि रही है। घरेलू उत्पादक स्थिर हो गये हैं और शुल्क के संरक्षण के बिना भी आयातों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

x. **कीमत प्रभाव:** ऐसे पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में यह पाया गया था कि संपूर्ण जांच अवधि में पीओआई के उत्तरार्ध को छोड़कर कीमत कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण ऋणात्मक रहा है। तथापि, पीओआई के उत्तरार्ध में कच्ची सामग्री की कीमत में भारी वृद्धि हुई है। जिसने आवेदक की उत्पादन लागत में भारी वृद्धि कर दी है और परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत कटौती और इस अवधि के दौरान कीमत ह्रास/न्यूनीकरण हुआ है।

xi. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर ऐसे पाटन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गये थे:

क. घरेलू उद्योग का उत्पादन, स्थापित क्षमता, बिक्री मात्रा की दृष्टि से निष्पादन आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान बेहतर हुआ है। ऐसा पीओाआई के दौरान कच्ची सामग्री में वृद्धि के बावजूद हुआ है।

ख. पीओआई की दूसरी छमाही को छोड़कर पूरी जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग लाभदायक रहा है। केवल पीओआई की दूसरी छमाही के दौरान लाभप्रदता (लाभ, नकद लाभ, आरओसीई और पीबीआईटी) नकारात्मक हैं। हालांकि, अगर पीओआई को समग्र रूप से देखा जाता है, तो घरेलू उद्योग लाभदायक है।

ग. आवेदक की औसत मालसूची में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में वृद्धि हुई है। तथापि पीओआई के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में मालसूची में गिरावट आई है।

घ. वेतन और मजदूरी, उत्पादकता प्रति दिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान सुधार हुआ है। आवेदक ने इस संबंध में क्षति का दावा नहीं किया है।

ड. आवेदक ने अपने उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों की दृष्टि से सकारात्मक वृद्धि दर्शायी है परंतु लाभप्रदता की दृष्टि से नकारात्मक वृद्धि दर्शायी है। ऊपर की गई जांच के अनुसार आवेदक की लाभप्रदता की दृष्टि से नकारात्मक वृद्धि कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई है।

च. आवेदक की कुल बिक्री (यानी, घरेलू बिक्री कैप्टिव बिक्री निर्यात बिक्री) पीओआई के दौरान उच्चतम अवधि में है।

छ. घरेलू उद्योग को नुकसान अप्रैल 2021 - सितंबर 2021 (एच 1) की अवधि के लिए अस्तित्वहीन था, और केवल अक्टूबर 2021 - मार्च 2022 (एच 2) की अवधि तक सीमित था। प्राधिकरण ने अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 की 6 महीने की पीओआई अवधि की जांच की और यह निर्धारित किया कि दूसरी छमाही के दौरान घरेलू उद्योग को हुई चोट केवल एक विचलन थी।

ज. पीओआई के बाद की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री की मात्रा में भी वृद्धि हुई है।

झ. पीओआई के बाद की अवधि में, आवेदक का बिक्री मूल्य चीन पीआर से आयातित विषय वस्तुओं के लैंडेड मूल्य से काफी कम है, फिर भी चीन पीआर से आयात का बाजार हिस्सा घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी से अधिक है। आयात की तुलना में कम कीमतों पर अपने माल बेचने के बावजूद, घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के

एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। घरेलू उद्योग इसके लिए कोई व्यावहारिक स्पष्टीकरण देने में सक्षम नहीं है।

ञ. पीओआई के बाद की अवधि में विषय वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है, हालांकि, घरेलू उद्योग विषय आयात के लैंडेड मूल्य की तुलना में कम बिक्री मूल्य होने के बावजूद मांग में इस वृद्धि को पकड़ने में सक्षम नहीं है। इस दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री की मात्रा भी बढ़ी है।

xii. **क्षति मार्जिन:** चूंकि चीन जन. गण. से विषय वस्तुओं के आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है इसलिए प्राधिकरण को क्षति मार्जिन निर्धारित करना आवश्यक नहीं लगता है।

xiii. **कारणात्मक संपर्क:** यह पाया गया कि घरेलू उद्योग को चोट नहीं लगी है, और घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट केवल पीओआई की दूसरी छमाही तक ही सीमित है। यह उसी अवधि के दौरान आवेदक के प्रदर्शन और लाभप्रदता मापदंडों में गिरावट के साथ मेल खाता है। इसलिए, पीओआई की दूसरी छमाही के दौरान घरेलू उद्योग को यदि कोई नुकसान हुआ है, तो वह इस अवधि के दौरान कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप है, न कि डंप किए गए आयातों के कारण।

xiv. **भारतीय उद्योग के मुद्दे:** प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु एक सक्रिय भेषज अवयव है जिसका प्रयोग उस औषधि के निर्माण में होता है जो भेषज विभाग, रासायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा अनिवार्य दवाईयों की राष्ट्रीय सूची में सूचीबद्ध है। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल दवाई भारतीय राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अनेक कीमत नियंत्रण आदेशों के अधीन रखी गई है।

*****

द सिफ़ारिशें

211. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच करने के बाद और उक्त तथ्यों परिस्थितियों और विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को पाटनरोधी नियमावली के अधीन शामिल प्रावधानों के अनुसार संबद्ध देश से आयातों के कारण वास्तविक क्षति नहीं हो रही है। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना उचित नहीं समझते हैं। अत: पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(ख), नियम 17(क)(ii) और नियम 11(2) के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क और 9ख के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना सं. फा.सं. 6/3/2022-डीजीटीआर, दिनांक 30 सितंबर, 2022 के द्वारा शुरू की गई वर्तमान जांच को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं।

*****

ध आगे की प्रक्रिया

212. इस अधिसूचना के विरुद्ध कोई अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी